लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय — पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . ४९००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन . . . ४९००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना . . . ४९०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी . . . ४९०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-
दूसरा प्रतिवेदन . . . ४९०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ . . . ४९०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव . . . ४९०७—४३
दैनिक संक्षेपिका . . . ४९४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . ४९५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८ . . . ४९७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३ . . . ४९८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट . . . ५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति . . . ५०१८
विधेयक पुरःस्थापित . . . ५०१९
१. सीमा शल्क विधेयक . . . ५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक . . . ५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ . . . ५०१९—३७
विचार करन का प्रस्ताव . . . ५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति
दूसरा प्रतिवेदन . . . ५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प . . . ५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प . . . ५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका . . . ५०५९—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, १५ जून, १९६२

२५ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गापुर में कैमरा फैक्टरी

+

†*१४६५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जापानी फर्म के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में कैमरे तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड द्वारा क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) क्या उस परियोजना के पूरे होने की कोई तारीख निश्चित की गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जापानी फर्म, मैसर्स निपन कोगाकू को० के साथ प्रारूप करार किया गया है और ९.२ लाख रु० के मूल्य का सामान देने का ठेका मैसर्स मितसूबिसी शाजी कैमरा लि० के साथ किया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । फिर भी, आशा है कि उत्पादन वर्ष १९६३ की तीसरी तिमाही में आरम्भ होगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस कारखाने में किस प्रकार के कैमरा बनाये जायेंगे ; क्या वह चलती तसवीरें लेने वाले कैमरा होंगे या साधारण कैमरा होंगे ?

---

†मूल अंग्रजी में

1236(ai) LSD—1.

†**श्री कानूनगो** : पहिले तो यह कि यह साधारण कैमरा होंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन कैमरों के निर्माण में कितने प्रतिशत स्वदेशी माल प्रयोग होगा ?

†**श्री कानूनगो** : प्रोग्राम के पूरा होने पर वह सब ही स्वदेशीय होंगे :

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस देश में वार्षिक उत्पादन का क्या लक्ष्य होगा ?

श्री कानूनगो : अभी मैं यह बात सविस्तार नहीं बता सकता ।

कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

†*१४६७. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था कब स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रमिकों की शिक्षा के लिय अध्यापक को प्रशिक्षण देने केलिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था बनाने को सहमत हो गया है । संस्था का ब्यौरा बनाया जा रहा है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अवधि कितनी होगी ?

†**श्री हाथी** : योजना बनाई जा रही है । लेकिन योजना प्रशिक्षण के ढंग के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की है । प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य चर्चा तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री वारियार** : क्या ये प्रशिक्षणार्थी श्रमिक संघों से या उनकी सिफारिशों के अनुसार चुने जाते हैं । चुनाव कैसा होता है ?

†**श्री हाथी** : नहीं । अभी उनका चुनाव नहीं हुआ है । इस संस्था में अध्ययन कला का अध्यापक-प्रशासकों को शिक्षा दी जायेगी । वस्तुतः, यह "अध्यापन स्नातक" या "बी० टी०" के समान है । यह इसी लिए है । संस्था में अभी काय आरम्भ नहीं हुआ है ।

†**श्री बड़े** : क्या यह अन्य स्टेटों में भी कायम किया जायेगा या केवल एक ही जगह दिल्ली में रखा जायगा ?

†**श्री हाथी** : हो सकता है कि बम्बई में भी हो ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या विभिन्न राज्य में मंत्रालय के अन्तर्गत चल रही अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के आधार पर ही यह संस्था होगी ; यदि हां, तो इस केन्द्रीय संस्था का विशष कार्य क्या होगा ?

†**श्री हाथी** : यह बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है । इस संस्था में उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो श्रमिकों को पढ़ाने का काम करेंगे---अर्थात् अध्यापन-कला में प्रशिक्षण देने वाले ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस अध्यापन में श्रमिकों को श्रम संघ विधियों की और श्रम कल्याण योजनाओं की भी शिक्षा दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** हां : उन्हें श्रमिक संघ श्रमिक विधियों और अध्यापन-कला के कि श्रमिकों को ये बातें कैसे बतानी चाहियें दर्शन की शिक्षा दी जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस संस्था में कितने प्रशिक्षकों को लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** हमने अभी इन अध्यापकों की संख्या का निश्चय नहीं किया है।

†**श्री बसुमतारी :** इन प्रशिक्षकों की शिक्षा कितनी होनी चाहिये ?

†**श्री हाथी :** इन प्रशिक्षकों के लिए शिक्षा संबंधी अहर्ता यह होगी कि वे स्नातक हों उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन सामाजिक संस्थाओं से कोई डिप्लोमा लिया हो और श्रम क्षेत्र में कार्य करने का कुछ अनुभव हो।

†**श्री तुलसी दास जाधव :** यह क्लास कब शुरू होगी ?

†**श्री हाथी :** यह बात अभी निश्चित नहीं है। योजना बनाई जा रही है ?

यूरोपीय साझा बाजार

\+

†*१४६८. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि यूरोपीय साझा बाजार के चालू होने से भारत के निर्यात पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी वित्तीय हानि या लाभ होगा ;

(ग) क्या पारस्परिक आधार पर यूरोपीय साझा बाजार समुदाय से अनुकल शर्तें प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) क्या यूरोपीय साझा बाजार के चालू होने से होने वाली हानि को यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ बातचीत के द्वारा पूरा करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). योरोपीय साझा बाजार बनने के बाद पहिले दो वर्षों में अर्थात् वर्ष १९५८ और वर्ष १९५९ में योरोपीय साझा बाजार के देशों का भारत का निर्यात जो पहिले ही कम था घटकर क्रमानुसार ३९ करोड़ रु० ४८ करोड़ रु० का रह गया जब कि वर्ष १९५७ में ४९ करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। वर्ष १९६० में वह बढ़ कर फिर ४९ करोड़ रु० वर्ष १९६१ में ५५ करोड़ रु० का हो गया। सामान्य वैदेशिक प्रशुल्क अवस्थानुसार केवल तीसरे देशों पर लागू हो रहा है और वर्ष १९७० तक पूर्णतया लागू नहीं होगा।

(ग) हां श्रीमान। भारत योरोपीय साझा बाजार के देशों से व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के तत्वाधान मे वार्ता कर रहा है। यह वार्ता आगे बढ़ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भारत सरकार ने अनेक देशों से करार किये हैं और निर्यात में सामान्य वृद्धि करने के लिये अन्य कार्यवाही की है। हमें यह भी आशा है कि ब्रिटेन और योरोपीय साझा बाजार के देशों के बीच योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने के बारे में हो रही वार्ता से केवल हमारे विद्यमान व्यापार में हो रही हानि दूर न होगी बल्कि वृहत् योरोपीय समुदाय के आयात में भारतीय निर्यात को बड़ा भाग प्राप्त होगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : ब्रसेल्स में डिप्टियों के सभापति सिनर राबर्टो डूसी ने जो वक्तव्य दिया है जिसमें उल्लेख है कि योरोपीय साझा बाजार के देश कभी भारत पाकिस्तान और लंका के साथ व्यापक करार कर सकते हैं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह केवल आज ही प्राप्त हुआ है। सिनर राबर्टो डूसी के वक्तव्य की पूर्ण प्रतिलिपि की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार का ध्यान बोन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान के उद्योग मंत्री ने पश्चिम जर्मनी के विकास मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि योरोपीय साझा बाजार मे ब्रिटेन के शामिल होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि हां, तो क्या सरकार ने योरोपीय साझा बाजार के विभिन्न देशों अर्थात् जर्मनी, फ्रांस और इटली देशों के अध्यक्षों को, ऐसा ही अपना ज्ञापन भेजा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान। प्रश्न के पहिले भाग के बारे में, हमने समाचार-पत्रों में श्री खान का वक्तव्य और उनका प्रत्यावेदन देखा है, यद्यपि, हां, हमारे पास प्रेस संक्षेप को छोड़कर और कोई अभिलेख नहीं है। उनकी कार्यवाही लगभग हमारी कार्यवाही जैसी प्रतीत होती है। जहां तक योरोपीय साझा बाजार के छः देशों के प्रति हमारे दृष्टिकोण का संबंध है, मैंने पिछले ही सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा था।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हिन्दुस्तान के यूरोपियन कौमन माकट एग्रीमेंट में शरीक होने के पहले यू० के० सरकार से भी इस बारे में सलाह ली जायगी?

श्री मनुभाई शाह : काफी निगोशियेशंस पिछले तीन महीनों में चल रही हैं। अब इस में किसी देश की सरकार की सलाह लेने का सवाल नहीं है। हमारा खुद का एप्रोच इंडिपेंडेंट है और हमारा इंटरैस्ट किसी चीज में है इस को देखते हुए हम यू० के० सरकार और ई०सी०एम० की छै सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री ने फील्ड मार्शल मान्टोगोमरी के वक्तव्य का अध्ययन किया है जिसमें उल्लेख है कि योरोपीय साझा बाजार योजना मितव्ययी नहीं है अपितु राजनैतिक है और इसका अर्थ है एक बड़े निकाय को अपनी प्रभुसत्ता सौंपना और, यदि हां, तो भारत क्या कार्यवाही करेगा?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस विषय पर हमने प्रत्येक वक्तव्य का अध्ययन किया है। प्रत्येक आर्थिक समूहन का अपना ही राजनीतिक प्रतिरूप होता है। इसका भी विचार रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि श्री के० बी० लाल ने निवेदन किया है कि प्रधान मंत्री राज्याध्यक्षों से वार्ता करें और उनको वे प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो हम छः देशों को दिये हैं, और यदि हां, तो यह कब होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रेस समाचार इस बारे में है कि वे इस बारे में क्या विचार रखते हैं कि हमारे राजदूत ने प्रधान मंत्री से क्या बात चीत की। जहांतक हमारा दृष्टिकोण है, सभा को सभा में दिये गये अनेक वक्तव्यों, अनेक प्रश्नों के उत्तरों, ब्रिटेन को दिये गये हमारे ज्ञापन और रोम सन्धि के छः देशों को दिये गये हमारे ज्ञापनों से भली भांति स्पष्ट हो गया है ?

†**श्री नाथ पाई :** क्योंकि योरोपीय साझा बाजार के कुछ सदस्य 'एड इण्डिय क्लब' के भी सदस्य हैं, इसलिए उन्हें बताया गया है कि योरोपीय साझा बाजार की प्रतिबन्धक प्रथाओं और उनके विभिन्न प्रशुल्कों के कारण, वे एक ओर जो भी सहायता के रूप में देते हैं वे प्रशुल्क प्रतिबन्ध द्वारा दूसरी ओर वापस ले लेते हैं ?

†**श्री मनभाई शाह :** हमने जो कहा है वह माननीय सदस्य के कथन से थोड़ा भिन्न है। हमने कहा है कि हम आभारी हैं और हमारी विकास परियोजनाओं के उन देशों ने हमें जो दीर्घकालीन ऋण दिये हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु यदि रोम सन्धि के परिणामस्वरूप प्रतिबन्धक प्रथाएं लागू होती हैं तो यह हमें ऋणों का भुगतान करने में बहुत ही असमर्थ बना देगा। ये सब बातें स्पष्ट कही गई हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने योरोपीय साझा बाजार के देशों को राष्ट्र-मण्डल के कुछ देशों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है और, यदि हां, तो क्या व्यापक करार संबंधी अन्य प्रस्ताव में यह कोई सुधार है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ भी हो, व्यापार वस्तु अध्ययन, उनकी मात्रा और प्रशुल्क का मामला है। अतः, सामान्य कार्यवाही करना संभव न होगा। उन्हें हमने हाल में वस्तुवार जो विस्तृत रिपोर्ट दी है, उसमें इन बातों का उल्लेख है कि आजकल राष्ट्रमण्डलीय देशों की क्या प्राथमिकतायें प्राप्त हैं, विभिन्न वस्तुओं पर क्या क्या प्रशुल्क लागू है, प्रशुल्क किस किस पण्य वस्तु पर न लगे।

†**श्री त्यागी :** समाचारपत्रों में आज एक वक्तव्य छपा है कि राष्ट्रमण्डलीय देश भारत, लंका और पाकिस्तान के साथ करार करने के लिए सहमत हैं, जो कुछ वस्तुओं पर शुल्क न लगने के बारे मे होंगे। यह बात कहां तक सच है।

†**श्री मनुभाई शाह :** शायद माननीय सदस्य योरोपीय साझा बाजार के देशों का उल्लेख करते हैं, राष्ट्रमण्डलीय देशो का नहीं। वक्तव्य योरोपीय देशों की ओर से था और जैसा कि मैंने एक पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था, हम वक्तव्य की पूर्ण प्रतिलिपि आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मामले पर आगे विचार कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में कृषकों के लिये रोजगार

†*१४६९. **श्री इलया पेरुमाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदी के मौसम में मद्रास राज्य में कृषकों को रोजगार दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से परियोजनायें चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें कितनी हैं और उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मंडी के मौसम में बेरोजगार होने वाले कृषकों की कुल संख्या की ओर विशेष ध्यान देते हुए इन योजनाओं के अधीन कितनी रोजगार क्षमता प्राप्त होने का अनुमान है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कार्य प्रोग्रामों की अग्रिम परियोजना ग्रामीण जन शक्ति का प्रयोग करने के लिए मद्रास सरकार ने वर्ष १९६० में हल्के कृषि मौसम में भारत सरकार के कहने पर आरम्भ की थी। दूसरी श्रंखला में, मद्रास सरकार को १३ और अग्रिम परियोजनायें वर्ष १९६१–६२ और वर्ष १९६२–६३ में आरम्भ की जाने के लिए नियत की गई हैं। पहिली या दूसरी श्रंखला में चलाई गई सारी अग्रिम परियोजनाओं के लिए सारा वित्त वर्ष १९६१–६२ के अन्त तक केन्द्र ने जुटाया था। वित्त वर्ष १९६२–६३ से परियोजनाओं का व्यय केन्द्र ५०% अनुदान और ५०% ऋण के आधार पर उठायेगा। प्रत्येक परियोजना का व्यय पहिली अवस्था में २ लाख रु० था (अर्थात् वह अवधि जो एक वित्त वर्ष में हल्की कृषि के मौसम में आरम्भ होती है जबकि परियोजनायें आरम्भ होती हैं और दूसरी वित्तीय वर्ष के अन्त तक चलती है)।

२. मद्रास में अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं मे छोटी सिंचाई, गावों में पौदे लगाना, कन्टूर वन्डिग करना, गांव में सड़क बनाना, इमारती सामान का बनाना और मिट्टी को सुरक्षित रखना शामिल हैं। सारी परियोजना पर वर्ष १९६२–६३ के अन्त तक की अवधि में ३० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। आशा है कि वे लगभग १६,५०० कृषि मजदूरों को वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में हल्के कृषि मौसम में एक वर्ष में १०० दिन के लिए रोजगार देंगे। हल्के मौसम में बेकार कृषि मजदूरों की कुल संख्या का अनुमान एक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

दवाइयों की कीमतें

†*१४७०. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनमें दवाइयों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का ध्यान अमरीका की केफावर समिति द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में दवाइयों की कीमतें कम करने के लिये कोई कदम उठाये हैं या उठायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार को अमरीका की केफावर समिति के वक्तव्य का पता है दवाइयों का मल्य साधारणतया भारत में संसार में सर्वाधिक है। दवाइयों के अन्तर्राष्ट्रीय पैमानों—मूल्यों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु भारत में बनी कुछ दवाइयों का मूल्य यदि दवाइयों का आयात किया जाये तो बीमा व भाड़ा सहित मूल्य की तुलना में अधिक है। केफावर समिति के मतों से कोई निर्णय करना अव्यवहारिक है क्योंकि इस देश के उद्योग हलके और छोटे उद्योग हैं और अमरीका जैसे राष्ट्रों की दवाई बनाने की पुरानी और सुप्रसिद्ध दवाई निर्माता फर्मों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती ।

दवाइयों और भेषजों सम्बन्धी विकास परिषद् की टेक्निकल उप-समिति के ऊंचे मूल्यों और उसके विभिन्न पहलुओं का विशेषकर यह ध्यान रख कर कि तीसरी योजना-काल में देश में अनेक अतिरिक्त दवाइयां बनाई जायेंगी, अध्ययन करेंगी।

†**श्री मे० क० कुमारन** : विवरण में दवाइयों के ऊंचे मूल्य होने का कुछ कारण बताया गया है। क्या यह सच नहीं है कि पेटेन्ट्स विधि के अधीन विशिष्ट दवाइयों को दिया गया संरक्षण भारत में दवाइयों के अधिक मूल्य होने का अधिक महत्वपूर्ण कारण है।

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान्। स्थिति अन्यथा है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : विवरण में उल्लेख है कि ऊंचे मूल्य का कारण है हमारे उद्योग हल्के और छोटे हैं, परन्तु केफावर समिति ने ज़ोर दिया है कि अमरीकी फर्में भारत में दवाइयां ऊंचे मूल्य पर बेचें। अमरीकी फर्मों द्वारा भारत में दवाइयां ऊंचे मूल्यों पर बेचने का सरकार क्या कारण मानती है ?

†**श्री कानूनगो** : विदेशी दवाइयों का आयात मुक्त रूप से नहीं होता है। इस पर पर्याप्त प्रतिबन्ध है। यह पहिली बात है। दूसरी बात यह है कि केफावर समिति, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स फीड्रल बीरू, ने जांच पड़ताल की है और वे आरोप जो रिपोर्ट में लगाये गये हैं और जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सही नहीं पाये गये।

†**श्री वारियर** : ओरोमाइसीन तथा अन्य एन्टी बाओटिक्स जैसी कुछ पेटेन्ट दवाइयों का भारत में मूल्य और अमरीका में मूल्य में कितना अन्तर है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने एक बार मूल्यों में अन्तर बताया था। काफी अन्तर है। इसका कारण यह है कि हमारा उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि नहीं है पिम्परी की पेन्सलीन का थोक मूल्य संसार के मूल्यों से पांच गुना अधिक है ? यदि हां, तो दवाइयों के मूल्य कम रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि राष्ट्र स्वस्थ बना रहे ?

†**श्री कानूनगो :** संसार मूल्य जैसी कोई बात नहीं है । मूल्य प्रत्येक देश में भिन्न हैं । परन्तु यह सच है कि हमारा उत्पादन मूल्य और मूल्य अधिक है । हमें आशा है कि उत्पादन अधिक होने से वह कम हो जायेगा । यदि हम आयात करने लगें तो मूल्य कम हो जायेगा ।

†**श्री वारियार :** क्या केफावर समिति ने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय कारखानों में एन्टी-वायोटिक्स का मूल्य काफी अधिक है और अकुशलता भी इसका एक कारण है ?

†**श्री कानूनगो :** हम इससे सहमत नहीं हैं । यह सच है कि हमारा मूल्य अधिक है परन्तु इसके कारण सर्वथा भिन्न है । आशा है कि यथासमय हमारी उत्पादन मात्रा बढ़ने पर मूल्य कम हो जायेगा । वास्तव में, पिछले तीन या चार वर्ष में मूल्य कम हो गया है ।

डा० गोविन्द दास : हिन्दुस्तान में चार पद्धतियों की दवाइयों का प्रचार है : एलोपैथी, होमियोपैथी, वैद्यक और हकीमी । क्या इस बात का कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि जिन पद्धतियों की दवाइयां सस्ती हैं, उन को प्रोत्साहन दिया जाये और उन का प्रचार बढ़ाया जाये ?

श्री कानूनगो : यह सवाल तो एन्टी-वायोटिक्स के बारे में है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय मंत्री ने कहा था कि आयात में भारी कटौती करने के कारण हम इन दवाइयों को कम मूल्य पर नहीं ले पाते हैं । इस बात का ध्यान रख कर मूल्य बहुत अधिक है क्या अभी उस समय तक कुछ अधिक आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक हमारा उत्पादन बढ़े ?

†**श्री कानूनगो :** आयात भी होता है । यही कारण है कि सरकार एन्टीवायोटिक्स का उत्पादन बढ़ा रही है और इसके लिये लगभग २० करोड़ रुपये लगा रही है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं कहती हूं कि जब तक हम दवाइयां थोड़े मूल्य पर उपलब्ध न कर सकें तब तक ऐसी आवश्यक वस्तु का आयात बड़े पैमाने पर होता रहना चाहिये ।

†**श्री कानूनगो :** हम आवश्यकतानुसार आयात करते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** विकास परिषद् की टेक्निकल समिति कितने समय से दवाइयों के ऊंचे मूल्यों और अन्य मामलों की जांच कर रही है, और क्या अब तक उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्री कानूनगो :** उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है । वे अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

डा० गोविन्द दास : अभी मैंने जो सवाल पूछा था उस के उत्तर में यह कहा गया कि यह सवाल एन्टीवायोटिक्स के सम्बन्ध में है, परन्तु यह सवाल केवल उन दवाइयों के सम्बन्ध में न हो कर सब दवाइयों के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्य ने यह सवाल किया था, उन का मतलब एन्टी-बायोटिक्स से ही था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टैन्डर्ड कपड़ा योजना

+

†*१४७१. { **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टैन्डर्ड कपड़ा क्रय और वितरण योजना का हिसाब बंद कर दिया है ;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों के दावे निपटा दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सभी राज्य सरकारों के दावों की जांच कर ली गई है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । अभी पश्चिम बंगाल के बारे में अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है क्योंकि राज्य के दावे की पुष्टि में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र देर से मिला । यह भी हो गया है । वर्ष १९६१–६२ के लेखे में इस दावे का समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है । इस बारे में राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होते ही आवश्यक स्वीकृति दे दी जायेगी और समूची योजना का लेखा बन्द कर दिया जायेगा ।

†**श्री वारियर** : यह खाता कितने समय तक अनिश्चित पड़ा रहा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लेखे निश्चित करने के कुछ मास लगेंगे । लेखा दो सरकारों के बीच केवल सवा लाख रुपयों का है और यह बहुत शीघ्र निश्चित हो जायेगा अर्थात् जैसे ही दोनों ओर के लेखापरीक्षक उसे स्वीकार करते हैं वैसे ही प्रविष्टियां ठीक हो जायेंगी ।

†**श्री वारियर** : इस खाते को निश्चित किये और दिल्ली तथा बंगाल सरकारों के अंश दिये बिना इस खाते को अनिश्चित पड़ा रहने देने के क्या कारण थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राज्य सरकारों ने, जिन्हें प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार से करोड़ों रुपये मिलते हैं, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई । यह पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच १,२१,००० रु० का छोटा सा खाता है । यह बात तो मानने योग्य है कि अनेक छोटे छोटे वाऊचरों की जांच और अनेक इनवाइसों की जांच पड़ताल करने में समय लगता है । यह कार्य इस वर्ष पूरा हो जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यातकों को ऋण की सुविधायें

+

*१४७२. { **श्री बशन चन्द्र सेठ :**
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को ऋण की अधिक सुविधायें देने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी, हां। इस मामले की जांच की जा रही है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मुदलियार समिति ने सिफारिश की है कि कच्चे माल के आयात का वित्त-प्रबन्ध करने के लिये एक पर्यावर्ती निधि का निर्माण किया जाये ताकि उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके और देश का निर्यात बढ़ सके ; यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सिफारिश बहुत उपयोगी पाई गई हैं और हम प्रारंभ में २०० लाख डालर अर्थात् लगभग १० करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा में) की एक निधि पुर्जों आदि के आयात के वित्त-प्रबन्ध और हमारे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के लिये निर्माण कर रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई :** क्या सरकार उन निर्यातकों को, जिन्हें अपने निर्यात के कारण कभी-कभी हानि उठानी पड़ती है, प्रत्यक्ष सहायता देने के बजाय आयात के लाइसेंस देने पर विचार कर रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम का एक अंग हैं। हम पहले तो कच्चे माल के आयात का वित्त-प्रबन्ध करने की कोशिश करते है। नकद सहायता देने के बारे में तभी विचार किया जाता हैं जब कच्चे माल का आयात का कुछ भी न हो और विश्व के बाजार में हमारा माल न खप सका हो।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या निर्यातकों को निधि देने के लिये अलग वित्त निगम या वित्तीय अभिकरण की स्थापना पर विचार किया जा रहा हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हम जहं तक संभव हो वर्तमान संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। यदि कोई संस्था यह जिम्मेदारी ले सकती है तो हम उसे यह जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश करेंगे। किन्तु यदि हम यह देखते है कि निर्यात विध प्रबन्ध की पूंजी, ब्याज की दर और आस्थगित भुगतान की गारंटी आदि सब बातों की कार्यवाही एक नया निगम अधिक अच्छे ढंग से कर सकेगा तो वह भी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें

†*१४७३. **श्री कछवाय :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(१) मध्य प्रदेश में इस समय चीनी की कितनी मिलें है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) इन में से कितनी मिलों ने अब तक चीनी वेतन-मंडल की सिफारिशें लागू की है और कितनी मिलों ने नहीं लागू की हैं ;

(३) चीनी की जिन मिलों ने सिफारिशें लागू नहीं की है उनके नाम क्या है ; और

(४) अन्य चीनी मिलों द्वारा वेतन-मंडल की सिफारिशें अब तक नहीं लागू करने का कारण क्या हैं और उन्होंने सिफारिशों को कब तक लागू करने का आश्वासन दिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : स्थिति इस प्रकार हैं :—

(१) पांच ।

(२) और (३) सिफारिशों को लागू करने के लिये इन पांचों मिलों में समझौते हो गये है और कुछ में अदायगी शुरू हो गई हैं। दो मिलों में कर्मचारियों के वर्गीकरण के बारे में मतभेद हैं। बोनस के सवाल पर भी बात चल रही हैं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कछवाय : क्या यह सच हैं कि इन मिलों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को सीजन के बाद बदल दिया जाता हैं ?

श्री हाथी : किस मिल की बात कर रहे है ?

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि सीजन नहीं होने पर घर बैठने वाले कर्मचारियों को क्या कुछ भत्ता मिलता हैं या नहीं मिलता हैं ?

श्री हाथी : वहां पांच मिलें है, किस मिल की बात कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने वह छोड़ दिया हैं और पूछते है कि भत्ता मिलता हैं या नहीं मिलता हैं ।

श्री कछवाय : सभी मिलों में ।

अध्यक्ष महोदय : पांचों मिलों के बारे में पूछते हैं ।

श्री हाथी : पांच मिलों में से भोपाल की जो शूगर मिल हैं, इस में मिल चुका है, मिलता हैं। दूसरी मिल में भी मिलता हैं। तीसरी में भी मिलता हैं। चौथी में भी मिल गया हैं। पांचवीं में एग्रीमेंट हो गया हैं, मिला नहीं हैं। देने का समझौता हो गया हैं।

श्री बड़े : दो मिलों में जहां मिलता नहीं हैं वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वे मिलें कौन सी है ? छः महीने तक वेज बोर्ड की सिफारिशों पर कुछ भी अमल नहीं किया जाता है और जो मिल मजदूर है वे खाली पड़े रहते है, उन के बारे में क्या किया गया हैं ? वेज बोर्ड न मानने के बारे में क्या सैंटर ने कोई आदेश मध्य प्रदेश की सरकार को दिये है या मिलों को कोई आदेश दिये है ?

अध्यक्ष महोदय : कितने सवाल एक सवाल में आप पूछेंगे ?

श्री हाथी : इस के बारे में वर्कर्ज के रिप्रिजेंटेशन आये थे और हम ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लिखा है कि वहां स्टेट लेवेल पर एक ऐसी ट्राइपारटाइट मशीनरी क्रियेट करें कि जहां वर्कर्ज, एम्प्लायर्ज वगैरह मिल बैठ कर समझौता कर सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने एग्री कर लिया हैं कि वहां ऐसा एक व्यवस्था हो जाय ।

श्री बड़े : छः महीने खाली जो मजदूर घर पड़े रहते है तो उन को कुछ मिलता नहीं हैं। इस के बारे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया हैं या नहीं लिया हैं और अगर नहीं लिया है तो क्यों नहीं जिया हैं ?

श्री हाथी : मध्य प्रदेश को लिखा हैं एक्शन लेने के लिये और मध्य प्रदेश सरकार एक्शन ले रही हैं और कई मिलों के साथ समझौता हो गवा है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं वरन् अन्य राज्यों में कार्यान्वय में विलम्ब हो रहा हैं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न मध्य प्रदेश के बार में हैं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : विलम्ब इस कारण हो रहा है कि कार्यान्वय के दौरान सम्बन्धित पक्षों द्वारा व्यक्त सन्देहास्पद बातों का समाधान नहीं किया गया क्योंकि मंत्रालय ने इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में हैं और जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध हैं, यह व्यवस्था की जा चुकी हैं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : और भी दो कारखाने है ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय मैं ने दो फैक्ट्रीज के नाम पूछे थे जिन्होंने वेज बोर्ड को नहीं माना हैं और जहां पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ हैं। इस का जवाब नहीं दिया गया हैं ।

श्री हाथी : भोपाल शुगर मिल्ज, सीहोर : सभी सिफारिशें लागू करने के लिये समझौता हो गया । ग्वालियर शुगर मिल्ज लिमिटेड : सभी सिफारिशों को लागू करने का समझौता हो गया । जावरा शुगर मिल्ज बढ़ी हुई दर से मजूरी और महंगाई भत्ता देने का समझौता हो गया । बोनस के प्रश्न पर वार्ता हो रही है । जिवाजी शुगर मिल्ज : महंगाई भत्ता आदि देने की सिफारिश के बारे में समझौता हो गया । संधारण भत्ता देने के बारे में किसी और आधार पर समझौता हो गया । गोविंद राम शुगर मिल्ज : महंगाई भत्ता देने के बारे में समझौता हो गया । संधारण भत्ता देने के बारे में समझा जाता हैं कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये है कि कम्पनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि पहले दो वर्ष कोई भत्ता न दिया जाये, तीसरे वर्ष ५० प्रतिशत दिया जाये और चौथे तथा पांचवें वर्ष पूरी दर से भत्ता दिया जाये । वहां उभय पक्षों में समझौता हो गया हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या यह सही है कि वेज बोर्ड की रिकोमेंडेशन्ज से जो पुराने फैक्ट्रीज के नौकर है, उन की तनख्वाह में तो कम बढ़ोतरी हुई हैं और जो एक एक या दो दो साल के नौकर थे, उन को ज्यादा फायदा हुआ हैं जिस की वजह से उन में आपस में इस के बार में बड़ा डिससैटिसफेक्शन हैं ?

श्री हाथी : ऐसी कोई बात मेरे खयाल में नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलौह धातुएं

†*१४७५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित हैं कि अलौह-धातु नियंत्रण आदेश १९५८ के अन्तर्गत अलौह धातुओं का नियंत्रित आयात वितरण होने के बावजूद इन धातुओं के मूल्य भारतीय आर्थिक पत्रिकाओं में दिये जाते है ;

(ख) क्या सरकार को विदित हैं कि 'ब्लिस्टर' तांबे का मूल्य नियंत्रित वितरण के अन्तर्गत ३,००० रु० प्रति टन है, जबकि बाजार में यह ५,६०० रु० प्रति टन को दर पर निर्बाधित रूप में उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह पता लगाने के लिये कि यह बाजार में कहां से आता हैं और इस अनिवार्य औद्योगिक कच्चो वस्तु का मूल्य कम करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं। **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ३४।]**

†**श्री प० कुन्हन** : क्या यह सच है कि बाज़ार के मूल्य नियंत्रित दरों से अधिक है ?

†**श्री कानूनगो** : इस वस्तु का बाज़ार का कोई मूल्य नहीं हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से नियंत्रित वस्तु हैं और जो लोग वास्तव में इसे काम में लाते है उन्हें हो आयात लाइसेंस दिये जाते है।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या सरकार के पास इन धातुओं को छोटे उद्योगों को नियंत्रित मूल्यों पर देने को कोई योजना हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां। लघु उद्योग निगम और उद्योग निदेशक यह कार्य करते हैं।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह सच है कि इन धातुओं के आयात और वितरण पर दो-तीन बड़ी फर्मों का एकाधिकार है जिससे खुले बाज़ार में इन धातुओं के मूल्य निश्चित रूप से बढ़े हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

†**श्री वारियार** : क्या 'अनराट' ताम्बे के काला बाज़ार का कोई मामला सरकार के ध्यान में में आया है और यदि हाँ, तो सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरा ख्याल है कि दो वर्षों में मूल्य के बारे में कोई दर्जन शिकायतें आईं जिन्हें निपटा दिया गया है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को देखते हुए कि उद्योगों की अलौह धातुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त अलौह धातुएं उपलब्ध नहीं हैं, क्या नये लाइसेंस उन्हीं छोटे उद्योगों को दिये जायेंगे जो अलौह धातुओं को काम में लाते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : लाइसेंस पहले ही सीमित कर दिये हैं और अलौह धातुओं का संभरण पर्याप्त नहीं होता यह तो सभी जानते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने इस शिकायत की जाँच की है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य ३६०० रु० प्रति टन है किन्तु वास्तव में बाज़ार में उसका मूल्य लगभग ५,६०० रु० प्रति टन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका कोई बाज़ार नहीं है । उसका वितरण पूर्ण रूप से नियंत्रित है और उसकी अधिकाँश मात्रा उन्हीं को दी जाती है जो वास्तव में उसे काम में लाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह तो सीधी सी बात है किन्तु मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री तुलसी दास** जाधव: कच्चे माल का पक्का बनाने वाले कारखानेदारों को लाइसेंस देने के बजाय व्यापारियों को क्यों लाइसेंस दिया जाता है, इसका क्या हेतु है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने पहले कहा है कि मोस्ट आफ इट इज़ फार एक्चुअल यूजर्ज़ ।

†**श्री भावगत झा आजाद** : क्या यह सच है कि यह चीज़ काले बाज़ार में ५,६०० रु० प्रति टन की दर से बेची जा रही है जबकि सरकार ने इसका मूल्य ३,६०० रु० प्रति टन निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो क्या इस बात की जाँच की गई है या नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को और न सरकार को ही यह शिकायत प्राप्त हुई है कि इस चीज़ को कोई व्यक्ति ५,६०० रु० प्रति टन की दर से बेच रहा है ।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या भारत में अब तक इस सम्बन्ध में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हाँ । सर्वेक्षण बराबर किये जाते हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमें ताम्बे के पर्याप्त निक्षेप नहीं मिल सके ।

†**श्री वारियार** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि मूल्यों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुइ थीं । ताम्बा किस मूल्य पर बेचा गया था और उसका नियंत्रित मूल्य क्या था ?

†**श्री कानूनगो** : यह माल पर निर्भर करता है । हम लागत बीमा भाड़ा मूल्यों पर ३½ प्रतिशत बट्टा देते हैं और कभी-कभी मूल्यों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है ।

उड़ीसा की खानों में लौह अयस्क का इकट्टा होना

†*१४७६. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की विभिन्न खानों और रेल सीमान्तों पर लौह-अयस्क का स्टाक इकट्ठा हो गया है जो राज्य व्यापार निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता; और

(ख) क्या उन स्टाकों को बेचने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इस महीने की १२ तारीख को रेलवे मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बराजमदा में पड़े हुए अयस्क को उठाने के लिये २७१३ बी०जी० वैगन और बदामपहाड़

---

†मूल अंग्रेजी में

में पड़े अयस्क को उठाने के लिये १० बी० जी० वैगन की आवश्यकता है । किन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि वहाँ कोई स्टाक इकट्ठा नहीं हुआ है ।

श्री मनभाई शाह : हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों ने उड़ीसा के इन क्षेत्रों का दौरा करके सूचित किया है कि बारबिल–बाँसपा ी–बराजमदा क्षेत्र में २,६१,५३० टन, जाजपुर–केओनझर क्षेत्र में १३,८४६ टन और बदामपहाड़ में ४,३१० टन स्टाक पड़ा हुआ है। कुल स्टाक लगभग २,७९,००० टन है । माननीय सदस्य को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि जितना स्टाक उठाया जा रहा है उसे देखते हुए वहाँ इकट्ठा हुआ स्टाक बहुत ज्यादा नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने जो आँकड़े दिये हैं वे रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये आँकड़ों से भिन्न हैं । क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों तक राज्य व्यापार निगम निजी खान मालिकों से लौह अयस्क खरीदकर हिन्दुस्तान स्टील्ज़ को देता रहा है किन्तु अब उसने खरीदना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप वहाँ स्टाक इकट्ठा हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या वह इस अयस्क को बेचने की कोशिश कर रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील्ज़ की खानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और इसलिये राज्य व्यापार निगम द्वारा उस क्षेत्र में निजी खान मालिकों से खरीदे जाने वाले अयस्क की मात्रा काफी कम हो गयी है । इसलिये हम इस अयस्क का निर्यात करने के लिये प्रयत्नशील हैं ताकि खानों की वर्तमान क्षमता बनी रहे और उसमें वृद्धि भी हो किन्तु हमारी वास्तविक कठिनाई माल के परिवहन की है। राज्य व्यापार निगम का ९ लाख टन खरीदने का वायदा था जबकि १ अप्रैल, १९६२ तक केवल १,४४,००० टन माल का परिवहन किया जा सका । हम रेलवे मंत्रालय और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर दबाव डाल रहे हैं कि अधिक परिवहन की व्यवस्था की जाये और आशा है कि स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय मंत्री ने जिस स्टाक के आँकड़े दिये वह रेल सीमान्तों पर इकट्ठा हुआ है या खानों पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आँकड़े क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये हैं और मैं यह नहीं कह सकता कि वे शत प्रतिशत सही हैं । हम स्टाक के आकार को देखकर अनुमान लगाते हैं और किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता कि स्टाक बहुत ज्यादा है । वास्तविक कठिनाई यह है कि हिन्दुस्तान स्टील्ज़ लिमिटेड की खानों का उत्पादन आरम्भ हो जाने से राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती रही खरीद बहुत घट गई है और इसलिये हम निर्यात पर ध्यान दे रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैंने तो यह पूछा था कि क्या यह स्टाक रेल सीमान्तों पर इकट्ठा हुआ है या खानों पर ?

†**श्री मनभाई शाह** : स्टाक रेल सीमाओं पर इकट्ठा हुआ है । खानों पर पड़े स्टाक का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : माननीय मंत्री ने परिवहन की कठिनाई का उल्लेख किया है । क्या यह सच है कि इसके फलस्वरूप निजी खान मालिकों द्वारा किये गये उत्पादन का निर्यात नहीं किया जा सकता और इस कारण उनकी खानों के बन्द होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : वे बन्द न हों लेकिन यह आशंका होती है कि उत्पादन में जिस गति से वृद्धि हो रही थी वह रुक सकती है । इसलिये हमारा ध्यान अब निर्यात की ओर अधिक है । हम अधिकाधिक लौह अयस्क का निर्यात करना चाहते हैं । जैसा कि सदन को ज्ञात है इस वर्ष के लिये हम ने ५० लाख टन के निर्यात का लक्ष्य रखा है । किन्तु लौह अयस्क के निर्यात में सब से बड़ी बाधा परिवहन के अभाव की है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमन्, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रश्न के भाग (क) में खानों और रेल-सीमान्तों पर इकट्ठा हुए स्टाक की जानकारी माँगी गयी थी जबकि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आँकड़े रेल सीमान्तों के हैं । मैं दोनों के आँकड़े चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह**: : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । प्रत्येक खान में कितना स्टाक इकट्ठा हुआ है इसका अनुमान लगाना असंभव है । आम तौर पर खनन क्षेत्र में अधिकाधिक अयस्क को रेल के सीमान्तों पर पहुंचा दिया जाता है । यदि रेल-सीमान्तों पर बहुत ज्यादा स्टाक इकट्ठा हो गया तो खानों का उत्पादन भी प्रभावित होगा और वहाँ ज्यादा स्टाक इकट्ठा न होगा ।

गोआ में सीमा शुल्क प्रतिबन्ध

†१४७७. **श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ और शेष भारत के बीच कितने समय तक सीमा शुल्क प्रतिबन्ध लागू रखने का सरकार का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : गोआ, दमन और दीव की जनता के रहन सहन के तरीके को एकदम न बदलना चाहने के कारण सरकार वहाँ कुछ वस्तुओं के सीमित मात्रा में आयात की अनुमति दे रही है जो शेष भारत में आयात नहीं करने दी जाती हैं । यही नहीं विस्तृत छानबीन होने तक राज्य-क्षेत्र में वर्तमान पुर्तगाली कानूनों प्रशुल्क कानूनों को सम्मिलित करके, को ही जारी रखा जा रहा है । ऐसी आयात की गई वस्तुओं को शेष भारत में जाने से रोकने के लिये सरकार गोवा, दमन और दीव से भारत के अन्य भागों को माल ले जाने पर नियंत्रण रखती । जैसे ही गोआ, दमन और दीप के लिये आयात नीति और उस राज्य-क्षेत्र में प्रशुल्क कानून शेष भारग के अनुसार बना दिये जायेंगे यह नियंत्रण हटा लिया जायेगा ।

†**श्री नाथ पाई** : सामान्यतः सीमाशुल्क द्वार दो प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के बीच रख जाते हैं, एक ही देश के विभिन्न भागों के बीच नहीं । क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोआ की जनता में इस सीमा शुल्क द्वारा को बनाये रखने के कारण बहुत असंतोष है क्योंकि वह उसे उपनिवेशवादी भूत-काल की याद दिलाता रहता है और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधक हो रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सीमाशुल्क संगठन कुछ थोड़ी सी वस्तुओं और थोड़े से समय के लिये कायम रखना है । मैं नहीं समझती कि गोआनियों ने कोई ऐसी बात महसूस की हो, जो माननीय सदस्य के दिमाग में है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि लोगों ने बम्बई के समाचार पत्रों में, संभवतः सरकार से नहीं, इस प्रकार की शिकायतें की हैं कि सीमाशुल्क अधिकारी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं मानोंकि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन अधिकारियों को क्या हिदायतें जारी की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सीमाशुल्क अधिकारियों को सामान्य हिदायतें यही हैं कि वे कानून को क्रियान्वित करें, लोगों के साथ नम्रतापूर्ण और शिष्ट व्यवहार करें और उनको किसी भी प्रकार तंग न करें ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि सीमाशुल्क कार्यालयों में अभी भी पहले जैसी ही देर होती है और लोगों को कठिन यात्रा के पश्चात् तीन-चार घंटे रुका रहना पड़ता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे नहीं मालूम ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीया मंत्री ने पुर्तगाली कानूनों के कायम रखे जाने का निर्देश किया । क्या इसके परिणामस्वरूप गोवा के गुप्त स्वयं सेवक दल के कुछ सदस्य गिरफ्तार किये गये और उनके उपवास करने पर उनको मुक्त करना पड़ा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सीमाशुल्क द्वार से सम्बन्धित है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने अभी पुर्तगाली कानूनों का निर्देश किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सीमाशुल्क द्वार से सम्बन्धित है, अन्य कानूनों से नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि ये सीमाशुल्क द्वार गोआ की जनता के लिये कुछ आयातों की सुविधा के लिये रखे गये हैं । क्या भारतीय राज्यक्षेत्र से गोआ में माल ले जाने पर कोई नियंत्रण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई भी रोक नहीं है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहुत से भारतीय व्यापारी गोआ के लोगों के साथ, जिनको आयात लाइसेंस प्राप्त है, बेनामी सौदे कर रहे हैं और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या रोकथाम की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न चीज़ है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जब यह बात सरकार के नोटिस में आयेगी तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : वे कौन सी वस्तुयें हैं जिनके गोआ में आयात की अनुमति है तथा भारत के अन्य भागों में नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ऐसी २३ वस्तुयें हैं । क्या मैं उनकी सूची पढ़ कर सुनाऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी कोई ज़रूरत नहीं है । यदि आवश्यक हो वह माननीय सदस्य को दे दी जाय अथवा सभा पटल पर रख दी जाये ।

†**श्री मुरारका** : क्या गोआ में भारत के समान ही आयात शुल्क हैं अथवा उनमें कोई अन्तर है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस समय तो गोआ में वही आयात शुल्क हैं जो पुर्तगाली शासन के समय में थे तथा हम उनको भारत के शुल्कों के अनुसार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । गोआ की प्रशुल्क नीति और प्रशुल्क विधियों की जांच करने के लिये एक समिति भेजी गई है । बाद में इस

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। जैसा कि मैं बता चुकी हूं, यह अस्थायी व्यवस्था है और ये सीमा शुल्क द्वार हटा दिये जायेंगे ।

†**श्री वारियर** : क्या वही सीमाशुल्क अधिकारी अभी भी कार्य कर रहे हैं जो पुर्तगाली शासन में थे अथवा उनमें कोई बदले भी गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कुछ बदल गय हों, यह तो ब्यौरे की बात है ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीया मंत्री ने कहा कि गोआ में आने वाली वस्तुओं का देश के अन्दर लाया जाना रोकने के लिये कुछ नियंत्रण लगाये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि गोआ-भारत सीमान्त—खेद है कि मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि आपने यह भेदभाव बना रखा है—पर सीमाशुल्क अधिकारी जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह बम्बई, कलकत्ता अथवा दिल्ली आने वाले यात्रियों के साथ अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है ?"

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्यौरे सम्बन्धी छोटी सी बात है।

†**श्री नाथ पाई** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसके महत्व को मानने से इन्कार नहीं करता परन्तु वह ब्यौरे की बात है।

†**श्री नाथ पाई** : मंत्री महोदया ने कहा कि वहां कुछ नियंत्रण है ।

अध्यक्ष महादय : श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** : चूंकि देर से की गई कार्रवाई से और भी जटिलतायें उत्पन्न होती है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि गोआ को समस्त प्रयोजनों के लिये भारत का अभिन्न अंग मान लेने में हिचक करने का क्या कारण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम पुर्तगाली गोआ के अन्य देशों के साथ व्यापार को छोड़ना नहीं चाहते हैं इसलिये हम उन्हें गोआ के व्यापार के परिवर्तित रूप के अनुसार व्यवस्था करने के लिये कुछ समय देना चाहते हैं । अतः हम ने यह घोषणा की है कि वस्तुओं के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे और इसके लिये हम ने १९६१ के वार्षिक आयात के २५ प्रतिशत भाग को सामान्य आधार माना है और तदनुसार आयात लाइसेंस दिये जायेंगे ।

कुछ समय पूर्व एक माननीय सदस्य ने पूछा था : वे कौनसी वस्तुयें हैं जिनके गोआ में तो आयात की अनुमति है परन्तु जो भारत में नहीं लाई जाने दी जाती हैं ? उन में से अधिकांश ये हैं : शराब, ह्विस्की, सुगन्धियां, कांटे छरी, दुग्ध चूर्ण और अन्य चीजें ।

"चाइना टूडे" की प्रतियां जब्त किये जाने के सम्बन्ध में चीन का विरोध पत्र

†*१४७८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास द्वारा प्रकाशित समाचार बुलेटिन "चाइना टुडे" की प्रतियों के जब्त किये जाने के खिलाफ भारत को विरोध-पत्र भेजा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चीन ने उल्टा भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय राजदूतावास के समाचार बुलेटिन में "चीन सरकार को बदनाम करने वाली अशासकीय सूत्रों से प्राप्त सामग्री" छापी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो यदि चीन सरकार को कोई उत्तर भेजा गया है तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) चीन सरकार ने यह आरोप लगाया है कि पेकिंग में प्रकाशित किये जाने वाले भारतीय दूतावास के बुलेटिनों ने चीन के विरुद्ध संलेख और वक्तव्य उद्धृत किये हैं जिनमें अधिकारियों का प्रतिवेदन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी संकल्प (१-१-६१ के "इंडिया न्यूज़" में प्रकाशित) भी सम्मिलित हैं। हमारे दूतावास का बुलेटिन प्रायः अनपकारी है। उसका पेकिंग के राजनयिक क्षेत्र में सीमित परिचालन है। इसके अतिरिक्त हमारा दूतावास इस बुलेटिन को प्रकाशित करने में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं और चीनी गणतंत्र के कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में बहुत सावधानी बरतता है। इसलिये चीन सरकार के विरोधी आरोपों में कोई विशेष सार नहीं है।

(ग) चीनी नोट हाल में ही प्राप्त हुआ है और उसकी छानबीन की जा रही है।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या चीन में गैर-सरकारी सूत्र भी हैं ? मैं समझता हूं कि चीन में समस्त सूत्र सरकारी ही हैं। यदि कोई गैर-सरकारी सूत्र हैं तो क्या वे भारतीय सूत्रों का निर्देश करते हैं अथवा चीन में उपलब्ध सूत्रों का ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : निस्संदेह वहां अनेक गैर-सरकारी सूत्र भी होंगे परन्तु वे ज्ञात नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : "चाइना टुडे" में प्रकाशित चीन के ११ मई के नोट में यह कहा गया है कि अकसाई चिन क्षेत्र सदा चीनी राज्य-क्षेत्र में रहा है और बाद के २ जून के चीनी नोट में प्रधान मंत्री के चीन को अकसाई चिन सड़क को असैनिक यातायात के काम में लाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को निरर्थक बताया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का प्रस्ताव अभी भी मान्य समझा जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह प्रस्ताव बहुत अच्छा और तर्कसंगत और वैध है। उसके स्वीकार न किये जाने से वह अनुचित नहीं बन जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : फिर उन्होंने उत्तर में यह संकेत क्यों किया कि वह स्वीकार नहीं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो बात खत्म हो जाती है।

†**श्री नाथ पाई** : आरोपों और विरोधी आरोपों में कोई कमी नहीं आई मालूम होती हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ऐसा कैसे सोचते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले दिन कहा था, कि चीन हमारे साथ सम्बन्धों से खुश नहीं है और समझौता करना चाहेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ भावनाओं, जो अनेक कारणों से उत्पन्न होती हैं, का विश्लेषण करना कठिन होता है और संभवतः वह सर्वथा ठीक भी न हो। मैं ने ऐसा कहा जरूर था परन्तु उसका वर्तमान स्थिति में कोई विशेष अर्थ नहीं है। अनेक बातें मेरे ऐसा कहने के लिये जिम्मेदार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : क्या उसका कोई आधार नहीं है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि चीनी स्टालिनवादियों ने, जो इस समय सत्तारूढ़ हैं, नाजी गोएबिल की झूठ बोलने की कला में सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इतनी दूर क्यों जाते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह चीन के सम्बन्ध में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बहुत सी बातें कह रहे हैं और आरोप लगा रहेहैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह तथ्य है और चीन के विरुद्ध है, भारत के विरुद्ध नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चीन के विरुद्ध भी हमें सावधानी बरतनी चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह झूठे प्रचार के सम्बन्ध में है, इसे सरकार भी स्वीकार करती है। इस दृष्टि से और इस कारण कि जितना ही बड़ा झूठ हो उतना ही चाऊ एन लाई के लिये अच्छा है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का न्यू एज प्रेस के प्रति क्या रवैया है जिसका मालिक—जहाँ तक मुझे मालूम है— साम्यवादी दल है जो इस देश में राष्ट्र विरोधी प्रचार को प्रोत्साहन दे रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इधर उधर की बातें न करके सीधा प्रश्न करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न 'चाइना टुडे' से सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत का साम्यवादी दल इसमें नहीं आता है । यदि वह उस प्रकाशन में लगाये गये आरोपों और विरोधी आरोपों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : बहुत अच्छा श्रीमान् । क्या यह सच नहीं है कि "चाइना टु डे" तथा श्री बरुआ द्वारा बताये गये अन्य पत्रों में भारत के विरुद्ध जो आरोप प्रकाशित किये गये हैं वे इस देश में ही पिछले छैः महीनों या इससे भी अधिक अवधि के दौरान लगाये गये हैं और क्या यह सच है कि न्यू एज प्रेस का—जिसका मालिक भारत का साम्यवादी दल है—उन आरोपों के भारत में प्रचार में हाथ है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य के दिमाग में इतनी बातें भरी हुई हैं कि वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके हैं । मुझे उनके शब्द तो याद हैं परन्तु मैं उनका तर्क नहीं समझ सका हूं । उन्होंने चीन में स्टालिनवादियों के बारे में कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका । (**अन्तर्वाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये शब्द आवेगपूर्ण हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहियें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह कहने के लिये मुझे आपने ही उकसाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आपसी बातचीत नहीं चलनी चाहिये। एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है और प्रधान मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं और आपस की बातचीत चल रही है तथा एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसकी शुरूआत माननीया सदस्या ने ही की थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : चाहे जिसने भी की हो, दोनों को ही वैसा करने का अधिकार नहीं है। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न ही नहीं समझ सका हूं। उन्होंने अन्त में कहा था कि भारत के साम्यवादी दल अथवा न्यू एज के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : न्यू एज प्रेस के विरुद्ध।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : शेष सब भूमिका थी जिसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

स्थिति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार सरकारी संलेखों के दूसरे देशों में परिचालन की अनुमति है। अर्थात् यदि हम चीनी अधिकारियों को कोई संदेश भेजें तो हमें उसको किसी भी पत्र में प्रकाशित करने का अधिकार है जो हम पेकिंग में अथवा अन्यत्र निकालते हों। यदि 'चाइना टु डे' चीनी संदेश प्रकाशित करता है तो उसे वैसा करने का अधिकार है। उसके सम्बन्ध में हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे चाहे उसमें कोई अपमानजनक बात भी हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारत विरोधी; उसे जब्त कर लिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को दूसरे की बात भी समझने का प्रयत्न करना चाहिये; अपने ही विचारों में नहीं उलझे रहना चाहिये। यदि कोई सरकारी संदेश अथवा सरकार का वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है—चाहे वह भाषण हो अथवा पत्र—तो वह सर्वथा ठीक है चाहे वह हमारे लिये अपमानजनक भी हो। हम ऐसी चीजों के प्रकाशन की अनुमति दे देते हैं। परन्तु जब उनमें से किसी खास बात को लेकर उस पर टिप्पणी की जाती है तो वह भिन्न चीज है। तब वह कठिन हो जाती है। 'चाइना टु डे' में ऐसा ही कुछ हुआ है। वह विशुद्ध सरकारी वक्तव्य नहीं है। यदि वह उनका सरकारी वक्तव्य होता तो हम कोई कार्रवाई न करते चाहे वह कितना भी अपमानजनक होता क्योंकि वह एक सरकार द्वारा भेजा गया वक्तव्य है। यदि हमारी सरकार कोई वक्तव्य चीन भेजती है तो हमें भी उसके प्रचार के लिये उतना अधिकार प्राप्त है। परन्तु जब उस में हेर फेर किया जाता है और एकपक्षीय उद्धरण छापे जाते हैं तो वह विशुद्ध प्रचार रह जाता है, सरकारी वक्तव्य का प्रकाशन नहीं। माननीय सदस्य ने न्यू एज का उल्लेख किया और कहा कि न्यू एज उसके प्रकाशक हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुद्रक।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वे 'चाइना टु डे' के मुद्रक हैं जिसे जब्त कर लिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुद्रक का दर्जा प्रकाशक से कुछ नीचा होता है। (**अन्तर्बाधा**) यदि वे कानून के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं। यदि वे कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो उनको नुकसान होगा परन्तु हम केवल इस कारण उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि वे ऐसे पत्र का मुद्रण कर रहे हैं जो हमारा प्रायः अपमान करता है और जिसे हम जब्त कर लेते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

†*१४७९. **श्री हरि विष्णु कामत** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध बिल्कुल नहीं हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार का निर्णय किन बातों पर आधारित है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हमारे कैमरून (गणराज्य), केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो (ब्रैजेवील) (गणराज्य), कोस्ता राइका, दहोमी, डोमिनिका गणराज्य, इक्वेडोर, एल सैलवडोर, गाबोन, ग्वाटेमाला, हेती, होन्डुरास, आइसलैण्ड, इज़रायल, मौरेटेनिया, निकारागुआ, नाइगेर, पनामा, पुर्तगाल, पीरू और टोगो से हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं अथवा वहां अन्य मिशन नहीं हैं ।

(ख) राजनयिक सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे राजनीतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यदूतीय। सामान्य तौर पर, विभिन्न देशों को राजनयिक, वाणिज्यदूतीय और वाणिज्यिक मिशन प्रशिक्षित व्यक्ति और निधि उपलब्ध होने पर हमारे राजनीतिक और अन्य हितों के आधार पर और आपसी सुविधा के आधार पर भेजे जाते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि एक नोट, जिस में देशों के नाम दिये हों, सभा पटल पर रख दिया जाता तो मैं आभारी होता। मैं सभी देशों के नाम नहीं समझ पाया हूं मैं केवल एक या दो नाम ही सुन सका । तथापि . . . .

क्या यह सच है कि वर्ष १९४९ से, भारत की संविधान सभा (विधायिनी) में, तब न तो राज्य मंत्री थे और न उप मंत्री ही थे --जब कभी इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्धों का प्रश्न सभा में उठाया गया, तो प्रधान मंत्री जो ने हर बार सदन को बतलाया कि समय उपयुक्त नहीं हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आज भी वही स्थिति है और समय उपयुक्त नहीं है; यदि हां, तो भारत का इजराइल के प्रति जो रवैया है, क्या वह अरब देशों को असन्तुष्ट न होने देने की इच्छा के कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सच है, स्थिति लगभग वैसी ही है। इजराइल के बनने पर इस को शीघ्र ही मान्यता दे दी गयी थी। परन्तु हम ने एक दूसरे को राजनयिक नहीं भेजे क्योंकि हम ने ऐसा करने में कोई लाभ नहीं पाया ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं इसको और तरह से पूछता हूं। क्या यह सच है कि कई योरोपीय और ऐशियाई देशों के अरब देश और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ राजनयिक सम्बन्ध हैं, यदि हां, तो हमें इजराइल और अरब देश, दोनों के साथ ऐसे सम्बन्ध रखने में क्या कठिनाइयां है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अन्य तरीके से भी पता लगा सकते है कि इतने योरोपीय देशों का दोनों से राजनयिक सम्बन्ध हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम हर देश से मैत्री सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम उन देशों, जो हमारे विरुद्ध हों, से भी शत्रुता दूर करना चाहते हैं। इजराइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है । हम समझते है कि इजराइल की कार्यवाही पहले, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, गलत और आक्रात्मक रही हैं। परन्तु उस के अतिरिक्त, हम समझते है कि इस समय राजनयिक व्यक्तियों का आदान प्रदान करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेइज्जती और दमन के बावजूद भी हम ने चीन को मान्यता दी है और उसे बनाये हुए हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इजराइल को मान्यता क्यों नहीं दी गयी है ?

†अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दिया जा चुका है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह अरब देशों के कारण है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में काफी मतभेद हैं। इजराइल और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के बीच सम्बन्ध केवल खराब ही नहीं बल्कि बहुत खराब हैं और इन में से किसी भी देश के साथ यदि ऐसी कोई कार्यवाही की जाये जिस का अन्य देश पर प्रभाव पड़े, तो अन्य देश उस से अप्रसन्न होते हैं। यह देखना होता है कि हमें और इन विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने में क्या कार्यवाही लाभप्रद हो सकती है।

†श्री नाथ पाई : किसी देश को मान्यता देने के आधार के बारे में माननीय मंत्री ने बताया कि वह राजनीतिक हेतुओं तथा उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्यता के बारे में विचार करते है। क्या अल्जीरिया के सम्बन्ध में यह आधार पूरे हो गये हैं ? यदि हां, तो उस देश को किस कारण से अब तक मान्यता नहीं दी गई है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहे है। मैं समझता हूं।

†श्री नाथ पाई : बेन खेदा को अल्जीरिया की अस्थायी सरकार।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस समय अल्जीरिया में दोहरी शासन पद्धति हैं। संयुक्त कार्यपालिका हैं। आधा फ्रांसीसी तथा आधा अल्जीरियन। मैं समझता हूं कि लगभग तीन सप्ताहों में वहां पर चुनाव होने वाला है। तीन सप्ताह बाद अल्जीरिया औपचारिक रूप में स्वतन्त्र हो जायेगा तब सब का मान्य हो जायेगा। हम भी उस को मान्यता दे देंगे और वहां पर अपना प्रतिनिधि भेज देंगे। परन्तु इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की प्रधान स्थिति भिन्न है और इस समय ऐसा करने से कोई लाभ नहीं हैं।

†श्री नाथ पाई : ऐसा तो कई महीने पहले किया जाना चाहिये था।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि ऐसा करने से अल्जीरिया की कोई सहायता नहीं होती। इस का उद्देश्य केवल इतना होगा कि हमारी अल्जीरिया से सहानुभूति है।

†श्री नाथ पाई : बिल्कुल :

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इस से भी कहीं ज्यादा तरह से अपनी भावनायें व्यक्त कर चुके है कि हम अल्जीरिया की स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। इस बात को उन्हों ने भी माना हैं और हमारा विचार था कि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु अब तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। तीन सप्ताह बाद अथवा उस से पहले अल्जीरिया में चुनाव होंगे। इस समय अल्जीरिया में अल्जीरिया और फ्रांसीसी सरकार का मामला नहीं हैं। वह मामला तो तय हो चुका है। मामला तो अब फ्रांसीसी कर्नलों की गुप्त सेना का हैं जो वहां पर लूट मार तथा हत्यायें कर रहे हैं।

†श्री हरिविष्णु कामत : क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव हैं कि दोनों ओर से इजराइल से भी वाणिज्यिक सम्पर्क बनाये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या श्री बेन खेदा के वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया गया हैं कि इवियन समझौते को बदलने के लिये बड़ा दबाव डालने के प्रयत्न किये गये हैं ? इस आधार पर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा अल्जीरिया की अस्थायी सरकार का समर्थन कर के हम उन की मदद नहीं करेंगे जिस से वह इवियन समझौते में परिवर्तन करने वालों को ऐसा करने से रोक सकें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि इस से कोई अन्तर पड़ता हैं । यदि इवियन समझौता भंग हो गया तो बड़ी गम्भीर स्थिति हो जायगी । कल ही प्रेजीडेंट डिगाल ने इवियन समझौते के समर्थन में ठोस शब्दों में कहा हैं कि २४ अथवा २५ दिनों में अल्जीरिया स्वतन्त्र हो जायगा ।

नेफा में असमिया भाषा

†*१४८०. { श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा शिक्षा उप-समिति ने हाल में शिलांग में हुई एक बैठक में असमिया भाषा को उस प्रशासन क्षेत्र में ऐच्छिक विषय का स्थान देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय नेफा के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध मे सरकार की नीति के प्रतिकूल नहीं है ; और

(ग) नेफा शिक्षा उप-समिति के इस निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) जी नहीं । नेफा शिक्षा उप-समिति ने गत मुख्य मंत्री सम्मेलन में बनाये गये तीन भाषा के फार्मूले पर विचार करने के लिये एक सामान्य चर्चा की थी । क्योंकि मामला उच्च स्तर की नीति से सम्बन्धित था इसलिये उप-समिति उस पर निर्णय नहीं ले सकती थी । सच यह हैं कि इस सम्बन्ध में किसी भी सिफारिश को अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया । इसलिये नेफा के स्कूलों में शिक्षा माध्यम में परिवर्तन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†श्री हेम बरुआ : इस आधार पर कि नेफा शिक्षा उप-समिति के निर्णय कि आसामी को वैकल्पिक भाषा का स्तर दिया जाये, सरकार की स्वीकृत नीति के विरुद्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन अधिकारियों को विरोधी कार्यवाहियों के लिये फटकारा जा रहा है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा कि मैं उत्तर में बता चुकी हूं कि क्योंकि उप समिति का निर्णय नीति के सम्बन्ध में है इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा रहा हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच हैं कि ढेबर समिति ने नेफा में हिन्दी तथा आसामी को लादने के विरुद्ध सिफारिश की हैं तथा क्या इस से नेफा में कुछ अधिकारियों को आसामी को हटाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन मिला है । तथा यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह प्रश्न भी हमारे सामने था। नेफा की भाषा नीति का पुनरीक्षण हुआ हैं और यह निणय किया गया है कि आसामी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।

†**श्री प्र० च० बरुआ :** उप समिति में कितने तथा कौन कौन सरकारी अधिकारी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मेरे पास नाम नहीं हैं।

†**श्री स्वैल :** नेफा की जनता भारत के पूर्वोत्तर भाग की पर्वतीय जनता का ही एक भाग हैं : मैं नेफा तथा पर्वतीय जनता को जानता हूं। प्रश्न श्री हेम बरुआ का है तथा मैं अपना प्रश्न कुछ वक्तव्यों के आधार पर पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस की अनुमति नहीं हैं।

†**श्री स्वैल :** पर्वतीय जनता ने आसामी पढ़ने से इन्कार कर दिया हैं। सरकार का विचार आसामी भाषा के प्रभुत्व से पर्वतीय जनता को बचाने का है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हमारी किस प्रकार मदद करगी जिस से हम ऐसी भाषा सीखें जो समस्त भारत की हो ?

†**प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य ने एक दूसरा ही प्रश्न उठाया है। स्पष्ट हैं कि माननीय सदस्य आसामी भाषा के पक्ष में नहीं हैं इसलिये वह मूल प्रश्नकर्ता का विरोध करना चाहते हैं। मेरा सुझाव हैं कि वह मामले को आपस में तय कर लें।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा निवेदन हैं कि क्योंकि भारत सरकार ने एक नीति स्वीकार कर ली हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। प्रश्न काल समाप्त हो गया हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†*१४६६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन्द कर दिये जाने के कारण, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला व्यापार कम हो गया है ;

(ख) यदि हां तो कितना ; और

(ग) फिलहाल भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार किस तरह हो रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां। व्यापार कम हो गया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

सितम्बर १९६१ के आरम्भ में पाकिस्तान हो कर जाने वाला भूमि मार्ग भारत तथा अफगानिस्तान के बीच किये जाने वाले व्यापार के लिये बन्द कर दिया गया था। इस के परिणामस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार कुछ कम हो गया था जैसा कि निम्न आंकड़ों से देखा जा सकता है। तुलना के लिये सितम्बर १९६१—फरवरी १९६२ तथा १९६०-६१ और १९५९-६० की इसी अवधि के तीन आंकड़े दिये गये हैं। (निर्यात के अन्तिम आंकड़े फरवरी १९६२ तक के हैं)

(रुपये लाखों में)

अवधि	अफगानिस्तान को निर्यात	अफगानिस्तान से आयात*	कुल व्यापार
सितम्बर, १९५९—फरवरी, १९६०	२९३	४४३	७३६
सितम्बर, १९६०—फरवरी, १९६१	३८८	३५९	७४७
सितम्बर, १९६१—फरवरी, १९६२	१८८	८८	२७६

इन आंकड़ों से पता लगता है कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच पारगमन समझौता होने के कारण व्यापार बढ़ा है क्योंकि इस प्रकार अफगानिस्तान से वस्तुएं भारत में ईरानी प्रदेश तथा ईरानी बन्दरगाहों से आईं।

(ग) भारत तथा अफगानिस्तान के बीच व्यापार विमानों तथा ईरानी बन्दरगाहों से समुद्र द्वारा हो रहा है।

अन्तरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी

†*१४७४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के संग्रह, परीक्षण और प्रसार की कोई व्यवस्था की है ;

(ख) क्या यह जानकारी देश के वैज्ञानिकों को परिचालित की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). सरकार, अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बंधी जानकारी के प्रसार के लिये कोई विशेष केन्द्रीय व्यवस्था करने का इस समय विचार नहीं कर रही है। अन्तरिक्ष अनुसंधान, खोज तथा प्रौद्योगिकीय संबंधी वैज्ञानिक जानकारी वैज्ञानिक समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में प्रकाशित होती है और जिस को भारत सरकार के विभागों तथा वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थाओं, जो इस विषय में रुचि लेते हैं, को उपलब्ध की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह आंकड़ें जनवरी तक हैं।

परन्तु अन्तरिक्ष अनुसंधान की राष्ट्रीय समिति हाल में ही बनाई गई है जो अन्तरिक्ष विज्ञान के मामलों में सरकार को सलाह देगी तथा इस विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोगों में रुचि लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के समन्वय करेगी ।

गीत और नाटक विभाग

†*१४८१. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में गीत और नाटक विभाग के अन्तर्गत एक 'स्पांसर्ड' मंडली रखने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या किसी राज्य में किसी मंडली के साथ कोई ठेका हुआ है ; और

(ग) यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में १२ नाटक मंडली बनाने का विचार है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) १९६५-६६ तक ।

हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण

*१४८२. श्री भक्त दर्शन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के तिरुचि, बंगलौर और अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के केन्द्रों से रात को सवा आठ बजे प्रसारित होने वाला हिन्दी समाचारों का बुलेटिन हाल ही में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार बुलेटिन का प्रसारण किस किस तारीख से किस किस केन्द्र पर बंद किया गया है ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना

†*१४८३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा रूसी प्रविधिक सहायता से चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना स्थापित करने में कोई प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) व्योरवार परियोजना प्रतिवेदन मिल चुके हैं तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है।

श्रम कल्याण पदाधिकारियों का समाज-कार्य पाठ्यक्रम म प्रशिक्षण

†***१४८४. श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज-कार्य और औद्योगिक सम्बन्ध आदि में अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिये प्रशिक्षण सुविधायें गैर-सरकारी उद्योगों के श्रम कल्याण पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के जरिये कितने श्रम कल्याण पदाधिकारियों ने प्रशिक्षन प्राप्त किया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

धान की भूसी से तेल निकालने का उद्योग

†***१४८५. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में धान की भूसी से तेल निकालने की दिशा में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक इस तेल का कुल वार्षिक उत्पादन कितना हैं ; और

(ग) क्या इस निकाले गये तेल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ढोरों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ?

†**णिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) प्रतिवर्ष धान की भूसी को ३०,००० टन की स्थापित क्षमता वाली चार यूनिटें है।

(ख) १९९१ में चावल की भूसी स १,७०० टन तेल का उत्पादन हुआ था।

(ग) इस प्रश्न की कोई आधिकारिक सूचना नहीं हैं।

अमरीका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा माल्दा की घटना से अनुचित लाभ उठाना

†***१४८६. श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास माल्दा की छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर विवरण दे कर अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के विरोध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां। वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास माल्दा की घटनाओं का बढ़ा चढ़ा कर विवरण दे कर अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है । वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी किये गये इन घटनाओं के समाचार बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिये गये हैं। उन के शीर्षक हैं 'एन्टी मुस्लिम रायट इन इंडिया—मुस्लिम टेक रिफ्यूज इन पाकिस्तान इन थाउजैंड्स'।

(ख) वाशिंगटन में हमारे दूतावास ने इन घटनाओं के सही विवरण दिये हैं तथा इस संबंध में संसद् में दिये गये विभिन्न वक्तव्यों को विस्तार से छापा हैं । दूतावास ने अन्य तरीकों से भी अमरीका की जनता को सही तथ्य बताये हैं ।

आकाशवाणी में गांधी कार्य क्रम यूनिट

†*१४८७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रवीन्द्र शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में किस वर्ष में गांधी कार्यक्रम यूनिट स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या गांधी जी सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रमों की समन्वय समिति से इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये कहा गया है कि विभिन्न प्रकार क श्रोताओं में गांधी जी के जीवन और विचारों के सम्बन्ध में जानकारी के प्रचार के लिये यह यूनिट किस प्रकार का कार्यक्रम बनाये और प्रसारित करे ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाय है कि आकाशवाणी के पास गांधी जी के 'टेप रकार्ड' किये हुए जो बहुमूल्य भाषण है उन्हें अच्छी हालत में बनाय रखा जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : (क) १९६२ ।

(ख) यूनिट के समन्वय समिति गांधी जी संबंधी आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बनाने तथा प्रसारण के लिये परामर्श देती है ।

(ग) आकाशवाणी के पास गांधी जी के रिकार्ड किये गये भाषणों को स्पष्ट कर के उन को स्थायी रखने के लिये धातु के स्टैम्पर के रूप में बना लिया गया हैं ।

आसाम में नये उद्योगों को लाइसेंस देना

†*१४८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आसाम राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि राज्य में बिजली का सम्भरण जब तक अपर्याप्त रहे तब तक वह किसी भी नये उद्योग के लिये लाइसेंस न दे ; और

(ख) राज्य में बिजली का संभरण बढ़ाने में तथा नये उद्योगों के लिये लाइसेंस देने में संभवतः कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पलना कोयला खान में श्रम कल्याण केन्द्र

†**३१४५. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलना कोयला खान (राजस्थान) में श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित हो गया है ;

(ख) केन्द्र के स्थापित होने की तिथि क्या है ;

(ग) इस में किस किस पदों पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है ;

(घ) कर्मचारियों के वेतन तथा कल्याण कार्यों के लिये कितना वार्षिक व्यय होता है ;

(ङ) इस पर कितना अनावर्त्तक व्यय होता है ;

(च) ३१ दिसम्बर, १९६१ को कितनी कल्याण निधि थी ; और

(छ) क्रियान्वित कल्याण योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हाँ, एक बयस्क शिक्षा केन्द्र ।

(ख) २४ सितम्बर १९५९ ।

(ग) एक वयस्क शिक्षा निदेशक ।

(घ) १९६१-६२ में कर्मचारियों पर २,००२ रुपये ४९ नये पसे तथा कल्याण कार्यों पर १,४६५ रुपये ।

(ङ) १९५९-६० में ८६५ रुपये तथा १९६०-६१ में ४१५ रुपये ।

(च) ३१-३-१९६२ को १,०९,२५२ रुपये ।

(छ) एक बयस्क शिक्षा केन्द्र चालू है । चार तपेदिक के रोगियों के लिये घरेलू उपचार की सुविधा की गई है तथा एक प्राइमरी स्कूल का भवन बना दिया गया है । अप्रैल १९५७ में एक महिला कल्याण केन्द्र खोला गया था परन्तु उस को सितम्बर १९५७ में बन्द करना पड़ा क्योंकि इस में महिलायें कम आई थीं । इन्हीं कारणों से अप्रैल १९६१ में स्थापित एक और महिला कल्याण केन्द्र को अगस्त में बन्द करना पड़ा था । केन्द्र को पुनः चालू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

टैपीओका से शराब

†**३१४६. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी में किये गये अनुसंधानों से पता लगा है कि टैपियोका से शराब बनाई जा सकती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास इस अनुसंधान तथा इस के परिणामों की कोई जानकारी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सभी को जानकारी है कि टैपियोका तथा मांडवाली अन्य वस्तुओं से शराब बनाई जा सकती है तथा कैसे बनाई जाती है इस की जानकारी देश को है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

†**३१४७. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरो के सहायक पत्रकारों का काम सामान्यतः सहायक सूचना अधिकारी से कम पद वाले अधिकारी द्वारा जाँचा नहीं जाता है ?

(ख) प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो में सहायक सूचना अधिकारी का क्या वेतन क्रम है ; और

(ग) सहायक सूचना अधिकारी की श्रेणी में से कितने प्रतिशत विभागीय पदोन्नतियाँ अन्य ऊंचे पद पर की जानी निश्चित हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हाँ ।

(ख) सहायक सूचना अधिकारी के पद केन्द्रीय सूचना सेवा की द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में शामिल कर लिये गये तथा उन के वेतन क्रम नीचे दिये जाते हैं :—

श्रेणी २:—रुपये ४००–४००–४५०–३०–६००–३५–६७०–ईबी–३५–९५०

श्रेणी ३:—रुपये ३५०–२५–५००–३०–५९०–ईबी–३०–८००

(ग) द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी ७५ प्रतिशत । तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में ५० प्रतिशत ।

उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें

†**३१४८. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मऊ (आज़मगढ़) में एक कपड़ा मिल चालू करने के लिये एक उद्योगपति को लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वह उद्योगपति कौन है तथा उपरोक्त मिल कब तक स्थापित होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). श्री मोतीचन्द्र, कानपुर को मऊ (आज़मगढ़) में १२,५०० स्पिंडलों की एक काटन स्पिनिंग मिल्स बनाने का सितम्बर १९६१ में लाइसेंस दिया गया था । यह शर्त लगाई गई थी कि लाइसेंस दिये जाने की तिथि से १२ महीने के अन्दर यूनिट स्थापित हो जायेगी । बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर स्थापना स्थान मऊ से कानपुर कर दिया गया ।

तांबे, जस्त आदि का आयात

†**३१४९. श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातु नियंत्रण आदेश १९५८ के जारी होने के समय तांबा, जस्ता, सुरमा, कांसा तथा टीन का कितनी मात्रा में आयात किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के लिये इन के प्रत्येक वर्ष के आयात आँकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन आयातों विशेषतया ताँबा तथा जस्ते की कितनी मात्रा की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खपत की जाती है (जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा, बिजली बोर्ड आदि)?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा इस को इकट्ठा करना भी बड़ा कठिन है ।

ब्रिटिश गायना आदि के लिये प्रसारण

†**३१५०. श्री रवीन्द्र बर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ब्रिटिश गायना तथा त्रिनिडाड और कैरिबियन के अन्य द्वीपसमूहों को कोई प्रसारण करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रसारणों के लिये प्रति सप्ताह कितने घटे दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो ऐसे प्रसारण क्यों नहीं किये जाते हैं ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) बीच में कहीं पर रिले बस के बिना नई दिल्ली से सीधा प्रसारण यहाँ के लिये संभव नहीं है । इस समय आकाशवाणी ने रिले प्रबन्ध नहीं किया हुआ है ।

आकाशवाणी की विदेश सेवाओं का कार्यक्रम

†**३१५१. श्री रवीन्द्र बर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकक ने पश्चिम योरप को किये गये आकाशवाणी के विदेश सेवाओं के कार्यक्रमों का सर्वेक्षण किया है कि वह उन देशों में कितने तथा साफ सुनाई देते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या आकाशवाणी को कम सुनाई दिये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो श्रव्यता में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) आकाशवाणी के पास सीमित प्रविधिक सुविधायें उपलब्ध होने के कारण आवाज साफ सुनाई देने के लिये सभी संभावित क़दम उठाये जा रहे हैं। आकाशवाणी की तृतीय पंचवर्षीय योजना में एरियल सुविधाओं को बढ़ाने तथा अतिरिक्त उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों का उपलब्ध करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

डबल रोटी तथा बिस्कुट आदि बनाने वालों के लिये खमीर का उत्पादन

†३१५२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक फर्म डबल रोटी तथा बिस्कुट बनाने वालों के लिये खमीर का उत्पदान कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ग) इस उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ; और

(घ) क्या परियोजना में विदेशी सहयोग भी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हाँ।

(ख) वार्षिक उत्पादन अनुमानतः १०० टन सूखा खमीर है।

(ग) लगभग ६ लाख रुपया।

(घ) जी हाँ ।

शिशिक्षा प्रशिक्षण[1] नियम

†३१५३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे नियम लागू करने का विचार कर रही है कि सभी फर्में शिशिक्षा प्रशिक्षण के लिये अनिवार्यतः युवकों को लें ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक लागू होंगे ; और

(ग) क्या सभी फर्मों ने इन नियमों को लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). दिसम्बर, १९६१ में संसद द्वारा पारित शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ में व्यवसायों के लिये शिशिक्षु प्रशिक्षण को नियम तथा नियंत्रण की व्यवस्था की है। १ मार्च, १९६२ से अधिनियम लागू हुआ है तथा जिन उद्योगों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apprenticeship trainning:

यह नियम लागू हुआ है उनको दिनांक १२ फरवरी १९६२ की जी० एस० आर० २४७ में अधिसूचित कर दिया गया है। अधिनियम के उपलब्ध लागू करने के लिये नियम बनाये जा रहे हैं।

इण्डोनेशिया को व्यापार शिष्टमंडल

†३१५४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यवस्थित एक व्यापार शिष्ट मण्डल इंडोनेशिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या काम किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि, अपने व्यापार साथियों के प्रतिनिधियों के साथ इन्डोनेशियनों से ठेके के बारे में तथा सामान्य व्यापार के बारे में बातचीत करने के लिये जनवरी-फरवरी १९६२ में इंडोनेशिया गया था।

(ख) इंडोनेशियन अधिकारियों से बातचीत से पता लगा कि अच्छी किस्म की वस्तुओं के निर्यात के द्वारा व्यापार बढ़ाने की संभावना है तथा उस देश से व्यापार बढ़ाने के लिये वातावरण भी है।

सूती धागा, सूती कपड़ा, जूट की वस्तुओं तथा छोटी इंजीनियरिंग की वस्तुओं को भेजने की अच्छी संभावना है।

उस देश को सूती धागे के निर्यात का भी प्रबन्ध किया गया था।

गोआ से स्वदेश भेजे गये पुर्तगाली राष्ट्रजन

३१५५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ से वापस भेजे गये पुर्तगाली अपने साथ जो चल सम्पत्ति ले गये उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गोआ से जाने वाले पुर्तगाली गोआ वासियों के ऋण चुका कर नहीं गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग).. सूचना इकटठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी, बर्दवान

†३१५६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान, पश्चिम बंगाल, में हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी का विस्तार कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) वह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) इस विस्तृत परियोजना में किस प्रकार का टेलीकम्यूनिकेशन केबल तैयार किया जायेगा ; और

(ङ) केबल तैयार करने की प्रस्तावित क्षमता क्या होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ८० लाख रुपये की मशीनों और संयंत्र के लिये आर्डर दिया जा चुका है । कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में स्थान का विकास प्रायः पूरा हो चुका है । कारखाने की इमारत के शेड बनाने का काम शुरू हो चुका है और वह जारी है ।

(ग) १९६३–६४ के द्वितीय वर्ष के उत्तरार्ध में ।

(घ) (१) अंडर ग्राउंड ड्राइकोर टेलीफोन केबल्स ;

(२) प्लास्टिक इन्सुलेटेड टेलीकम्यूनिकेशन केबल्स ;

(३) स्विच बोर्ड केबल्स और तार आदि ; और

(४) स्थानीय रूप से तैयार किये जाने वा तांबे के तार ।

(ङ) (१) ड्राइकोर टेलीफोन केबल्स—डबल शिफ्ट आधार पर प्रतिवर्ष ३२ किलोमीटर ।

(२) प्लास्टिक इन्सुलेटेड केबल्स—२५० लाख कोर मीटर ।

(३) तांबे की तार बनाना—डबल शिफ्ट आधार पर प्रतिवर्ष १५०० टन ।

"महाराष्ट्र टाइम्स" के लिये अखबारी कागज का दिया जाना

†३१५७. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री बड़े :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टाइम्स आफ इंडिया" प्रकाशन द्वारा बंबई से एक नया मराठी दैनिक "महाराष्ट्र टाइम्स" प्रकाशित किया जाने वाला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रकाशन अखबारी कागज पूरा पूरा न दिये जाने के कारण रोक दिया गया था ; और

(ग) भारत में पत्र पत्रिकाओं को अखबारी कागज का कितना नियमित कोटा दिया जाता है ?

†***वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन ने अखबारी कागज दिये जाने के लिये प्रार्थना की थी और उस समय लागू सामान्य नीति के अनुसार उन्हें वह दिया गया था। प्रकाशनों को उस समय जितना कागज दिया गया था उसे उन्होने बहुत ही कम समझा।

(ग) दैनिक समाचारपत्र या पत्रिका के लिये अखबारी कागज का दैनिक कोटा पृष्ठ क्षेत्रफल, १९७५७ या बाद के वर्षों में जिसमें दैनिक समाचार पत्र या पत्रिका का वास्तव में प्रकाशन आरम्भ हुआ हो प्रकाशित पृष्ठों की औसतन संख्या, प्रकाशन की नियमितता और १९६१ में उसकी बिक्री संख्या, के आधार पर तैयार किया जाता है।

चीनी सरकार द्वारा हिमालय के दक्षिणी ढालों का सर्वेक्षण

†३१५८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चीन सरकार यह दावा करती है कि उसने हिमालय के दक्षिणी ढालों पर प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण सिक्किम और भूटान की सीमाओं के अन्दर कराया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारत सरकार का ध्यान समाचार पत्रों के कुछ समाचारों और रेडियो प्रसारणों की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि चीनी विज्ञान अकादमी ने तिब्बती पहाड़ी प्रदेशों में ऐसे प्रारंभिक सर्वेक्षण कराये हैं। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह दिखायी पड़े कि चीनियों ने हिमालय के दक्षिणी ढालो पर प्राकृतिक संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†३१५९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बिहार राज्य में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या हर साल जनसंख्या के अधिकाधिक घनत्व बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति को सरल बनाने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को बिहार राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि खेतिहर आबादी को मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में बसा दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दण्डकारण्य प्राधिकार से जिसने लोगों को बसाने के लिये काफी जमीन को खेती के लायक बनाया है, कोई सिफारिश की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पंजवर्षीय योजनाओं के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं से रोजगार के अवसर निर्माण किये जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार कम किया जा सके । बिहार राज्य सरकार गैरमजरुआ खास जमीनों और उसी तरह भूदान यज्ञ जमीनों पर भी भूमिहीन मजदूरों को बसाने की कोशिश कर रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लघु उद्योग सेवा संस्थाएं

†**३१६०. डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में लघु उद्योग सेवा सस्थाओं ने गैर सरकारी आवेदकों के लिये मशीनों और उनके काम काज के ब्योरों के बारे में स्वत: ही जानकारी प्राप्त की है ;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ के दौरान विदेशों से मशीने आदि प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ग) राज्यों के उद्योग संचालकों द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख और वास्तव में मशीनों का आर्डर दिये जाने की तारीख में आधिक से अधिक और कम से कम कितना अन्तर होता है ; और

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मशीनों की वास्तविक लागत पर कितना खर्च लेती है और किन मदों के अधीन ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योगमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ३५**] ।

बिजली के पंखे

†३१६१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री गौरी शंकर :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में बिजली के भारतीय पंखों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार देश में खपत की अपेक्षा निर्यात को अधिक महत्व देती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश की माँग पूरी करने के लिये निर्यात बन्द करने के बारे में विचार कर रही है ?

---

†मूल अग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पिछले पाच वर्षों में सभी प्रकार के बिजली के पंखों से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई वह इस प्रकार है :—

	मूल्य लाख रुपयों में
१९५७–५८ .	१९.९९
१९५८–५९ .	२५.१६
१९५९–६० .	५९.५६
१९६०–६१ .	८१.२७
१९६१–६२ .	६६.८०

(ख) बिजली के पंखों का उत्पादन पिछले पाँच वर्षों में दूने से अधिक बढ़ गया है, जो १९५७ में ५.२५ लाख से बढ़कर १९६१ में १०.७७ लाख पंखे हो गया। तीसरी योजना के अन्त तक पंखों का उत्पादन २५ लाख की संख्या तक बढ़ने का अनुमान है।

(ग) और (घ). बिजली के पंखों का निर्यात देशी उत्पादन के लगभग १० प्रतिशत है। देशी बाजार की आवश्यकता पूरी तौर से पूरी की जाती है और देश में पंखों की कमी का कोई प्रमाण नहीं है। पंखों के दाम प्रायः एक से ही रहे हैं और उनकी सुप्रसिद्ध किस्मों पर भी छूट दी जाती है। इन परिस्थितियों में पंखों के निर्यात पर कोई निर्बन्ध न लगाने का इरादा नहीं है ; बल्कि निर्यात और बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अधिकरण में सड़कों और इमारतों का निर्माण

†३१६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने सड़कों और इमारतों के जैसे निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह कहाँ तक संतोषजनक पाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मनीपुर जैसे कुछ राज्यों को यही प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सुझाव पर राज्यों की क्या राय है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन पिछले कई कई वर्षों से ये नीति अपनाता रहा है कि ऐसे निर्माण कार्य जिनमें कोई कठिन तकनीकी समस्यायें न हों, स्थानीय आदिमजाति के लोगों को ही बगैर किसी ठेकेदार को नियुक्त किये, सौंप दिये जाते हैं। दूसरी ओर ऐसी बड़ी बड़ी परियोजानायें जिनमें कुशल कारीगरों या विस्तृत तकनीकी देखरेख की जरूरत होती है, अब भी ठेकेदारों को सौंपा जा रही हैं।

(ख) यह पद्धिति उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में संतोषजनक ढंग से चल रही है और उसके निम्नलिखित लाभ हैं :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) स्थानीय लोगों को प्रार्थिक लाभ होता है और साथ ही उनमें परियोजनाओं में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है ।

(२) मध्यस्थों को हटा देने से निर्माण कार्यों का खर्च काफी घट गया है ।

(ग) सामुदायिक विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य सरक्षेत्रों के नाम पत्र लिखकर यह प्रार्थना की थी कि वे भारत के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को अपनाने की संभावना पर विचार करें ।

(घ) उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मनीपुर, त्रिपुरा और मान तथा निकोबार द्वीप प्रशासन की सरकारें सामुदायिक विकास मंत्रालय के सुझावों को कार्यान्वित कर रही हैं ।

अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में सरकारी क्वार्टर

†३१६३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कितने क्वार्टर सरकारी अभी अनधिकारी व्यक्तियों के कब्जे में हैं ; और

(ख) अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का कब्जा रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ३३६ ।

(ख) सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १६५८ के अधीन अनधिकारी व्यक्तियों को निकालने के लिये कार्यवाही की गयी है । खाली क्वाटरों पर अनधिकारी व्यक्ति कब्जा न कर सकें इसके लिये निगरानी रखने के लिये चौकीदार नियुक्त किये गये हैं ।

राज्यों में उद्योगों के विकास के लिये ऋण

†३१६४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उद्योगों के विकास के लिये १६६२–६३ में केन्द्रीय सरकार से ऋण दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण कितना होगा ; और प्रत्येक राज्य को ऋण देने की शर्तें क्या होगी और

(ग) प्रत्येक राज्य को ऋण खासकर किस उद्योग या उद्योगों के विकास के लिये दिया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी हाँ ।

(ख) भिन्न भिन्न योजनाओं/उद्योगों के लिये ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं ? ये शर्तें और राज्यवार नियत प्रत्येक योजना/उद्योग के लिये निर्धारित सामान्य सिद्धातों और राज्यों द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्तीय वर्ष की पहिली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च तथा चौथी तिमाही के प्रत्याशित खर्च के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष को चौथी तिमाही में निर्धारित किये जायेंगे।

(ग) राज्यों को ऋण निम्नलिखित उद्योगों के लिये दिये जाते हैं :—

१. औद्योगिक बस्तियाँ ।
२. हथकरघा उद्योग का विकास ।
३. हथकरघे को बिजली के करघे में बदलना ।
४. लघुउद्योगों का विकास ।
५. नारियल रेशा उद्योग का विकास ।
६. रेशम उद्योग का विकास :
७. औद्योगिक योजनाये ।
८. हस्त शिल्प का विकास ।
९. रबड़ के बागान ।
१०. कहवा बागान ।
११. पुनर्वास योजनाये ।

सभी राज्य उपयुक्त उद्योगों के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये ऋण प्रत्येक राज्य द्वारा प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में किये गये वास्तविक खर्च पर निर्भर होंगे।

पनवेल, महाराष्ट्र में कार्बनिक रासायनिक द्रव्यों का कारखाना

†३१६५. **श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में पनवेल में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्बनिक रासायनिक द्रव्यों का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूंजी परिव्यय कितना होगा और उस मे कितने आदमियों को रोजगार देने की क्षमता होगी; और

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, परियोजना का पूंजी परिव्यय लगभग १२ करोड़ रुपये होगा। ब्यौरेवार अनुमान अभी तैयार किये जा रहे हैं। अनुमान है कि परियोजना से लगभग २,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(ग) कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता सालाना लगभग २४,००० टन विभिन्न मध्यवर्ती पदार्थ तैयार करने की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

†३१६६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, १९६२ को प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में कुल कितनी रकम जमा थी;

(ख) इस निधि की व्यवस्था किसके हाथ में होती है; और

(ग) क्या उसके हिसाब की नियमित लेखापरीक्षा की जाती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जून, १९६२ को प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में १६,७५,३५४.७८ रुपये जमा थे। इस में से १५ लाख रुपये की रकम अल्पकालीन जमा में विनियोजित किया गया है और शेष १,७५,३५४.७८ रुपये चालू खाते मे जमा किया गया था।

(ख) प्रधान मंत्री ही इस निधि का संचालन करते हैं।

(ग) चार्टर्ड लेखापालों की एक प्रसिद्ध फर्म हर साल नियमित रूप से हिसाब किताब की लेखापरीक्षा करती है।

चाय के बागानों का प्रौद्योगिक –आर्थिक सवक्षण

†३१६७. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने यह मालूम करने के लिये कि चाय बागानों के विकास के लिए उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, चाय के बगीचों का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं और विकास के लिये क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। उत्तर पूर्व भारत में त्रिपुरा, दार्जिलिंग पहाड़ियां और कछार के और दक्षिण भारत में नीलगिरी, अनमल्लाई और कानन देवन प्रदेशों के चाय जिलों में।

(ख) सर्वेक्षणों के दौरान इकट्ठे किये गये आंकड़ों की छानबीन और विश्लेषण चाय बोर्ड कर रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाबी कृषक परिवारों का मध्य प्रदेश में पुनर्वास

३१६८. **श्रीमती यमुना देवी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व योजना आयोग के सलाहकार ने मध्य प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया था कि उसे अपने राज्य के किसानों को कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी कराने के लिए पंजाब के कुछ कृषक परिवारों को अपने यहां बसाना चाहिए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) चम्बल क्षेत्र में, राज्य से बाहर के अच्छे किसानों को जमीन देने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की आलोचना

†**३१६९. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर वियतनाम के सरकारी अखबार "न्हान दान" में एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है जिस में वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष श्री सी० पार्थसारथी की आलोचना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत सरकार का ध्यान वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य के "न्हान दान" में प्रकाशित एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है जिस में वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष श्री पार्थसारथी के बारे में उल्लेख किये गये हैं ।

(ख) इस बारे में भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती ।

नागा पहाड़ी के शिविरों पर अभियान

†**३१७०. श्री सुबोध हंसदा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी तथा भारतीय अभियान दलों ने उत्तरी सीमा पर नागा पहाड़ी के शिखरों पर चढ़ाई के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन में से किसी को अनुमति दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में उन्हें उन शिखरों पर अभियान करने की अनुमति दी जायगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अखबारी कागज का आयात

†**३१७१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कैन्डिनेविया देशों, कनाडा और अमरीका से अखबारी कागज का आयात करने का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना अखबारी कागज़ आयात किया जायगा; और

(ग) क्या इस विषय में कोई करार किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ८०,५०० टन ।

(ग) जी हां ।

आकाशवाणी म उप-सम्पादक

†**३१७२. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार एककों के भाषा अनुभागों में वर्तमान उपसम्पादकों के पद का नाम पहले ट्रांसलेटर/अनाउन्सर था और उससे पहले ट्रांसलेटर था;

(ख) ट्रांसलेटर और बाद में ट्रांसलेटर/अनाउन्सर के उनके वेतन-क्रम क्या थे; और

(ग) उनका वर्तमान वेतन-क्रम क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां ।

(ख) ट्रांसलेटर का वेतन-क्रम १५०–५–२०० रुपये था । इस पद का नाम ११-२-१९४३ से ट्रांसलेटर/अनाउन्सर रखा गया और १-३-१९४५ से उसका वेतन-क्रम १७५–१०–२३५–१५/२–२५० रुपये कर दिया गया ।

(ग) २७०–१०–२९०–१५–४१०–कार्य दक्षता रोक–१५–४८५ रुपये ।

गैर सरकारी क्षेत्र में भारतीयकरण

†**३१७३. श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के रोज़गार में कर्मचारियों का उत्तरोत्तर भारतीयकरण होने के बारे में कोई अभिलेख रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक प्रेस टिप्पण शीर्षक "विदेशी फर्मों में भारतीयों की नौकरी—अग्रेतर प्रगति हुई ।" दिनांक १६ फरवरी, १९६२ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम

†**३१७४. श्रीमती रेणुका बरकटकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की यह नीति है कि प्रत्यक्ष कार्यक्रमों से भिन्न रिकार्ड किये गये कार्यक्रमों के प्रसारण को प्राथमिकता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति के निर्धारण में किन बातों को ध्यान में रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). आकाशवाणी की नीति, लेख, नाटकों, प्रलेखों आदि कुछ कार्यक्रमोंके पूर्व-रिकार्ड करने के लिये संसार भर के प्रसारण संगठनों की प्रणाली को अपनाना है, ताकि उनका उत्तम निर्माण हो और तकनीकी गुण प्रकार बढ़िया हो सके । ऐसे रिकार्ड करने के अन्य लाभ हैं कि व्यय में मितव्ययता होती है, कलाकारों को सुविधा रहती है और कुछ चुने हूए कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध केन्द्रों तथा विदेशी संघटनों को दिये जा सकते हैं ताकि वे अपने ही देश में अन्तर्प्रादेशिक मिलाप बढ़ाने और विदेशों में भारतीय संस्कृति तथा प्रथाओं का प्रचार करने में सहायता प्राप्त हो ।

आकाशवाणी

३१७५. श्री यशपाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली और अन्य केन्द्रों में कुल कितने विभागीय कलाकार (स्टाफ आर्टिस्ट) हैं;

(ख) क्या उसमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जिनका कला से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनसे दफ्तर का काम कराया जाता है ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जिनका संगीत अथवा बोलने से कोई सम्बन्ध नहीं है नियमित सेवा में नहीं लिया जाता और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनकी संविदा शर्तें और सामान्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एकसी हैं; और

(ङ) क्या इन विभागीय कलाकारों को भी मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते में वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जो दिल्ली के "ए" क्लास का नगर घोषित हो जाने के पश्चात् वेतन आयोग की सिफारिश पर अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिला था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) ३१-३-१९६२ को आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या १७२७ थी, जिनमें ४१६ दिल्ली में थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं । परन्तु नियमित सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को भी दी जाती हैं ।

(ङ) जी, नहीं । स्टाफ आर्टिस्टों को वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, परन्तु उनको उनके ठेके की शर्तों के अनुसार इकट्ठी मासिक फीस दी जाती है जो तमाम बातों को ध्यान में रख कर तय की जाती है ।

तेल मिल मालिक संघ, केरल

†**३१७६. श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल मिल मालिक संघ केरल के प्रतिनिधियों ने उस प्रीमियम को घटाने के लिये जो मिल वालों को खोप खरीदने पर राजकीय व्यापार निगम को देना पड़ता है, घटाने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी हाँ ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

भारत में विदेशी चाय व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†३१७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से प्रत्येक वर्ष में कितने भारतीय चाय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत में आये ;

(ख) वे कहाँ से आए ;

(ग) ऐसे कितने भारतीय प्रतिनिधिमंडल चाय निर्यात के लिये स्थान बनाने के हेतु विदेश भेजे गये; और

(घ) आगामी वर्ष में कितने ऐसे प्रतिनिधिमंडलों के आने जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) :—

	वर्ष	संख्या	देश
	१९५८.	१	रूस
	१९५९.	१	इराक
	१९६०.	२	पोलैंड और आइरिश गणतंत्र
	१९६१.	१	ईरान
(ग)	वर्ष	संख्या	विदेश में गये
	१९५८.	१	आयर
	१९५९.	२	ईरान और इराक
	१९६२ (अब तक)	१	अमरीका और कनाडा

(घ) इस समय जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पर ईराक एक चाय प्रतिनिधिमंडल के इस वर्ष पतझड़ के मौसम में भारत आने कीं संभावना है ।

विदेशी प्रदर्शनियों में चाय बोर्डों का भाग लेना

†३१७८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी प्रदर्शनियों में १९५८ से लेकर प्रति वर्ष भारतीय चाय बोर्डों ने भाग लिया ;

(ख) किन देशों में ये प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थीं; और

(ग) कितनी प्रदर्शनियों में आगामी वर्ष में बोर्ड के भाग लिये जाने की संभावना है और ये कहाँ आयोजित की जा रही हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क)

१९५८–५९	९
१९५९–६०	१३
१९६०–६१	११
१९६१–६२	१२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८–५९ अफगानिस्तान, कनाडा, इटली, आयरलैंड, ईराक, पोलैंड, स्वीडन और युगोस्लाविया ।

१९५९–६० आस्ट्रेलिया, कनाडा, चकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हालैंड, आयरलैंड, जापान, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, पोलैंड, अमरीका और युगोस्लाविया ।

१९६०–६१ आस्ट्रेलिया, बुलगारिया, पूर्व जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इटली, पोलैंड, टर्की, ट्यूनिशिया, अमरीका और युगोस्लाविया ।

१९६१–६२ अफगानिस्तान आस्ट्रेलिया, पूर्व जर्मनी, इटली, इथिओपिया, जोर्डन, पोलैंड, इरान, सीयालिया, सीरिया, अमरीका और युगोस्लाविया ।

(ग) १९६२–६३ में चाय बोर्ड निम्न देशों में ११ विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने का विचार करता है :

आस्ट्रेलिया, इटली, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, लिबिया, नाइजीरिया, पोर्लेंड, ट्यूनिशिया, अमरीका, रूस और युगोस्लाविया ।

चाय के निर्यात के लिये द्विपक्षीय करार

†३१७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चाय के निर्यात के लिये कितने देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार हैं ;

(ख) इन में से कौन से करार १९६१-६२ में किये गये थे या नवीकरण किये गये थे; और

(ग) आगामी वर्ष में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित द्विपक्षीय करारों के अधीन कितनी चाय का निर्यात होने की अपेक्ष की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) चाय १८ देशों के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार करारों की निर्यात अनुसूची में एक मद के तौर पर वर्णित है ।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में जोर्डन तथा इरान के साथ व्यापार करार किये गये थे और ग्रीस, रुमानिया, ट्यूनिशिया तथा युगोस्लाविया के साथ करारों का नवीकरण किया गया था । जुलाई, १९५३ के भारत मिश्र व्यापार करार तथा सितम्बर १९६० के भारत-मराको व्यापार करार संबंधी दस्तावेज पर क्रमशः १८ अक्तूबर, १९६१ और १९ जुलाई, १९६१ में हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ग) क्योंकि इन में से बहुत से करारों में विशिष्ट अभ्यंशों का उल्लेख नहीं किया गया है, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इन करारों के अधीन कुल कितना माल निर्यात किये जाने की संभावना है ।

चाय का निर्यात

†३१८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी

(क) २० नवम्बर, १९६१ को आरंभ होने वाले अर्ध वर्ष में जिस तिथि से चाय सम्पदाओं के लिये निर्यात अभ्यंश आवंटन की पद्धति से की गई थी, प्रत्येक देश को चाय का कुल कितना निर्यात किया गया है ।

(ख) १९५९–६० और १९६०–६१ में तत्समान अवधियों में हुए निर्यात की तुलना में यह निर्यात कैसा रहा है; और

(ग) विभिन्न देशों को चाय के निर्यात पर, अभ्यंश पद्धति समाप्त किये जाने का क्या सामान्य प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). २१ नवम्बर, १९६१ को आरंभ होने वाले अर्ध वर्ष में चाय निर्यात के देशवार पृथक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। १९६०–६१ और १९५९–६० की तत्समानी अवधियों में क्रमश: ९०,०४४,००० किलोग्राम और ८७,५२४,००० किलोग्राम की तुलना में इस अवधि में कुल निर्यात ८८,९५०,००० किलोग्राम था। ३१ मार्च, तक देशवार, निर्यात के आंकड़े इस प्रकार उपलब्ध हैं :

देश	मात्रा हजार किलोग्रामों में		
	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
इंगलैंड . .	४३,८९४	४७,८१६	४२,१४४
पश्चिमी जर्मनी . ..	८१९	५९७	४७९
आयरिश गणतंत्र . .	३,२३८	३,८२३	२,९१०
निदरलैंड्स	७६७	५३०	६९३
रूस .	४,२६६	३,६०१	४,१९८
अफगानिस्तान	८९७	१,४६७	१,३६४
बहराइन द्वीप .	२९४	२१९	२५२
इराक .	९८७	७२७	९११
ईरान .	१,३३३	२,२२०.	१,५९९
कुवैत . .	४५०	२८४	४१५
अरब . .	१०४	८७	५६
टर्की . .	१,५२५	१,२७२	१,२०४
मिश्र . .	७,११९	५,४८५	८,२३१
सूडान .	१,२९२	१,९७८	२,३८६
कनाडा . .	३,१२१	२,८०८	२,६६२
अमरीका . . .	४,३०७	४,०७४	४,७४८
चाइल . . .	२७२	२३२	२०७
आस्ट्रेलिया . .	१,०२३	५१७	१,४०२
न्यूजीलैंड . .	३२४	२८६	१६९
अन्य देश . .	१,५९०	२,०१३	२,३११
योग . .	७७,६२२	८०,०३६	७८,३३२

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस पद्धति की समाप्ति का उद्योग ने स्वागत किया है क्योंकि यह भारतीय चाय के निर्यात को अधिकतम बनने का प्रयत्न है । इस पद्धति की समाप्ति को थोड़ा ही समय हुआ है और इतनी शीघ्र कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†३१८१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ के अन्त तक परालकोट, अमरकोट और फारस गांव (दण्डकारण्य) में कितना क्षेत्र पूर्णतया सुधारा गया है ;

(ख) दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक और कितना अतिरिक्त क्षेत्र सुधारा जाएगा;

(ग) दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों को उन के पुनर्वास के लिये कितना क्षेत्र दिया जाएगा;

(घ) मार्च, १९६२ के अन्त तक दण्डकारण्य क्षेत्र में कितने विस्थापित परिवार पहुंच गये हैं ; और

(ङ) सुधारे गये क्षेत्रों में दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक कुल कितने परिवार सुचारू रूप से बसाये जाएंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) अप्रैल, १९६२ के अन्त तक ५७,२९९ एकड़ भूमि निम्न खंडों में पूर्णतया ठीक की गई है :—

परालकोट (नरैनपुर समेत)	१८९०५ एकड़
उमेरकोट (रामधर समेत)	३५,४०९ एकड़
फारस गांव	२,९८५ एकड़
योग	५७,२९९ एकड़

(ख) १ मई, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ के बीच लगभग ९,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि के सुधारे जाने की संभावना है ।

(ग) यह आशा की जाती है कि लगभग ५०,००० एकड़ भूमि, आदिम जाति का अभ्यंश, निकाल देने के पश्चात्, दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों को दे दिया जाएगा ।

(घ) ४,४०८ परिवार —१९,३१७ लोगों के ।

(ङ) यह आशा है कि जो परिवार जून, १९६२ के अन्त तक दण्डकारण्य पहुंच गये होंगे, दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक गांवों में भेज दिये जायेंगे ।

अलौह-धातु

†३१८२. **श्री दाजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये मध्य प्रदेश राज्य ने अलौह धातुओं का कितना अभ्यंश माँगा था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विविध धातुओं का कितना अभ्यंश मंजूर किया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अभ्यंश की कमी के कारण राज्य के उद्योगों को हानि उठानी पड़ी और वे बन्द हो गये; और

(घ) क्या अधिक अभ्यंश देने की सरकार की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राज्य सरकारों से आवश्यकतायें भेजने को नहीं कहा गया था । १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में आवंटनों के आधार पर ही पहली अवधि में आवंटन किये गये थे ।

(ख) किए गये आवंटन नीचे दिये गये हैं :—

टनों में

	जस्ता	तांबा	एलुमीनियम	रांगा
१९६०–६१	५००	८५०		९.५
१९६१–६२ . .	१३५०	१२००	८९	१२.०

(ग) और (घ). विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण अलौह धातु जैसे तांबा तथा जस्ता की सामान्य कमी है। सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध संभरण का समान वितरण किया गया है। भारत सरकार को नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऐसी कठिनाई हो रही है जो अन्य राज्यों को नहीं है । समस्त देश में छोटे पैमाने के उद्योगों को विस्तार तथा नये यूनिट स्थापित करने के कारण कठिनाई है । विदेशी मुद्रा की स्थिति के सुधार होने पर स्थिति ठीक हो जायेगी ।

अलौह-धातु

†३१८३. **श्री दाजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये विभिन्न राज्यों के लिये अलौह धातु का कितना अभ्यंश मंजूर किया गया था ;

(ख) इन अभ्यंश को मंजूर करने का आधार क्या था; और

(ग) क्या इस बात का निरीक्षण करने के लिये कि मंजूर अभ्यंश को किस उपयोग में लाया जाता है कोई केन्द्र है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]** ।

(ख) अलौह धातुओं के उपलब्ध संभरण के अन्दर राज्यों का आवंटन पुरानी खपत और पिछड़े राज्यों में विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यथा संभव समानतापूर्वक किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) छोटे पैमाने के औद्योगिक एकांशों को अलौह धातुओं का वितरण करना राज्य सरकारों का उत्तरदायत्व है। राज्य सरकारों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो अपने कोयाँ के अंज के तौर पर एकांशों को आवंटित किये गये कच्चे माल के उचित उपयोग पर नियंत्रण रखता है ।

मद्रास और उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये अर्जियां

†३१८४. **श्री धर्म लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में मद्रास और उत्तर प्रदेश के राज्यों से औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के लिये कितनी अर्जियां प्राप्त हुई थीं ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितने लाइसेंस दिये गये थे; और

(ग) लाइसेंस मना करने के क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ३७**]।

दक्षिण के राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योग

†३१८५. **श्री धर्म लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र, केरल, मद्रास और मैसूर के राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ;

(ख) क्या विद्यमान अल्प स्तर उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का स्वरूप क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबंध संख्या ३८**]।

त्रावनकोर मिनरल्स लि० का बन्द हो जाना

†३१८६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य त्रावनकोर मिनरल्स लि० को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** (क) और (ख). इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

अन्य कारणों के साथ साथ भारतीय इलमेनाइट की मांग में बहुत कमी है, क्योंकि इस के उत्पादन की लागत अधिक है । कंपनी के संयंत्र के वैज्ञानिकन और आधुनिकीकरण की दिशा में पहले कदम के तौर पर निदेशक मंडल ने यह फैसला किया है कि १ सितम्बर, १९६२ से चावारा के संयंत्रों में विंड रेबलों को बन्द कर दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़े के दाम

†३१८७. **श्री याज्ञिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े पर छापे गये दाम प्रति मीटर के दाम होते हैं ;

(ख) क्या माल प्रति गज उसी दाम पर बेचा जाता है क्योंकि साधारण क्रेताओं को गज और मीटर के बीच के अन्तर का पता नहीं है; और

(ग) सरकार इस बात के द्वारा उपभोक्ताओं को होने वाली हानि को रोकने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी बुरे तरीके की सूचना नहीं मिली ।

(ग) क्योंकि मीट्रिक प्रणाली चालू हो चुकी है उपभोक्ताओं को इस पद्धति का अभ्यास हो रहा है और उन के द्वारा उचित दाम दिये जाने की ही अपेक्षा की जाती है। क्योंकि मिल से निकलने के दाम, खुदरा दाम, उत्पादन शुल्क आदि कपड़े पर छपे होते हैं, सरकार द्वारा किन्हीं विशेष कार्रवाइयों को करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

चाय उद्योग के लिये अनुसंधान

†३१८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आधार पर उत्तर पूर्व भारत में चाय उद्योग के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) अभी नहीं। उत्तर पूर्व भारत के लिये वैज्ञानिक नथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहायक अनुदान के साथ एक सहकारी चाय अनुसंधान संस्था बनाने के प्रश्न के संबंध में चाय उत्पादकों के संघ की सलाहकार समिति के साथ उन्नतस्तर पर बातचीत हो रही है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

त्रिपुरा में खादी और ग्राम उद्योग

†३१८९. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में खादी तथा गाँव उद्योगों के विकास के लिये त्रिपुरा में कुछ राशि खर्च की गई है ; और

(ख) किन उद्योगों ने लाभ कमाया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलौह धातु के स्क्रैप की कमी

†३१९०. **श्री पं० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अलौह धातु के स्क्रैप की कमी के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों के अलौह धातु के स्क्रैप को छोटे पमाने के उद्योगों को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों एकांशों की अलौह धातुओं या मिश्र-धातुओं सम्बन्धी आवश्यकता अशुद्ध धातुओं के आवंटन के द्वारा अधिकतम संभव मात्रा तक पूरी की जा रही है। अलौह धातुओं की सामान्यत: कमी है विशेषकर तांबा और जस्ते की, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कठिनाई है । छोटे पेमाने के उद्योगों को कोई ऐसी विशेष कठिनाइयां नहीं हैं जो अन्य लोगों को न हों। छोटे पैमाने के एकांशों की कठिनाइयां मुख्यत: समूचे देश में विस्तार से तथा नये एकांशों की स्थापना के कारण बढ़ी हुई मांग के कारण है ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों के अलौह धातु टुकड़ों का निपटान नीलामी के द्वारा किया जाता है और कोई भी एकांशी नीलामी में भाग ले सकता है तथा बोली दे कर टुकड़े प्राप्त कर सकता है ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

अलौह धातु

†३१९१. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अनुसूचित उद्योग अलौह धातुओं (सेमिस) के निर्यात संवर्धन प्रोग्राम के अनुसार कार्य कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : निम्न तीन अनुसूचित उद्योग अलौह-धातुओं (सेमिस) के निर्यात व्यापार में भाग ले रहे हैं :—

१. ब्रास/कापर शीट्स एण्ड सर्किल्स ।

२. जिंक शीट्स

३. एल्यूमिनियम शीट्स सर्किल्स ।

रद्दी तांबा और जस्ता

†३१९२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी संस्थान तांबा और जस्ते का कबाड़ का उत्सर्जन कैसे करते है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (केन्द्रीय सरकारी विभागों को कबाड़ का उत्सर्जन करने का अधिकार है और मूल्य पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। सरकारी टकसालें और डाक, तार तथा कारखाने अपने तांबे और जस्ते के उत्सर्जन के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय की सेवायें प्रयोग करते हैं। साधारण रूप में कबाड़ पब्लिक नीलाम स बेचा जाता है या मात्रा अधिक हो तो विज्ञप्ति टेण्डरों से बेचा जाता हैं। विक्रय के नोटिस विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को भेजे जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय छोटी छोटी मात्राओं में किया जाता है।

आयात किये गये धातु का आबंटन

†३१९३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी संस्थानों, अनुसूचित उद्योगों, वास्तविक प्रयोगकर्ताओं, छोटे पैमाने के उद्योगों, आदि को तांबा, जस्ता, एन्टीमनी, रांगा, टिन जैसी आयात किये गये धातुओं का आवंटन करने की क्या प्रक्रिया हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आवंटन का आधार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९।]**

उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस

†३१९४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में उड़ीसा में व्यक्तियों और फर्मों ने कुल कितने औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र दिये ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों आदि को लाइसेंस दे दिये गये हैं ;

(ग) अब तक किस किस व्यक्ति और फर्म को लाइसेंस दिया गया है और किस प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) उड़ीसा में कुल कितने लाइसेंस ऐसे हैं जो वस्तुतः कार्य कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०।]**

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

†३१९५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम कलकत्ता पत्तन से निम्न और मध्यम श्रेणी के लौह अयस्क का निर्यात करता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में निम्न और मध्यम श्रेणी के लोह-अयस्क के निर्यात का क्या लक्ष्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ६७ प्रतिशत या इससे अधिक लोहतत्व वाला लोह अयस्क कलकत्ता पत्तन से निर्यात किया जाता है ।

(ख) कलकत्ता से निर्यात करने के श्रेणीवार कोई लक्ष्य नहीं हैं । कुछ क्षेत्रों में संभरण सीमाओं और अन्य क्षेत्रों में वहन कठिनाइयों का ध्यान रख कर कलकत्ता पत्तन से कुल लगभग ४ से ५ लाख टन प्रतिवर्ष निर्यात होने की आशा है।

खान मालिकों को विकास निधि का भुगतान

†**३१९६. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ से वर्ष १९६१-६२ तक प्रति वर्ष देश में राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न खान मालिकों को कुल कितनी विकास निधि दी गई ;

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा खान मालिकों को विकास निधि की कुल कितनी राशि दी गई और उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) विकास निधि के आवंटन के लिए राज्य व्यापार निगम को उड़ीसा खान मालिकों से कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) नहीं ।

(ग) उड़ीसा में खानों के मालिकों से नौ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें एक प्रार्थना-पत्र उत्कल खनन तथा औद्योगिक संघ का भी शामिल है । यह संघ उड़ीसा में खनन चलाने वालों की संघ है ।

विदेशों में चाय केन्द्र

†**३१९७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय चाय उद्योग को भारी मुकाबला करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने विदेशों में चाय केन्द्र खोले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थानों के क्या नाम हैं और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्। व्यावहारिक रूप में सामान्य चाय के बारे में ऐसी ही स्थिति है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चाय बोर्ड ने विदेशों में अपना पहिला चाय स्टाल मई १९६१ में काहिरा खोला था और वर्ष १९६१ में बैरूत में भारत सरकार व्यापार केन्द्र में एक 'टी नुक' खोला गया। काहिरा में चाय केन्द्र और बैरूत में 'टी नुक' लोकप्रिय हो रहे हैं और हम समझते हैं कि प्रचार सफल है ।

जाली पार पत्र

†३१९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में जाली पारपत्रों के कितने मामलों का पता लगा और सम्बन्धित व्यक्ति पकड़े गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (१) वर्ष १९६१–६२ में जाली पारपत्रों के खोजे गये मामलों की संख्या १३९।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या २४२।

सिलाई की मशीन

†३१९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ में सिलाई की मशीनें बनाने के लिए पंजाब में कितने सहायक यूनिट काम कर रहे हैं ;

(ख) कुल वार्षिक उत्पादन कितना था और वर्ष १९६१–६२ में कितनी मशीनें निर्यात की गईं ; और

(ग) इसी काल मे केन्द्र ने इन यूनिटों को कितनी सहायता दी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)

बड़ा उद्योग क्षेत्र	.	दो यूनिट
छोटा उद्योग क्षेत्र	.	जानकारी एकत्रित की जा रही है ।
(ख) बड़ा उद्योग क्षेत्र	.	१९६१ में ५,५०,९५७ रुपये के मूल्य के सिलाई की मशीनों के पुर्जे बनाये गये ।
छोटा उद्योग क्षेत्र	.	जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पंजाब के कारखानों से प्रति वर्ष निर्यात की गई सिलाई की मशीनों/पुर्जों की संख्या के ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अनुमान है कि निर्यात का मूल्य लगभग ५०,००० रुपये होगा ।

(ग) इन यूनिटों का अपना उत्पादन जारी रखने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और स्वदेशी इस्पात के आवंटन का ध्यान रख कर कच्चा माल और मशीनों के पुर्जे आदि आयात करने की सुविधायें दी जाती हैं । इन सुविधाओं के अलावा, सिलाई की मशीनों और पुर्जों के निर्यातकर्ताओं को सिलाई की मशीनों के निर्यात में शामिल होने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले सामान पर दी गई शुल्क कर सीमा/उत्पादन शुल्क वापस लेने की अनुमति है। भारत सरकार की संगत निर्यात संवर्धन, योजनाओं के अन्तर्गत अन्य प्रोत्साहन तथा सहायता भी इन निर्यातकर्ताओं को दी जाती हैं।

सूती कपड़ा

†३२००. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में सूती कपड़े की किस्मों में कोई सुधार या वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात पर और नये विदेशी बाजार ढूंढ़ने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) :** (क) हां। श्रीमान्।

(ख) सूती कपड़े का निर्यात अनेक बातों पर निर्भर करता है ; अर्थात् मूल्य, प्रकार निर्यात करने वाले अन्य देश के साथ मुकाबला, आदि। अतः केवल कपड़े की किस्मों में वृद्धि होने निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

पंजाब में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†३२०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९६१–६२ में अम्बर चर्खा के कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये ;

(ख) कितने प्रशिक्षणार्थियों ने इस में भाग लिया और उनके प्रशिक्षण काल में कितने मूल्य का कपड़ा तैयार हुआ ; और

(ग) प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये चर्खों के मूल्य के साथ उन योजनाओं पर कितना व्यय हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

पटसन का वर्गीकरण

†३२०२. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिल संस्था से अपने पटसन के स्टाक तथा खरीद का सफेद पटसन, तोसा पटसन मेसता और कतरन के अनुसार वर्गीकरण करने की प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हमें ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण

†३२०३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में कारखानों के मुख्य सलाहकार ने क्षेत्रीय श्रम संस्थायें स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं में कोई अनुसन्धान कार्य होता है ;

(ग) क्या मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई प्रशिक्षण संस्था भी स्थापित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस संस्था में योजना के प्रथम वर्ष में कुल कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को भी भेजा जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां । संस्था की इमारतों का निर्माण पूरा न होने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से किराये की इमारतों में छोटे पैमाने पर स्थापित किया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय श्रम संस्थायें पूरी तरह स्थापित होने पर केन्द्रीय श्रम संस्था के विशेषज्ञ कर्मचारियों की सहायता से क्षेत्रीय के लिए विशेष महत्व की समस्याओं पर अनुसन्धान और जांच पड़ताल करेंगी। यथाशीघ्र किराये की इमारतों में विद्यमान स्थितियों में जो भी अनुसन्धान कार्य किया जा सकता है वह आरम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त संगठन में एक प्रशिक्षण उपभाग (विंग) खोलने की योजना तीसरी पंच-वर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ।

(घ) योजना के प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण उपभाग के न खुल सकने के कारण उस काल में किसी अधिकारी को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका ।

(ङ) योजना में उपबन्ध है कि मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अधिकारियों तथा कुछ विदेशी सरकारों के नाम निर्देशित व्यक्तियों को भी इस विंग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

हिमाचल प्रदेश में लोक-निर्माण विभाग

†३२०४. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग के कार्यभारित

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की सेवायें नियमित नहीं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि निश्चय करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा ।

रबड़ उद्योग

†३२०५. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ;

(ख) क्या रबड़ की कृषि के लिए भूमि की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए देश भर में एकसाधारण सर्वेक्षण करने का कोई विचार है ; और

(ग) क्या रबड़ उद्योग का विकास करने के लिए संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के हेतु मलाया और लंका को कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जारी रखने के लिये की जाने वाली कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही निम्न हैं :—

(१) उत्पादकों में गहन कृषि की प्रविधियां जैसे वैज्ञानिक खाद देना, छिड़कना (स्प्रेइंग), पैदावार बढ़ाना और पौदा संरक्षण कार्यवाही ;

(२) रबड़ उगाने वाले विभिन्न जिलों में बोर्ड के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा टेक्निकल प्रदर्शन ;

(३) पुनः पौदा लगाने के लिए १००० रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देना और छोटे उत्पादकों को रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए ७५० रुपये प्रति एकड़ दीर्घकालीन ऋण देना ;

(४) उत्पादकों को सहकारी समितियों से १५० रुपये प्रति एकड़ अल्प-कालीन ऋण प्राप्त करने में सहायता देना ;

(५) अधिक पैदावार देने वाले पौदे लगाने का सामान मुफ्त उपलब्ध करना और ५ एकड़ या कम खेती वाले छोटे उत्पादकों को सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक उपलब्ध करना ।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी यूनिटों में विदेशी राष्ट्रजन

†३२०६. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार विभाग और वैदेशिक सेवा विभाग में कोई विदेशी राष्ट्रजन कार्य करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये कर्मचारी कितने हैं, वे किस के नागरिक हैं और वे किस-किस यूनिट में काम करते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). आकाशवाणी के समाचार सेवा डिवीजन में कोई विदेशी राष्ट्रजन काम नहीं करता है। वैदेशिक सेवा डिवीजन में उन्तीस विदेशी राष्ट्रजन काम करते हैं। उनकी नागरिकता और वे जिस-जिस यूनिट में काम करते हैं निम्न हैं :

१	लेबनानी	अरबी यूनिट
३	ईरानी .	फारसी यूनिट
६	वर्मी .	वर्मी यूनिट
२	इण्डोनेशियाई .	इण्डोनेशियाई यूनिट
३	तिब्बती .	तिब्बती यूनिट
३	फ्रांसीसी .	फ्रांसीसी यूनिट
३	नेपाली .	नेपाली यूनिट
५	चीनी . . .	चीनी यूनिट
२	ब्रिटिश नागरिकता के ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों के चीनी	चीनी यूनिट
१	ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीकी	स्वाहिली यूनिट

किंग्सवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति

†३२०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन के बाद के वर्षों में किंग्सवे कैम्प में अस्थायी छोटे मकानों में बसाये गये पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में किसी प्रकार सहायता प्राप्त मकान आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके आवंटन की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पाँच सदस्यों के परिवारों को जिन्हें पहले दो छोटे मकान मिले थे उन्हें अब केवल एक ही दिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) ५ और १० से अधिक सदस्य वाले परिवारों की क्रमानुसार संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). हाँ। रेह माल रोड़ पर रक्षित मूल्य पर मकान दिये गये हैं। इनका मूल्य प्रतिकर नियमों के अधीन किस्तों में दिया जा सकता है।

(ग) और (घ). हाँ। परन्तु माल रोड के प्रत्येक मकान में दो कमरे, रसोई, स्नानागार और शौचालय हैं जबकि रीड्स लाइन के मकानों में केवल एक कमरा था और न तो रसोई थी और न ही अलग स्नानागार या शौचालय था।

(ङ) ऐसे परिवारों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

अफ्रीका से कच्चे काजू का आयात

†३२०८. **श्री वारियार :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अफ्रीका से कच्चे काजू का निर्यात करने की कोई योजना अन्तिम रूप से निश्चित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

अणुशक्ति परीक्षणों का हिन्द महासागर पर प्रभाव

†३२०९. **श्री वारियार :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूसी वैज्ञानिक के समाचारपत्र में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सहारा में किए गए अणुशक्ति परीक्षणों का हिन्द महासागर के पानी पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या हमारे अणुशक्ति आयोग ने हिन्द महासागर में रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्थिति की कोई जाँच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकलें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हाँ। सरकार ने एक रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर व्लाडिमीर कोर्ड के कथित वक्तव्य के समाचार को पढ़ा है कि रुसी समुद्रशास्त्रियों ने सहारा में हुए फ्रांसीसी नाभिकीय परीक्षणों के बाद हिन्द महासागर में रेडियो सक्रिय तत्वों का पता लगाया है।

(ख) और (ग). अणशक्ति स्थापना ट्राम्बे ने इस काम के लिए हिन्द महासागर का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है ; परन्तु बम्बई के आसपास के अरब सागर के समुद्र के पानी को

†मूल अंग्रजी में

नाभिकीय विस्फोटों द्वारा दूषित हो जाने के बारे में प्राय: जांच की जाती है । जाँच से मालुम हुआ कि प्राकृतिक उद्भव के तथा नाभिकीय परीक्षणों के रेडियो सक्रिय तत्व उसमें हैं। जाँच से बम्बई के आसपास के समुद्र के पानी में सहारा में हुए अणुशक्ति परीक्षणों के कारण रेडियो सक्रिय तत्वों की वृद्धि नहीं मिली है ।

नारियल जटा सहकारी समिति

†३२१०. **श्री अ० व० राघन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ वर्ष के नारियल जटा सहकारी समितियों का विकास करने के मामले में क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्तमान समितियों की प्रगति का निर्धारण करने के क्या कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में भारत के विभिन्न नारियल उगाने वाले राज्यों में ४९ नारियल जटा सहकारी समितियों का गठन किया गया था। जिनमें से ४१ केरल में थी। वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस प्रकार भारत में ४९५ नारियल जटा सहकारी समितियाँ हो गईं ।

(ख) जी हाँ। १९६१ में नारियल जटा बोर्ड ने केरल में नारियल जटा सहकारी समितियों के कार्यवहन का अध्ययन किया था । बोर्ड के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

फिल्म सेंसर का केंद्रीय बोर्ड

†३२११. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड में महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में रबड़ बोर्ड कार्यालयों का बन्द हो जाना

†३२१२. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने केरल में पथनमथिट्टा तथा रन्ती में अपने कार्यालयों को बन्द करन का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार अथवा रबड़ बोर्ड को पथनमपिट्टा और रन्नी क्षेत्र के 'छोटे बागान मालिकों' से अभ्यावेदन मिले हैं कि इन कार्यालयों को बन्द न करें ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या बोर्ड का विचार अपने निर्णय को बदल देने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विकास विभाग के पुनर्गठन का रबड़ निरीक्षकों के कर्त्तव्यों का पुनः आवंटन के बाद यह निर्णय किया गया था कि पथनमथिट्टा तथा रन्नी में बोर्ड के कार्यालयों को बन्द करने का निर्णय किया गया था। परन्तु तालुक के छोटे उत्पादकों के एक कार्यालय को बनाये रखने के बारे में अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप रबड़ बोर्ड ने पथनमपिट्टा में कार्यालय बनाये रखने का निर्णय किया है ।

कारलोवी वेरी में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†३२१३. {**श्री उमा नाथ** :
श्री वी० च० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कारलोवी वेरी में हुए तेरहवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो भाग लेने के लिए कितनी भारतीय फिल्मों को चुना गया था ;

(ग) वे कौन-कौन सी थीं ;

(घ) फिल्मों का चुनाव करने के लिए कौनसी नीति अपनाई जाती है ;

(ङ) कौन सी अन्य फिल्मों पर विचार किया गया था तथा किन कारणों से उनको अस्वीकार कर दिया गया था ; और

(च) क्या कुछ भारतीय फिल्मों को पुरस्कार मिला था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रूपक फिल्म —"गंगा जमना" (हिन्दी)

प्रलेख फिल्म—"इन्विटेशन टू एन इंडियन वैडिंग"

(घ) फिल्म समारोहों के नियम तथा आवश्यकताओं को देखते हुए तथा फिल्म के गुणावगुणों को देखते हुए फिल्म उद्योग के परामश से सरकार विदेशी समारोह में भेजे जाने

†मूल अंग्रेजी में

के लिए फिल्मों का चुनाव करती है।

(ङ)

रूपक फिल्म	प्रलेख फिल्म
१. "स्त्री" (हिन्दी)	१. वाइव्ज एण्ड वाइव्ज
२. "काबुली वाला" (हिन्दी)	२. दि रोमान्स आफ दि इंडियन कायन
३. "चार दीवारी" (हिन्दी)	
४. "प्रपंच" (मराठी)	
५. "पासा मलार" (तमिल)	
६. "कौंजुम सलंगई" (तमिल)	
७. "सप्त पर्दा" (बंगाली)	

समारोह के नियमानुसार एक रूपक फिल्म की एक छोटी फिल्म ही भेजी जा सकती है। सरकार ने जिन फिल्मों पर विचार किया था उनमें से वहां पर भेजी गई फिल्म कारलोवी वेरी समारोह के लिये सर्वोत्तम मानी गई है थी।

(च) समारोह ९ जून से २४ जून १९६२ तक है और पुरस्कार बाद में दिए जायेंगे।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सदर बाजार में विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सदर बाजार के विस्फोट के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने की पूर्व सूचना मिली है। श्री बागड़ी.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ?

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में मुहरम के जुलूस के समय जो भयंकर बम-विस्फोट की घटना हुई, उस के सम्बन्ध में मैंने एक कामरो को प्रस्ताव दिया था। क्वेस्टियन आवर में मेरे पास यहां पर लाबी असिस्टेंट आए और उन्होंने यह कहा कि स्पीकर महोदय ने उसको पेश करने की अनुमति नहीं दी। इस सदन में काम-रोको प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति आप से मांगने के सम्बन्ध में अब तक की परम्परा यह थी कि कोई काम-रोको प्रस्ताव स्थगित किया जाता था, या उस की अनुमति विदहैल्ड की जाती थी, तो उस के सम्बन्ध में यहां पर लिखित सूचना प्राप्त होती थी। इस लिए इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा मौखिक सूचना का आना कोई संगत नहीं प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं कि आप इ सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य लिखित सूचना चाहेंगे, तो उस में मुझे कोई उज्र नहीं होगा, लेकिन उस हालत में मुझे काफ़ी वक्त पहले मिल जाना चाहिए । माननीय सदस्य का नोटिस तो पहले आया होगा, लेकिन बाद में आखिरी वक्त तक नोटिस आते रहते हैं और मुझे मिलते रहते हैं । इस लिए कोई वक्त नहीं होता कि माननीय सदस्यों को लिखित सूचना दी जा सके । ये नोटिस १०—४५ बजे ही नहीं, बल्कि १०—५५ बजे तक आते रहते हैं और मुझे उनकी इन्तज़ार करनी पड़ती है । अगर माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार कर लें कि कम से कम आध घंटा पहले मुझे नोटिस मिल जायेंगे, तो मैं ज़रूर लिखित सूचना दिया करूंगा । इस में कोई एतराज़ नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो उन को लिखित सूचना पहुंचा दी जायगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने अपनी सूचना ठीक दस बजे से भी पांच मिनट पूर्व दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की आई होगी, लेकिन मैं ने इन्तजार करनी होती है कि सब नोटिस आ जायें ।

श्री बागडी ।

श्री बागडी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस संबंध में अपना वक्तव्य दें :—

"सदर बाज़ार, दिल्ली में १४ जून, की रात को ९ बजे अचानक विस्फोट" ।

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जून, १४, १९६२, को रात के करीब १२—४० बजे बाराटूटी, पुलिस स्टेशन सदर बाजार, दिल्ली में एक पटाखा फैंका गया, जिस से ८ व्यक्तियों को साधारण चोटें पहुंचीं । इन ८ व्यक्तियों में एक पुलिस कान्स्टेबल, तीन अन्य व्यक्ति और चार बच्चे थे ।

जिस चौराहे पर पटाखा फैंका गया, वहां से मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था और एक अखाड़ा अपने कारनामे दिखा रहा था । उस जगह पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी । पुलिस का प्रबन्ध समुचित था । निकट की इमारतों पर भी पुलिस तैनात थी । फिर भी चोरी-छिपे भीड़ में पटाखा फैंक दिया गया ।

घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी को गहरी चोट नहीं पहुंची । आरम्भ में कुछ तहलके के बाद फिर अमन कायम हो गया और मुहर्रम का जुलूस शान्ति से निकाला गया । स्थान पर सब वर्गों के लोगों ने घटना की निन्दा की । एक विशेष दिलचस्पी की बात है कि इस वक्त सदर बाजार में कई हिन्दुओं ने जुलस के लिए ठण्डे पानी, पान इत्यादि की व्यवस्था की थी ।

घटना के तुरन्त बाद ही दिल्ली शासन के ऊंचे अधिकारी घटना-स्थल पर पहुंच गए । इलाके में किसी तरह का भय नहीं है और अन्य ताज़ियों के जुलूस अमन-चैन

से निकाले गये । पुलिस ने एक्सप्लोजिव सब्सटसेंज एक्ट की दफ़ा ६ के अन्तर्गत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किन्तु कई व्यक्तियों से पूछ-ताछ की जा रही है ।

श्री बागड़ी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि दिल्ली भारत का एक अहम मुकाम है और यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यके बाद-दीगरे ऐसी कई घटनायें हो रही हैं और उन घटनाओं के बाद एक तो सरकारी अफ़सरान मौके पर वक्तव्य दे देते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब सवाल पर आ जायें ।

श्री बागड़ी : मैं पूरी घटना बताने के बाद सवाल पर आऊंगा, वर्ना मिनिस्टर साहब सवाल को समझ नहीं पायेंगे ।

डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहां पर बयान दिया कि यह पहले की तरह का विस्फोट है, जो कि उन लोगों के द्वारा किया गया है, जो कि इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जो यह बताया गया है कि यह विस्फोट उन लोगों की तरफ़ से है, जो कि इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी और अहम बात है । पिछले कालिंग अटेन्शन नोटिस के मौके पर हमने कहा था कि इस अहम मसले के ऊपर . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य सवाल करें ।

श्री बागड़ी : पहली बात तो यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं कि इस किस्म के विस्फोटों से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अगर यह सच है, तो क्या वह इन की रोक-थाम के लिए इन्टेलिजेंस ब्यूरो की मार्फत कोई एन्क्वायरी कराना चाहते हैं या नहीं ।

श्री दातार : सरकार इस के बारे में जांच कर रही है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर वाद-विवाद के समय होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में सब बातें बता दी थीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सिर्फ़ इतना है कि आया सरकार इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट की मार्फ़त तहकीकात कराना चाहती है या नहीं ।

श्री दातार : सरकार ने सी० आई० डी० से जांच शुरू करवाई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पाण्डेय ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि इन विस्फोटों के जरिये देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि देश को बदनाम करने की खातिर ऐसी वारदातें की जा रही है। वह जानना चाहते है कि आया सरकार को इस की बाबत भी कोई सूचना है और इसके बारे में उस की क्या राय है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जाहिर बात है कि जो शख्स इन बातों को करते हैं या जो लोग कराते हैं, वे हिन्दुस्तान के दुश्मन है। वे निहायत क्रिमिनल टाइप्स है। इस में कोई शक नहीं है और मेरा ख्याल है कि यहां के सब मेम्बर्ज इस को बहुत सख्त नापसन्द करते हैं। यह एक वाक्या है कि अभी तक उन को पकड़ने में बहुत कामयाबी हासिल नहीं हुई है । इस बारे में जो कुछ भी राय रखी जाये जांच की गई है । यहां की पुलिस फोर्स तो करती ही है, हिन्दुस्तान की और जगहों से भी ऐसे लोग बुलाए गए हैं, जो कि यह काम करने के लिए अच्छे समझे जाते हैं । भीड़ में एक आदमी पटाखा छोड़ दे और फौरन अंधेरा भी हो जाता है, रात होती है और कुछ दीखता नहीं है और भीड़ में वह गायब हो जाये, तो उस को पकड़ना आसान बात नहीं है । यह अफ़सोस की बात है कि इस को रोकने का कोई माकूल इन्तजाम नहीं हुआ है । कोशिश हो रही है ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि कोई खास किस्म की व्यवस्था इस तरह के बम-विस्फोटों की रोक-थाम की नहीं हो रही है ।

अब तक जो प्रयत्न इन बम विस्फोटों को रोकने के लिए किए गए हैं, वे निष्फल रहे है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई नए क़दम सरकार की तरफ से बम विस्फोटों को रोकने के लिए उठाये जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का प्रोटेक्ट किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : अब तक जो रोक-थाम के लिए कदम उठाये गए हैं, उस के बाद अब कोई नया कदम उठाया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई नया कदम उठाया जाता है तो उसका बयान करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उसका असर निकल जाएगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही हैं । इस से पता चलता है कि पुलिस पूरी तौर पर सतर्क नहीं रहती । सरकार ने इसके बारे में क्या किया है ?

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली सदर) : पिछले अवसर पर माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि जांच का काम अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है । उस में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका मतलब यही है कि अन्य राज्यों के कुशल अधिकारी इसकी जांच के लिये भेजे गये है। वे यहां आकर जाच करेंगे । अभी जांच

†मूल अंग्रेजी में

हो रही है । अभी उस के संबंध में कुछ भी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उस से यह सब कांड रचने वाले लोगों का ही फायदा होगा ।

श्री बड़े (खारगोन) : ये बम-विस्फोटों के जो इंसीडेण्ट्स होते हैं ये केवल दिल्ली में ही होते हैं, दूसरे क्षेत्रों में नहीं होते हैं। दिल्ली चूंकि कैपिटल है, इस वास्ते भारत को बदनाम करने के लिये इनका किया जा रहा है । ऐसा अभी फरमाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी बम-विस्फोट हुआ है, इस में किस जाति के लोग पकड़े गये हैं और किन पर शुबहा है ?

अध्यक्ष महोदय : बता दिया गया है कि कोई पकड़े नहीं गये हैं।

श्री बड़े: दिल्ली में ही क्यों होते हैं ?

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : क्या यह सही है कि कल फटने वाला बम भी उसी प्रकार का था, जैसा कि ईद के मौके पर फटा था; यदि हां, तो क्या इससे पता चलता है कि दोनों के पीछे किसका हाथ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन प्रश्नों का इस तरह अलग-अलग बात करना ठीक नहीं है । हां, इतना स्पष्ट है कि विस्फोट करने वाले लोग देश के शत्रु हैं और विभिन्न समुदायों में तनातनी फैलाना चाहते हैं । वे हिन्दू हों, या मुसलमान, या सिख उनका उद्देश्य यही है वह एक गिरोह है ; कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है यहां तक कि एक को विस्फोट करते हुए ही पकड़ लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल के विस्फोट के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**): मैं दूसरे विस्फोटों की बात कर रहा हूं।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी): उस अवसर पर पुलिस का काफी बन्दोबस्त था। पुलिस जुलूस के साथ था या रास्तों पर तैनात थी ?

†**श्री दातार** : वह जुलूस के साथ थी । लेकिन आस पास की इमारतों में भी कुछ स्थानों पर पुलिस मौजूद थी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय एकता परिषद् की पहली बैठक की कार्यवाही

†**प्रधान मंत्री तथा वैज्ञानिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं राष्ट्रीय एकता परिषद् की २ और ३ जून, १९६२ को हुई पहली बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —१९५/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हुं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१९६/६२)**

न्याय पचायतों सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)**: मैं न्याय पंचायतों सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —१९७/६२)**

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उन के नाम के आगे दी गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है :—

१. श्री श्यामशाह
२. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
३. श्री मु० हि० रहमान
४. श्रीमती जयाबेन शाह
५. डा० पं० शा० देशमुख
६. श्री दे० द० पुरी
७. श्रीमती गायत्री देवी
८. श्री वि० तु० पाटिल
९. महाराज कुमार विजय आनन्द
१०. श्री उ० मु० तेवर

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : चौधरी ब्रह्म प्रकाश को १० मई तक अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी, पर वह ४ मई को सभा में उपस्थित थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन में उसे ठीक कर दिया गया है और उसे परिचालित कर दिया गया है।

क्या सभा इस सिफारिश से सहमत है ?

†**कई माननीय सदस्य** : : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विशिष्ट सहायता विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र)** मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कतिपय प्रकार की विशिष्ट सहायता की परिभाषा करने और तत्संबंधी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय प्रकार की विशिष्ट सहायता की परिभाषा करने और तत्सम्बन्धी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

वित्त (संख्या २) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा १२ जून को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाल विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : कृषि के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं मालूम पड़ती । इसका एक कारण यह है कि कृषि की प्रक्रिया में काफी समय लगता है ।

मैं श्री ढेबर की इस बात से सहमत नहीं कि कृषि की उपेक्षा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाकर अली मिर्जा]

कल माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि यदि कृषीय प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होने वाली कुछ भूमि वन-विभाग को दे दी जाये, तो भी देश में ८० करोड़ लोगों के लिये खाद्यान्न पैदा किये जा सकते हैं। फिर परिवार नियोजन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है?

हमें विचार करना चाहिये कि जन संख्या को नियंत्रित करना देश के हित मे है या नहीं। जन-संख्या की समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर हल की जा सकती है।

आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हमें इसकी जांच करनी चाहिये कि भूतपूर्व शासकों के खाते में कितनी विदेशी मुद्रा मौजूद है।

यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना को देखते हुए निर्यात पर अत्यधिक जोर देना आवश्यक है। हमे विदेशों में नये बाजार तलाशने चाहिये।

यदि यही हालत बनी रही, तो हमें अपनी मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन करना पड़ेगा। तब एक संकट की स्थिति पैदा हो जायगी।

सभी दलों को देश से भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ने के लिये कृत-संकल्प हो जाना चाहिये। तभी हमें सफलता मिल सकेगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : हम दस वर्ष बाद भी जनता को करों के भार से मुक्त नहीं कर पाये हैं।

इस बात से तो किसी को इन्कार नहीं कि देश की सम्पदा बढ़ी है। लेकिन क्या उस से जनता की समृद्धि में भी अभिवृद्धि हुई है?

वित्त मंत्री कहते हैं कि असमानता में कुछ कमी हुई है। लेकिन तथ्य देखिये। पिछले दस वर्ष में आय-कर देने वाले दस लाख व्यक्तियों की आय में प्रति व्यक्ति २,६०० रूपये की वृद्धि हुई है, लेकिन आम जनता की आय मे प्रति व्यक्ति ६० रुपये ही बढ़े हैं।

द्वितीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन देखने से वेतनभोगी कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों के बीच की असमानता स्पष्ट हो जाती है। १९४८–४९ से १९५६–५७ तक के काल में दो लाख रुपये के आस पास की आय वाले व्यक्तियों की आय में ३३६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन वेतन भोगी कर्मचारियों की आय में केवल १० प्रतिशत ही वृद्धि हो पायी है। इस से दोनों की असमानता स्पष्ट हो जाती है।

गैर सरकारी क्षेत्र में सब से अधिक वेतन और सब से कम मजूरी में अन्तर सरकारी क्षेत्र से अधिक है।

पिछली दोनों योजनाओं के नतीजे के रूप में उत्पादन बढ़ गई है, परन्तु यह उत्पादन युद्ध से पहले की अवधि से कम है।

आन्तरिक संसाधनों को पर्याप्त रूप से जुटाने में हम असफल रहे हैं और न उपयुक्त मात्रा में विदेशी संसाधन प्राप्त कर सके हैं। हम देश का तीव्र गति से विकास नहीं कर पाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्तरिक संसाधनों के प्रश्न को लीजिए। कराधान के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी हम आन्तरिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। कर लगाने के कुछ नियम होते हैं। कराधान की भी सीमा होती है ।

इस समय देश की परिस्थिति क्या है? हमें कर देने की लोगों की क्षमता को देखना है। कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मजदूरों की भी हालत अच्छी नहीं है। मध्य वर्ग के कर्मचारियों की स्थिति का भी पता है।

देश में रोजगार की कमी है। कई लोगों को पूरे समय के लिये काम नहीं मिलता। लाखों व्यक्तियों की रोजाना आमदनी दो आने से ले कर पांच आने तक है।

१९५१–५२ से प्रतिवर्ष, जहां तक उत्पादन तथा अन्य शुल्कों का सम्बन्ध है, आवश्यकता तथा उपभोक्ता की वस्तुओं पर कर बढ़ते रहे हैं। कराधान का प्रभाव इस देश के निर्धन व्यक्तियों पर होता है। जनता में कर देने की क्षमता कम होती जा रही है किन्तु कर बढ़ते जा रहे हैं। इस के विपरीत धनी व्यक्तियों को करों में छूट मिल रही है जैसा कि करों को वापस ले लेने अथवा अथवा उन में कमी करने के मामलों से स्पष्ट है। व्यापारियों और उद्योगों को पिछले वर्षों में अनेक छूटें दे दी गई हैं। परन्तु प्रत्येक वर्ष उन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क निरन्तर बढ़ता रहा है। जिनकी खपत देश के जनसाधारण करते हैं। हम इस नीति का विरोध करते हैं कि धनियों को तो करों में छूटें दी जाएं और निर्धन लोगों का बोझ बढ़ाया जाय ।"

यह कहा जाता है कि धनियों पर कराधान सीमा तक पहुंच गया है और उन पर अधिक कर नहीं लगाए जा सकते । यह बात सर्वथा गलत है ।

यह भी कहा जाता है कि देश में धन का एकत्रीकरण नहीं हुआ है। देश में किस हद तक धन का एकत्रीकरण हुआ है इस का पता इस बात से लग सकता है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की ३५ प्रतिशत पूंजी के स्वामी सात परिवार हैं ।

संसाधनों को मालूम करने के लिए मेरा पहला सुझाव है कि अवैध रूप से जहां कहीं भी सोना जमा रखा गया हो उस को राष्ट्रीय कामों के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। उन के स्वामियों को सजा के डर से अपने सोने इत्यादी की घोषणा करने के लिए बाधित करना चाहिये। हमें इस धन का प्रयोग करना चाहिये । जसे हमने कानून बना कर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है उसी प्रकार अवैध रूप से सोना जमा करने वालों को ऐसा सोना घोषित करने के लिए बाधित करना चाहिये । यदि वे लोग हमारा सहयोग दें तो अच्छी बात है, नहीं तो जबरदस्ती उनसे वह धन ले लेना चाहिये ।

देश में सभी बैंकों और ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं का सामान्य बीमा, निर्यात आयात व्यापार, बागानों और भारी उद्योगों के साथ राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

सब निर्यात और आयात व्यापार सरकारी उद्योग क्षेत्र में होना चाहिए। विदेशियों द्वारा नियंत्रित सभी फ़र्मों कोअपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस प्रकार से देश से बाहर जाने वाले धन का प्रयोग देश के विकास के लिए होगा ।

हम उन राजाओं और महाराजाओं को निजी थैली देते हैं जिनकी लाखों रुपये की सम्पत्ति है । ऐसे राजाओं और महाराजाओं के निजी भत्ते बन्द करने चाहिएं । जिन राजाओं की

[श्री अ० क० गोपालन]

और सम्पत्ति नहीं है उन्हें कुछ राशि दी जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार अपने संसाधनों को बढ़ा सकती है।

हमें विदेशी सहायता की अपेक्षा स्वदेश के संसाधनों पर अधिकाधिक निर्भर रहना चाहिये। जो देश हमें सहायता देते हैं वे यह चाहते हैं कि हमारे देश की नीतियाँ उनके अनुसार होनी चाहिएं। इन देशों में हमें धमकी देने की प्रवृत्ति है। हमारी सरकार की नीति यह है कि हम किसी देश से भी शर्तों सहित सहायता नहीं लेनी चारते परन्तु जो देश हमें सहायता देते हैं वे यह आशा करते हैं कि हम उनकी नीतियों का अनुसरण करें। इसलिए हमें अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहिये।

हमें अपने व्यापार की नीति में भी इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिये कि हमें विदेशी सहायता और ऋणों पर निर्भर न रहना पड़े।

यह कहा गया है कि कम्युनिस्ट गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्रों के विरुद्ध हैं। यह बात नहीं है। हम यह जानते हैं कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण काम करें, परन्तु यह राष्ट्र हित में होना चाहिए अपने हित में नहीं।

मूल्य बहुत बढ़ गए हैं। इस से लोगों को हानि पहुंच रही है। इस से योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को मूल्य स्थिर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार की कराधान की नीति लोगों ने स्वीकार करली है। यह तो लोग स्वयं सिद्ध कर देंगे। हमने तो अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। जो हम अधिक धन इकट्ठा करने का सुझाव देते हैं ; वित्त मंत्री उसकी अपेक्षा करते हैं।

†**श्री प्र० च० बरुआ** (शिवसागर) : ऐसा कहा गया है कि स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों के लोगों पर आसामी भाषा लादी गई है। यह बात गलत है।

हमें अपने औद्योगिक विकास पर गर्व है। हमने पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के आश्वासन दिए थे। यह भी कहा गया था कि सीमान्त क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। आसाम सीमान्त राज्य है, परन्तु वहाँ पर कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। कुछ दिन हुए यह कहा गया था कि बिजली की कमी होने के कारण आसाम में नए उद्योग स्थापित होने की संभावना नहीं है। यहाँ तक स्थिति हो गई कि राज्य के विधान मंडल ने राज्य की इस स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान संकल्प द्वारा आकर्षित किया। इस राज्य का औद्योगिक विकास होना चाहिये ताकि वहाँ लोगों को रोजगार मिले।

नए आयकर अधिनियम के लागू होने से आयकरावंटन में कमी होगी। सरकार को आयकरदाताओं को सामान्य तथा व्यक्तिगत नोटिस देने चाहिएं। यदि नए अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं का अच्छी तरह से पालन किया जाए और कर पेशगी देने के लिए कड़ी कार्यवाई की जाए, तो आय की बकाया राशि कम रह जाएगी।

अल्प आय वर्गों को कराधान से कोई विशेष राहत नहीं मिली है और जो कुछ मिली भी है वह अधिक उत्पादन शुल्कों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से खत्म हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बड़ी खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने चाय उद्योग को कुछ रियायत दी है । परन्तु निर्यात के काम में लाई जाने वाली चाय की पेटियों पर भी कुछ छूट देनी चाहिए । आन्तरिक चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि वापस ले लेनी चाहिये ताकि लोग इसे पी कर स्फूर्ति प्राप्त करें और काम करें । आशा है कि वित्त मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे और गरीब लोगों को चाय पीने देंगे ताकि उन्हें काम करने के लिए कुछ स्फूर्ति मिले ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । हमारे देश में कर वसूली तीन स्तरों पर होती है --- स्थानीय कर, राज्य द्वारा लगाये गए कर और केन्द्र द्वारा लगाये गए कर । लेकिन इन तीनों स्तरों की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है । इससे तीनों के क्षेत्राधिकार अस्पष्ट रह जाते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मनोरंजन कर और गृह-कर इत्यादि के बारे में स्थानीय निकायों को शिकायत है कि राज्य को उनकी वसूली नहीं करनी चाहिये ।

इन तीनों प्रकार के करों के बारे में स्थानीय निकायों, राज्यों और केन्द्र में परस्पर कोई समझौता नहीं हुआ है । सभी के क्षेत्राधिकार अस्पष्ट हैं । इसलिए तीनों समझते हैं कि उनके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण हो रहा है ।

अब तो सभी राज्यों में पंजायती राज्य स्थापित होता जा रहा है । इसलिए अत्यावश्यक हो गया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री के संरक्षण में इन तीनों स्तरों के करों की स्पष्ट परिभाषा कर दी जाये, जिससे कि मनमुटाव की गुंजाइश न रह जाये ।

मैं सरकार की विदेशी सहायता लेने की नीति की प्रशंसा करता हूं । सभी को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ।

हमारे देश को धन की आवश्यकता है । यह तो निर्विवाद है । लेकिन यदि हम अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्म-निर्भर नहीं बनाते तो, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अधिक मूल्य नहीं रह जायेगा ।

हमारा देश बिल्कुल ठीक ढ़ंग से आगे बढ़ रहा है । लेकिन हमें अपने ही देश में ऐसे संसाधन पैदा करने पड़ेंगे, जो विदेशी ऋण को चुकाने की सामर्थ्य हमारे अन्दर पैदा करें ।

हमने समाजवादी ढ़ंग की अर्थ-व्यवस्था अपनाई है । लेकिन समाजवाद के बारे में हर एक का अपना अलग विचार और अपनी धारणा है ।

संसद् ने निर्णय किया है कि समाजवादी ढंग की हमारी अर्थ-व्यवस्था मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होगी । मिश्रित का अर्थ है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और गर-सरकारी दोनों रहेंगे ।

साथ ही, हमें सहकारी क्षेत्र चलाना है । उसे एक आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपना ली है, तब मंत्रिगण परस्पर विरोधी वक्तव्य क्यों दिया करते हैं। उसमें अस्पृश्यता की कोई गुंजाइश ही नहीं। प्रसन्नता की बात है कि हम ऊंची आय वालों पर ८७ प्रतिशत तक कर लगाते हैं।

हमें सब से अधिक ज़ोर निर्यात संवर्धन पर देना चाहिये।

निर्यात संवर्धन में हमें अपने विदेशों में स्थित मिशनों की भी सहायता लेनी चाहिये।

निर्यात संवर्धन के लिए जरूरी है कि विदेशों में हमारे उत्पादों की साख जमे। इसलिए हमें विदेशों में अपने उत्पादों की प्रदर्शिनियां काफी अच्छे पैमाने पर संगठित करनी चाहिएं।

जो निर्यातक काफी समय से जमे हुए हैं और जो व्यापार समवाय पूंजीवादी देशों की व्यापार संस्थाओं से अच्छे संबंध बनाये हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सरकारी निर्यात अभिकरणों को तो केवल गैर-पूंजीवादी देशों के निर्यात का काम सौंपना चाहिये।

वैदेशिक व्यापार में पर्याप्त वृद्धि किये बिना हमें देश के विकास के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा नहीं मिल पायेगी।

†**श्री महीडा** (आनन्द) : आज के संसार में कांचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया है। कहा गया है :

"सर्वेगुणा : कांचनम् श्रयन्ति।"

और वित्त मंत्री पर इसी का दायित्व है।

हमें धन की आवश्यकता है और देश के पास धन है नहीं। पर हमें धन पाना है। वह दो ही तरह से मिल सकता है : विदेशों से सहायता के रूप में, या देश के अपने संसाधनों से। हमें देश की हालत सुधारने के लिए जोड़ तोड़ परिश्रम करना चाहिये।

अपने देश के संसाधनों को समृद्ध बनाने के लिए सब से अधिक आवश्यक कार्य ग्रामों को उन्नतबनाना है। ग्रामों को उन्नत बनायें, हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार दृढ़ नहीं बन पायेगा। उसके बिना देश में लक्ष्मी नहीं आयेगी।

हमें जीवन में सरल और विचारों में उच्च बनना चाहिये। देश के विकास के लिये जरूरी है कि विलास को कोई स्थान न दिया जाये। इसलिये विलास-वस्तुओं का आयात बिल्कुल ही रोक दिया जाना चाहिये।

हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसलिये अप्रत्यक्ष करों में और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती।

कहा जाता है कि देश में जितना सोना है और जितने भी बैंक हैं, उन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मैं पूछता हूं कि उससे लाभ क्या होगा ? उससे देश के संसाधनों में तो कोई वृद्धि हो नहीं जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तविक हल यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाये और निर्यात संवर्धन किया जाये। निर्यात संवर्धन से ही हमको देश के विकास के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा मिलेगी।

पर निर्यात संवर्धन तभी हो सकेगा, जब निर्यात की वस्तुओं की किस्म सुधारी जाये।

आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी क्षेत्रों में मितव्ययता हो। सरकारी व्यय को घटाने की कोशिश करनी चाहिये। इसके लिये राष्ट्रपति भवन तथा राज्यों के राज भवनों के व्यय में कटौती की जानी चाहिये। शान-शौकत पर इतना अपव्यय नहीं होना चाहिये।

यदि हमारी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निर्माण देश में ही होने लगे, तो फिर प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं रहेगा। प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है।

कहा गया है कि भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों में कटौती की जाये। यह न उचित होगा और न लाभदायक।

देश के संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है यदि सोने का तस्कर व्यापार बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाये। इसके लिये सरकार को और भी कड़े कदम उठाने चाहियें।

जनता के साथ, सभी संसद्-सदस्यों और मंत्रियों को भी व्यय में संयम और मितव्ययता से काम लेना चाहिये। नहीं तो जनता पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : हालांकि अधिकांश बातें करों के सम्बन्ध में कही गई हैं, फिर भी सामान्य अर्थ-व्यवस्था के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मूल्यों और देश के बाह्य तथा आन्तरिक संसाधनों का भी काफी उल्लेख रहा है। मैं यहाँ उनमें से कुछ को लेती हूं।

श्री प्र० के० देव और श्री अ० क० गोपालन और कुछ अन्य सदस्यों ने मूल्य वृद्धि की शिकायत की है। मूल्य सम्बन्धी विभिन्न आँकड़ों की तुलना करते समय लोग सापेक्ष मूल्यों को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। सापेक्षता तो मूल्य निर्धारण प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। श्री प्र० के० देव का कहना है कि युद्ध पूर्व की तुलना में धन का मूल्य गिर गया है। मैं यह नहीं मानती। हाँ, मैं यह मानती हूं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। और यह भी मानती हूं कि मूल्यों में बुनियादी स्थिरता लाई जानी चाहिये। लेकिन माननीय सदस्य मुद्रा-स्फीति को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। क्या युद्ध में और युद्ध के बाद के काल में जो भी हुआ, उसके लिये हम जिम्मेदार हैं? क्या मूल्यों के स्तर की उससे तुलना की जानी चाहिये? १९५० से १९५९ तक के काल में भारत में मूल्य-वृद्धि की वार्षिक दर केवल २.१ प्रतिशत रही है। यह कोई बहुत अधिक तो नहीं।

कई माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे देश के आँकड़ों की तुलना अन्य देशों के आँकड़ों से नहीं की जा सकती। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि युद्धोपरान्त अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव संसार के सभी देशों पर पड़ा है। इस क्षेत्र में जो भी कुछ हुआ है वह परस्पर सम्बन्धित है। वित्त मंत्री ने कल कहा था कि हमारे पास समय की कमी है। हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि पाश्चात्य देशों में भी मूल्य वृद्धि हुई है, और हमारे देश से कहीं अधिक हुई है। इंगलैंड और जापान में वह ४ प्रतिशत प्रति वर्ष रही है, और पाकिस्तान तक में ३ प्रतिशत प्रति वर्ष। कई लेटिन अमरीकी देशों में तो वृद्धि २० से ३० प्रतिशत प्रति वर्ष रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

मैं मूल्य वृद्धि की समस्या के महत्व को कम करके नहीं आँकती। हमें बड़ी सावधानी के साथ उसका विश्लेषण करना चाहिये। सरकार मूल्यों में उचित स्थिरता कायम रखने के महत्व को पूरी तरह समझती है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न आर्थिक माँगों और दवाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के अनुसार धन सम्बन्धी नीति बनानी पड़ती है। अन्ततोगत्वा उत्पादन की निरन्तर वृद्धि ही मूल्यों में स्थायी तौर पर स्थिरता ला सकती है।

कई माननीय सदस्यों ने योजना की प्रगति और लक्ष्यों के पूरे न हो पाने की बात कही है। एक या दो वर्ष उत्पादन की गति धीमी हो जाने से हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि योजना ने हमारी विकास की जिन मूल शक्तियों का निर्माण किया है उनकी विफलता सिद्ध हो गई है।

पिछले दशक में हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन लगभग दो गुना हो गया है। यदि १९६१ में कुछ कारणों से उत्पादन धीमा पड़ गया था, तो अब उसकी गति पुनः तेज़ हो गई है।

यदि हम अपने उत्पादन की गति जनवरी–अप्रैल १९६२ के स्तर पर भी बनाये रहे तो फिर वह बढ़ कर द्वितीय योजना के स्तर तक पहुंच जायेगी। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन की गति धीमी और तेज होती रहती है। और यह स्वाभाविक भी है। इसलिये हम फिर से ८ प्रतिशत वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये। १९६१–६२ में खाद्यान्नों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है;—वह ७९३ से ८०० लाख टन हो गया था। जूट और तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : तृतीय योजना की प्रगति के बारे में हमने ही नहीं, स्वयं योजना मंत्री तक ने आशका प्रकट की है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** १९६१ में उत्पादन की गति कुछ धीमी हो गई थी। वित्त मंत्री ने उसकी व्याख्या भी की थी। श्री नाथपाई स्वयं समझते हैं कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में यह स्वाभाविक है।

माननीय सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों की आलोचना की थी। उनकी शिकायत है कि उनको अधिक लाभ नहीं हो पाता। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री सुब्रह्मण्यम ने बताया भी था कि सरकारी उपक्रमों को ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। परन्तु माननीय सदस्यों ने फिर वही प्रश्न उठा दिया है।

सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रमों में लगाई गई पूंजी से होने वाली आय का विश्लेषण करने के लिये भली प्रकार स्थापित उपक्रमों और उन उपक्रमों में जो अभी प्रारम्भिक स्थिति में हैं, हमें दोनों में विभेद करना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों की तुलना नहीं की जा सकती।

हमने सरकारी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का कार्यक्रम अभी-अभी तो शुरू किया है। अभी वे अपनी शैशवावस्था में हैं। पूर्णतः स्थापित हो चुकने और विकास कर चुकने के बाद ही उनकी तुलना निजी क्षेत्र के उपक्रमों से की जा सकेगी। इसलिये कि निजी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग को स्थापित हुए कितना अर्सा हो चुका है। वे पूरी तरह जम चुके हैं। और वे जमे भी थे संरक्षण में। माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारतीय इस्पात उद्योग को १९२४ में ही संरक्षण मिलने लगा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह संरक्षण केवल १९४७ में दिया गया था। इस संरक्षण की दशा में रहने के कारण उनको इस्पात इत्यादि सरकारी उपक्रमों के मुकाबले में कुछ लाभ भी हुआ। उन्होंने मूल्यों के मुकाबले में अपने आप को मंडी में खड़े रखना पड़ा है। परन्तु मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ भी महत्वपूर्ण रहा है। १९६०–६१ में हिन्दुस्तान टूल्ज़ फैक्टरी ने कर इत्यादि देकर १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ दिया। हालांकि यह कारखाना अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था और इसके लिए बहुत से सन्देह भी प्रकट किये गये थे। परन्तु कुछ ही वर्षों में इसने कमाल कर दिखाया और अच्छा नफा कमाने लगा है और काफी विश्वास का वातावरण निर्माण हुआ है। इसी तरह हिन्दुस्तान केबल्ज़ ने भी कर इत्यादि अदा करके ११.२ प्रतिशत लाभ कमाया है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का नफा १३.३१ प्रतिशत है, हिन्दुस्तान इनसक्टीसाइड्ज़ का ११.४ है और ट्रावनकोर मिनरल्ज़ का ११.३ प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह व्यक्त नहीं होता कि इन उपक्रमों में लगी हुई पूंजी और शक्ति व्यर्थ जा रही है।

अब मैं प्रत्यक्ष कराधान की ओर आती हूं। एक बात तो स्पष्ट ही है कि आयव्ययक प्रस्तुत करने से पूर्व आयव्ययक की नीति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह तो गोपनीय बात होती है और इस परम्परा को साधारणतः सभी जानते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम में भी कुछ उपबन्ध बदल दिये जाते हैं। यह वित्त का अधिकार होता है, इससे संसदीय लोकतंत्र को कोई खतरा पैदा नहीं होता। आवश्यकता महसूस करने पर वित्त मंत्री संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री मुरारका ने जो यह सुझाव दिया है कि अल्पकालीन पूंजीगत लाभ से होने वाली हानियां न केवल अन्य पूंजीगत आस्तियों से प्राप्त आय द्वारा बल्कि अन्य संसाधनों से प्राप्त आय द्वारा भी, पूरी करने की अनुमति होनी चाहिये, स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि पूंजीलाभ आय नहीं है हमें समझ लेना चाहिए कि जब सट्टे जैसे व्यापार की हानियों को अन्य संसाधनों से होने वाले लाभ से पूरा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो अल्पकालीन पूंजी हानियों को अन्य आयों से पूरा करने की अनुमति न देने में कोई अन्याय नहीं है।

श्री मुरारका की बात को मैं एक अन्य प्रकार से भी स्पष्ट करती हूं। उन्होंने कहा कि १० लाख से १२ लाख के बीच सम्पत्ति पर खंडित दर से कर निर्धारित किया जाता है तो लोगों को परेशानी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री महोदय ने सारे मामले का खूब परीक्षण किया है। सम्पत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत २ लाख की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं है। फिर १२ लाख तक १ प्रतिशत कर है। फिर १२ से २२ लाख तक १.५ प्रतिशत कर है। इस बात को वित्त मंत्री महोदय ने अपने आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में स्पष्ट भी किया है। हां, इतना जरूर किया गया कि बाहर की सीमा १० लाख कर दी गयी। मतलब यह हुआ कि १० से १२ लाख तक कर १.७५ प्रतिशत कर दिया गया। पुराना कर १ प्रतिशत था। परन्तु इससे अब बचा नहीं जा सकता था, क्योंकि सारा परीक्षण करने के बाद इतना ही फैलता था। इन शब्दों से मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे शान्तिपूर्वक सुना।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (हौशंगाबाद) : वित्त विधेयक के आर्थिक अंगों पर चर्चा हो चुकी है अब मैं इसके राजनीतिक पहलुओं पर विचार करूंगा। वित्त मंत्री महोदय ने कुछ आवश्यक औषधियों पर उत्पादन शुल्क को कम करके २.५ प्रतिशत यथामूल्य रहने दिया है, यह उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बात की है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि सरकार औषधियों पर गलत लेबल लगाने और उनमें मिलावट करने और नकली औषधियों की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

बिक्री पर कड़े कदम उठाये। मिलावट करने वालों को कम से कम यह दंड दिया जाये कि जनता से कोड़े लगवाये जायें।

इस के बाद मैं वित्त मंत्री का ध्यान सर्वोदय आन्दोलन की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि क्या सरकार गत १२ वर्षों में देश को सर्वोदय के मार्ग पर आगे बढ़ा सकी है अथवा नहीं। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और गैर सरकारी आयों में बहुत अधिक असमानता है। हम ने आय पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने से इन्कार कर दिया है। इस स्थिति में समाजवाद का निर्माण कैसे होगा ? साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संसद कार्य मंत्रालय और सम्बद्ध मंत्री महोदय को सभा के मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के लिए अलग कमरे और क्लर्कों की सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।

मिग विमानों के सौदे के बारे में मेरा निवेदन है कि इस सौदे पर निर्णय करते समय सरकार को उसके समस्त राजनीतिक, वित्तीय, सामरिक एवं संचालन सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीन में एक अच्छी सुसज्जित सेना है और वहां रूस द्वारा बनाया गया मिग विमान कारखाना भी है। यदि चीन के साथ हमारा झगड़ा हुआ तो क्या रूस हमें अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए मिग विमानों के संचालन के लिए सहायता देगा। मुझे इस में सन्देह है।

विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसी व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं इसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही चीन के खतरे के प्रति भी हमें बहुत जागरूक रहना होगा। आज हमारे देश को सब से अधिक खतरा चीन से है। मुक्त किये जाने वाले देशों में चीन ने भारत को भी शामिल किया है। इस वर्ष भूटान और सिक्किम में भी चीन अतिक्रमण का प्रयत्न करने वाला है। प्रधान मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या उनका यह आश्वासन आज भी सत्य है कि सिक्किम और भूटान के विरुद्ध आक्रमण भारत के विरुद्ध आक्रमण माना जायेगा जब कि सीमा पर संकट और जासूस वहां काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना जैसी योजनाओं का जो अलवर के निकट सिरिस्का में चल रही है, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से और अधिक समर्थन करना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि विष्णुपुर, इम्फाल में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज ने यहां पहली बार भारत का झंडा फहराया था, सरकार द्वारा कोई स्मारक नहीं बनाया गया। सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम देश में लोकतंत्र को स्थापित रखना चाहते हैं तो हमें दल को देश नहीं समझ लेना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो यह तानाशाही की ओर कदम समझा जायेगा।

†**श्री ज० रा० मेहता** (पाली) : वित्त विधेयक के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमारी कर व्यवस्था इस प्रकार की है कि इस से फजूलखर्ची को प्रोत्साहन मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि यहां कुछ क्वार्टरों में हम ने जिस प्रकार के जीवन स्तर का अवलोकन किया है वह जन-

†मूल अंग्रेजी में

साधारण के जीवन से बिलकुल मेल नहीं खाता है। इसे स्वस्थ विकास नहीं कहा जा सकता। हमें प्रत्येक अवस्था में इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज का निर्माण है, परन्तु इस से जो वातावरण तैयार होता है वह समाजवादी समाज को प्रोत्साहन देने वाला नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें प्रत्येक उद्योग अथवा व्यापार के लिए मनोरंजन, सवारी, यात्राभत्ता और महंगाई के मामले मे स्तर निर्धारित कर दिया जाये। इस प्रतिशत में जो कुछ बचे उस पर आय कर नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो लोगों को बचत की दशा कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा यह भी विचार है कि यदि चोर बाजार में एकत्र धन पर, कुछ रियायत दी गयी तो गत अवसर की अपेक्षा और अधिक धन सामने आ सकता है। इसके लिए हम इस प्रकार की शर्त भी रख सकते हैं कि इस प्रकार की बताई हुई रकम का २० अथवा २५ प्रतिशत मात्रा हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में धन लगाने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

यह भी खेद की ही बात है कि विकास के मामले में पिछड़े हुए राज्यों में कोई प्रगति नहीं हो रही है। उन राज्यों की सहायता करने के किसी सुझाव के बारे में इस बात को सामने रखते हुए निर्णय करना चाहिए कि प्रगतिशील और पिछड़े हुए राज्यों के बीच अन्तर को दूर करना है अथवा नहीं। पिछड़े हुए राज्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने इस प्रकार का आश्वासन भी दिया है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इलमिनाइट उद्योग केरल में विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मार्च १९६३ तक हमारे सब सौदे ब्रिटेन से समाप्त हो जायेंगे। इस समय हम ब्रिटेन को १ लाख टन और अमरीका को १½ लाख टन इलमेनाइट निर्यात कर रहे हैं। अब शायद इसका निर्यात नहीं होगा। यह बात उल्लेखनीय है कि हम ने जो २½ लाख टन इलमेनाइट का निर्यात किया उस में हमें ६ करोड़ विदेशी विनिमय का लाभ हुआ। अब इसके निर्यात के बन्द हो जाने के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना है कि यदि मोनेजाइट तैयार करने का बड़े पैमाने पर काम आरम्भ किया जाय तो अधिकतर लोग इस कारखाने में लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य 'रेअर अर्थ' से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। मोनाजाइट भी है जो कि केरल के तट पर मिलती है। सन्देह हुआ था कि इसे अणु प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है परन्तु बाद में यह सन्देह दूर हो गया था। इसे हम पश्चिमी जर्मनी में भेजते भी रहे हैं। इन सब से केरल की बेरोजगारी काफी दूर हो सकती है।

एक और बात जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं पश्चिमी तट पर चलने वाले पाल वाले जहाजों की शोचनीय हालत है, विशेषकर वर्षा के मौसम में। बम्बई, कांडला और कुंडापुर और अन्य पत्तनों से, जहां बड़े जहाज नहीं ठहरते, पाल वाले जहाज सामान एक पत्तन से दूसरे पत्तन में ले जाते हैं। वर्षा के दिनों में इन्हें कोई चेतावनी नहीं दी जाती और न ही इन पर कोई आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र होते हैं। उन की हालत का कई कई दिन तक पता नहीं चलता। यह बड़े दुःख की बात है कि समुद्र में तूफ़ानों के दिनों में इन्हें भगवान के सहारे पर रहना पड़ता है। ऋतु विज्ञान विभाग और प्रतिरक्षा विभाग को उन लोगों की सहायता करनी चाहिये ताकि वे सुरक्षित रह सके। जब भी कोई गम्भीर खबर आये, और जहाज अपने ठिकाने पर न पहुंचे तो मुख्य पत्तनों पर प्रतिरक्षा संस्थाओं को उन्हें खोजने के लिए आदेश दे देना चाहिये।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में पाकिस्तानियों के घुस आने की समस्या हल करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि जो मुस्लिम परिवार हमारे देश में कई पीढ़ियों से रह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

रहे हैं और जिन के पास नागरिकता के मान्य दस्तावेज हैं, उन्हें अवैध रूप से घुस आने वाले न मान लिया जाये। हाल में मुझे मालूम हुआ है कि त्रिपुरा में ७०० व्यक्तियों को जो मुस्लिम हैं भारत से पाकिस्तान चले जाने का नोटिस दिया गया है। इन में से १०० परिवार ऐसे हैं, जो पीढ़ियों से वहीं रहते चले आ रहे हैं और आम चुनावों में मतदान कर चुके हैं। प्रशासन को यह नहीं समझना चाहिये कि सारे मस्लिम अवैध रूप से घुस कर आये हैं इस लिए उन सब को पाकिस्तान भेज दिया जाये।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इस चर्चा के दौरान में जितनी भी बातें कही गई है, उन सब का नोट कर लिया गया है किन्तु उन सब का उत्तर देना तो संभव नहीं होगा, हां, उन पर विचार अवश्य किया जायेगा। मैं इस समय उन बातों की चर्चा करूंगा जिनका सम्बन्ध वित्त विधेयक या सरकार की आर्थिक नीति से हैं।

मैं माननीय सदस्यों का यह खयाल दूर करना चाहता हूं जब वे यह कहते है कि सरकार अपने आप को हमेशा ठीक समझती है और दूसरों को गलत। हम ने कभी ऐसे नहीं सोचा। न ही यह बात ठीक हैं कि सरकार कोई आलोचना सुनना पसन्द नहीं करती। सरकार सब आलोचनाओं, तथ्यों पर सावधानी से विचार करती है, सही बातों को स्वीकार करती हैं और देखती है कि सुधार कैसे हो सकता हैं और यदि नहीं हो सकता तो उस के कारण क्या है? जो कुछ सदस्य कहें, मैं स्वयं उन को ध्यान से सुनूंगा और उस से लाभ उठाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने विद्युत् करघों के मामले की ओर निर्देश किया हैं। विद्युत् करघों को जो रियायतें दी गई है, वे बहुत उदारतापूर्ण है। अतः उन के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। वे जो कुछ दे रहे है वह मिलों या मिले जुले एककों द्वारा दी जाने वाली राशि से बहुत कम हैं। इन में इतना अन्तर भी नहीं होना चाहिये कि विद्युत्-करघों को कोई विशेष सुविधा प्राप्त हो। उचित प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये, साथ साथ उचित संरक्षण भी किन्तु उस संरक्षण से किसी एक खंड को अनुचित लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिये। सरकार केवल यही प्रयत्न करती है यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

यह मेरे लिये संतोष की बात हैं कि रियायतों की घोषणा के बाद करारोपण प्रस्तावों की बहुत कम आलोचना हुई है। किन्तु मैं यह भी सुनता हूं कि चूंकि इतनी रियायतें दी गई है; इस लिये ये प्रस्ताव ठीक तरह तैयार नहीं किये गये थे। समाचार-पत्रों ने भी ऐसा कहा हैं कि ये प्रस्ताव गुप्त रूप से बनाये जाते है और उन आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता हैं जो उपलब्ध हों। किन्तु इसकी एक असुविधा भी है और वह यह कि कुछ ऐसे भाग भी होते है जहां रियायत देना आवश्यक होता हैं। इस पर विचार किये जाने के बाद वह रियायत हमेशा दे दी जाती है और हमें ऐसा रियायत देने में कोई संकोच भी नहीं होता। किन्तु इस आलोचना से यह लाभ अवश्य होता है कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय बजट के और रियायत आदि के प्रस्तावों पर अधिक से अधिक सावधानी से ध्यान देने के लिये बाध्य होते है। हम इस आलोचना से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भी बार बार वही तर्क दुहराये जाते हैं। कुछ भी हो, इस वर्ष यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यक्ष करों का उचित करारोपण नहीं हुआ।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में भी यह कहना तथ्यों के अनुसार नहीं है कि वे केवल गरीबों से लिये जाते हैं।

अमेरिका जैसे धनवान देशों को छोड़कर शेष सभी देशों में अप्रत्यक्ष कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जनसाधारण को कम से कम असुविधा हो। किन्तु जन साधारण को बिल्कुल मुक्त नहीं किया जा सकता। यदि केवल अमीरों पर ही कर लगाये जायें, तो हमें 1/10 या 1/8 या 1/5 आय भी नहीं होगी, क्योंकि इस देश में अधिकतर जनसंख्या साधारण ही है। इसलिए अप्रत्यक्ष कर केवल गरीबों को नहीं अमीरों को भी देने पड़ते है। अमीरों में गरीबों की तुलना में उपभोग अधिक होता है। निचले स्तरों पर अधिक उपभोग खाद्यान्न और मोटे कपड़े का होता है और खाद्यान्न पर कोई कर नहीं है। मोटे कपड़े पर भी बहुत कम कर है। इस लिये उनको बहुत कम देना पड़ता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगडे): खाद्य पदार्थों पर राज्यों में कर लगाये जाते है। इन सब को भी जोड़ना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई**: इस समय राज्यों द्वारा लगाये गये करों की बात नहीं हो रही।

कहा गया है कि तम्बाकू जनसाधारण के लिए है। इसलिए इस पर कर नहीं होना चाहिये। किन्तु तम्बाकू को किसी हालत में आवश्यक वस्तु नहीं कहा जा सकता। यह केवल विलास की वस्तु है और हानिकारक है। फिर भी यदि लोग इसका प्रयोग करते है तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। किन्तु मुझे इस पर कर लगाने से रोका नहीं जाना चाहिये, यह करारोपण का उचित साधन है।

चाय पर कर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इस लिये कि निर्यात बढ़ाया जाये। चूंकि उत्पादन असीमित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता, इस लिए हमें यह भी देखना है कि उपभोग भी बहुत न बढ़े।

†**श्री अ० क० गोपालन**: मद्य निषेध को हटा कर अधिक राजस्व क्यों प्राप्त नहीं किया जाता?

†**श्री मोरारजी देसाई**: मद्य और तम्बाकू में तुलना नहीं की जा सकती। मैं इस समय मद्यनिषेध की चर्चा नहीं करना चाहता।

†**श्री महोदा**: मद्यनिषेध के बारे में सारे देश में एकरूप नीति क्यों नहीं अपनाई जाती?

†**श्री मोरारजी देसाई**: हर एक बात में एक रूपता नहीं हो सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

इन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कराधान के समस्त मामलों में हमें निर्णय वास्तविकताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर करना चाहिये । यदि इस दृष्टि से देखा जाये, तो मानना पड़ेगा कि बजट और वित्त विधेयक में जनसाधारण पर कम से कम हाथ डाला गया हैं ।

मैं ने यह कभी नहीं कहा कि यहां अमीर लोग नहीं है या गरीब लोग अधिक नहीं हैं । किन्तु गरीबों की स्थिति सुधारने के लिये अमीरों को मारा तो नहीं जा सकता। वास्तव में हम उन की सहायता से गरीबों की दशा सुधार सकते हैं और सुधारेंगे । उनकी दशा अमीरों को कोड़े लगा कर तो सुधारी नहीं जा सकती जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया हैं । कोड़े लगाना कोई सभ्य तरीका नहीं है । अप मिश्रण को दूर करने का भी यह तरीका नहीं हैं । श्री द्विवेदी ने कहा है कि हम अफ़ीम के मामलों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो ७ या ८ हजार मुकदमे दायर किये गये है, उन में से ८० प्रतिशत लोगों को दंडित किया गया है । केवल २० प्रतिशत मुकदमे असफल रहे और उन के अपराधी हो गये ।

†**श्री बड़े** : २० प्रतिशत बड़े मामले है और ८० प्रतिशत छोटे मामले है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह गलत बात हैं । वे हमारे वकील मित्रों के दिमाग से छूट जाते हैं।

†**श्री बड़े** : यह जांच में नुक्स के कारण है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह वकीलों के दिमाग के कारण हैं ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : माननीय मंत्री वकीलों के बहुत विरुद्ध हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं वकीलों के विरुद्ध नहीं हूं । वकील का कर्तव्य सचाई सिद्ध करने का है और न्याय की सहायता करना हैं । ऐसा मेरा विचार है । वकीलों का भिन्न विचार हो सकता हैं ।

अफीम के मामलों के मुकदमों में से ८० प्रतिशत लोग दण्डित किए गए। केवल २० प्रतिशत मुकदमे असफल रहे । इस की अजीब आलोचना की जाती हैं । इस से कैसे सुधार हो सकता है । यदि यह कहा जाए कि ये २० प्रतिशत भी असफल नहीं रहने चाहियें, तो मैं मानने के लिये तयार हूं । हमें इस प्रकार काम करना चाहिए कि एक प्रतिशत भी असफल न रहे । इस तरह से काम हो सकता है । परन्तु ऐसी भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि प्रत्येक बात इसलिए गलत हैं कि कांग्रेस के हाथ में सरकार की बागडोर हैं ।

भारत में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक है। संसार में चोरी की अफीम में भारतीय अफीम का प्रतिशत केवल २ प्रतिशत है। तुर्की अफीम का प्रतिशत २२ है। अन्तर्राष्ट्रीय निकाय ने भी

---

†मूल अंग्रेजी में

यह स्वीकार किया है कि हम ने जो कदम उठाये हैं वे अच्छे हैं और उन्होंने दूसरों से भी उन कदमों की सिफारिश की है। हम उन सिफारिशों को अच्छा बना सकते हैं और चोरी से अफीम ले जाने का कोई मामला न हो। संसार में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि चौर्यानयन बिल्कुल बंद हो जाये। हमें कोशिश करनी चाहिये कि प्रत्येक दिन यह कम हो। इसके लिये माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये।

जहां तक सिरिसका, प्रशिक्षण योजना का संबंध है, सरकार उस के पक्ष में है। इसको अधिक सहायता राज्यों से मिलनी चाहिये। यदि सब स्कूल इस योजना को अपना लें तो हम इस सारे देश में फैला सकेंगे और यह हमें लाभ देगी। मेरे माननीय मित्र को इस संबंध में अधिक प्रचार करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या भारत में दो तीन केन्द्र खोले जा सकते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यही तो मैंने सुझाव दिया है। हम व्यय करने से नहीं हिचकिचायेंगे। परन्तु केवल व्यय से ही योजना सफल नहीं होगी। यदि उसे अधिक खर्चीला बनाया जायेगा तो वह कम प्रभावोत्पादक रह जायेगी। इस लिये मैं चाहता हूं कि यह अधिक खर्चीला न बने।

सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण से किसी को लाभ नहीं होगा। इससे सरकार को खतरा होगा इसलिये मैं सरकार को इस के राष्ट्रीयकरण की मन्त्रणा नहीं दूंगा। हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि इसे बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से चलाया जाये। इस के लिये हम और वे कदम उठा रहे हैं। मेरे विचार में हर रोज परिस्थितियों में सुधार हो रहा है।

सोने के संग्रह का मामला प्रत्येक व्यक्ति के लिये महत्वपूर्ण है। मैं भी चार वर्ष से इस पर विचार कर रहा हूं। मुझे ऐसा कोई हल नहीं मिला है जिससे लाभ भी होगा। मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं। यह सच हो सकता है कि देश में २,००० करोड़ का सोना है। यह तो प्राक्कलन है। यथार्थता का किसी को नहीं पता। मैं यह आंकड़े मानने के लिये तैयार हूं। फ्रांस में इससे अधिक था। हमारे पास सोना आभूषणों के आकार में है। वहां सिक्कों की शकल में था। आभूषणों की शकल में नहीं। उन्होंने जो तरीके अपनाये उन्हें ७५ करोड़ रुपयों से अधिक के मूल्य का सोना नहीं मिल सका जब कि सोना और सिक्के ३,००० करोड़ रुपये से अधिक थे। सोने के अनुचित संग्रह को दण्ड से नहीं रोका जा सकता। अनेक कठिनाइयों के कारण हमारे लिये ऐसी कार्यवाही करना कठिन है। यदि यह आसान होता तो मैं एक दिन भी नहीं रुकता। मैं इसके लिये दण्ड की व्यवस्था करवाता, क्योंकि सदन द्वारा कानून पास किया जाता। परन्तु सदन के सामने आने से पूर्व मुझे विश्वास होना चाहिये कि इसका कुछ लाभ भी होगा। यदि ऐसा नहीं है तो कानून बनाने से क्या लाभ होगा।

माननीय सदस्यों ने आयकर दाताओं की कुल आय का उल्लेख किया। उन्होंने दो विभिन्न वर्षों का उल्लेख किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंचे वर्ग के लोगों की आय बढ़ गयी है। यदि वे करदाताओं की संख्या पर विचार करते तो उन्हें पता चलता कि कर से पहले और कर के बाद कितनी आय थी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मैं वित्त मंत्री को बता सकता हूं कि द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में भी ये आंकड़े दिये थे। मैं ने प्रतिवेदन के पृष्ठ ८२–८४ पर से यह जानकारी ली है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कहा जाता है कि दो लाख रुपये से अधिक आय वालों की संख्या २ से २९ हो गई थी। ४४ करोड़ की जन संख्या में २९ की संख्या क्या है? यह आम करदाता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

नहीं हैं। वह सही बात नहीं है। १९५३–५४ में सब कर-दाताओं की कुल आमदनी ४१० करोड़ रुपये थी और १९५९–६० में ६२६ करोड़ रुपये हो गई है। परन्तु करदाताओं की संख्या भी दुगनी हो गई है। प्रत्येक करदाता की औसतन आय १४,०१५ रुपये से १३,०३४ रुपये हो गई है। कर-उपरांत की आय ११५२७ रुपये से ११०५४ रुपये हो गई है। कराधान से यह अन्तर हो गया है। परन्तु ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों की आय बढ़ रही है। मैं ने पिछली बार कुछ आंकड़े दिये थे जिससे यह सिद्ध होता था कि निम्न वर्ग के करदाताओं की आय बढ़ रही थी और उपर वालों की आय कम हो रही थी। ऐसा हो रहा है और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। परन्तु यह माना नहीं जाता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : आप किन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र ने कहा। वे कोई वर्ष कहें। मैं उन्हें विश्वास दिलाने के लिये तैयार हूं कि वह गलत है और मैं सही हूं। किसी और आदमी को निर्णय करने दीजिए।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : एक न्यायाधिकरण स्थापित कीजिए।

†**श्री मोरारजी देसाई** : न्यायाधिकरण के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे तथ्य ठीक हैं। उत्पादन शुल्क के बारे में भी उन्होंने यही नतीजे निकाले हैं। वे कहते हैं कि मिट्टी के तेल से धन प्राप्ति १९५०–५१ में २८ लाख रुपये से १९६१–६२ में १३.२० करोड़ रुपये हो गई है अथवा लगभग ४७ गुना बढ़ गई है। इस से लोगों ने यह अनुमान लगाया कि इस देश में शुल्क ४७ गुना है। परन्तु असलियत क्या है ? शुल्क १९५०–५१ में १८.७५ नए पैसे प्रति इमपीरियल गैलन से १९६१–६२ में बढ़ कर ४८.५ नए पैसे प्रति इम्पीरियल गैलन हो गया है। इस ४८.५ नए पैसे में भी १२ नए पैसे प्रति गैलन वे हैं जो कि कर में वृद्धि नहीं है, परन्तु जो हमने कम्पनियों से लिये हैं। इसलिये वे लोगों पर कराधान में वृद्धि नहीं थी। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस देश में तेल पर शुल्क ४७ गुना बढ़ा दिया है। यह सही नहीं है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं ने आंकड़े रिजर्व बैंक के चलार्थ पर प्रतिवेदन से आंकड़े लिये हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह आंकड़े मैं दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने करों के बारे में आंकड़े नहीं दिए हैं। अब चीनी को लें। मैं सब मदों के लिये आंकड़े दे रहा हूं। राजस्व १९५०-५१ में ६६९ रुपये से १९६१–६२ में ५६५० रुपये हो गया है। फिर भी वे कहते हैं कि इन चीजों पर हम ने बहुत शुल्क लगा रखा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं ने प्रत्येक मद क लिये आंकड़े नहीं दिये हैं। मैं ने तो १९५०–५१ के आंकड़ों दिए थे और १९६१–६२ में बजट में जो व्यवस्था की गई उस के बारे में बता दिया और वृद्धि के बारे में बता दिया।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं तो यह कह सकता हूं कि आप को दरों का नहीं पता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन :** मिट्टी क तेल के लिये २८ लाख रुपये से १,००० लाख रुपये बढ़ कर हो गया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** देखें दर कितने से बढ़ गई है। १९५७ में दर ११ से २२ हो गई थी। परन्तु चीनी पहले से अधिक उठाई जाती है। अब चीनी की खपत अधिक है। इस लिये अधिक कर लगाए जाते हैं और अधिक चीनी उत्पन्न की जाती है। यह बात नहीं समझी जाती है। वह तो यही दिखाना चाहते हैं कि चीनी की दरें इतनी बढ़ गई हैं कि ६ करोड़ रुपये से ६६ करोड़ रुपये हो गई हैं। ५६ करोए में से १३ १।२ करोड़ रुपये बिक्री कर के बदले में हैं। जो पहले ही लगाया जा रहा था। यह नया कर नहीं है। इस लिये वे आंकड़े सही बात नहीं बताते हैं।

कागज के मामले में भी वही ठीक हैं। राजस्व की वृद्धि के आंकड़े दिए जाते हैं। परन्तु करों की वृद्धि के बारे में नहीं बताया जाता। दियासलाई के बारे में भी वही परिस्थिति है। इस ओर मेरे माननीय मित्र ने एक दियासलाई दी थी और कहा था कि इसकी कीमत ७ नए पैसे है यद्यपि आप कहते हैं कि ६ नए पैसे लिये जाते हैं। यह दियासलाई 'डि लक्स' किस्म की है, साधारण नहीं। उस पर लिखा है कि ७ नए पैसे के लिए ५०। यह गलत तरीके से नहीं किया जाता। यह 'डि लक्स' होने के कारण इस के लिये ७ नए पैसे लिए गए हैं।

श्री गोपालन जो रियायतें सरकार ने १९५१–५२ से १९६१–६२ तक की का जिक्र कर रहे थे। यह बड़ी होशियारी का तरीका है। परन्तु उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कर उस समय से अब तक उसी वर्ग पर लगाये गये थे। वे यह नहीं कहते कि हमारा करों से राजस्व बढ़ गया है, कि आय कर १६० करोड़ रुपये से बढ़कर ३२५ करोड़ रुपये हो गया है। वे यही कहते हैं कि "आप ने यह किया है।" यदि मैं ने यह बताना है कि क्या किया है तो मुझे भी सब बातें गिननी पड़ेंगी। वे किसको याद रह सकते हैं ?

पूंजी लाभों पर १९५६ में पुनः कर लगा दिया गया था। १९५६ में ही अधिक लाभांशों पर कर लगाया गया। पंजीबद्ध फर्मों पर १९५६ में पहली बार कर लगाया गया। १९५७ में सम्पत्ति कर लगाया गया। १९५८ में दान-कर लगाया गया। १९५७ में कम्पनियों पर की दर १९५६ से ४३.४३ प्रतिशत से बढ़ा कर ५१.५ प्रतिशत कर दी गई। १२½ प्रतिशत के मुकाबले में १९५७ में बोनस अंशों पर कर की दर बढ़ा कर ३० प्रतिशत कर दी गई। यह सच हैं कि अधिक लाभांशों और कम्पनियों पर सम्पत्ति कर १९५९ में हटा दिया गया। परन्तु क्यों ? क्योंकि यह कुल निगम कर में शामिल किया था और मैंने कहा था कि इन सब राजस्वों से कर इसमें शामिल है और इस तरह से यह कई लगाया जाता है। उस मतलब से इस हटाया गया नहीं माना जा सकता परन्तु ऐसा दिखलाया जाता हैं कि यह हटा दिया है।

यह भी सच हैं कि बोनस अंशों पर कर १२½ प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। यह इस लिये किया था कि इस दर पर इसका जारी रखना उचित नहीं था और इससे कोई आय नहीं थी। अतः कर का भार एक दिशा में कम कर दिया गया क्योंकि ऐसा करना उचित था। अन्य दिशाओं में कर भार बढ़ गया है। माननीय सदस्य यह नहीं कहते कि इस वर्ष सम्पत्ति कर बढ़ा दिया है और इससे भी पूर्व व्यय कर में भी जोकि अब हटा दिया गया है मैंने सखती की थी और मैंने कहा था कि पति और पत्नी द्वारा व्यय एक हो समझा जायेगा अलग अलग नहीं। यह करने पर भी जब व्यय कर स अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो मैं क्या करता ? यदि व्यय कर आय-कर बढ़ाने में भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरार जी देसाई]

मेरी सहायता करता तो मैं इसे रख लेता। इससे सरकार को किन्ही गोलमालों का पता नहीं लगा और उल्टे लोगों में गलत काम करने शुरू कई दिये। लोगों ने नकदी अपने पास रखनी शुरू कर दी और अपने आय और हिसाब से इसे छिपाना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार से व्ययकर और आय-कर दोनों को हानि मुझे हुई। इन बातों के कारण व्यय कर को हटा दिया गया हैं। जब व्यय कर हटा दिया हैं, हमने सम्पत्ति कर बढ़ा दिया हैं। २ प्रतिशत बढाकर २.५ प्रतिशत कर दिया हैं। १ प्रतिशत बढ़ा कर १.२५ प्रतिशत कर दिया है। हम ने आय कर को सब से ऊंचे खंड को भी बढ़ा दिया हैं। ८४ प्रतिशत से ८७ प्रतिशत हो गया है। मैंने पहले बताया था कि २० लाख रुपये की आमदनी में से व्यक्ति ३,९५,००० रुपये बचाता हैं। यह २० प्रतिशत से कम हैं। मैं उसकी आय कर ८० प्रतिशत से अधिक कर के रूप में ले लेता हूं।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मरकापुर) : वे हिसाब दिखाएं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे ऐसा नहीं करते है। जो मेरे माननीय मित्र के विचार में हैं वह मैं कैसे सोच सकता हूं ? कुछ सीमा से अधिक मुझे पता नहीं लग सकता यदि पता लगाने में माननीय मित्र मेरी सहायता करें तो मैं उनका आभारी हूंगा। माननीय सदस्यों को सही आकड़े देने के लिये गलत नहीं। पिछले दस महीनों से मूल्य बढ़ने बन्द हो गये है। यह एक अच्छी चीज है। और हम सबको उसे कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु वे सदैव ऐसा करने की कोशिश करते है और वे मेर साथ झगड़ते है। जब कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्य गिरते है तो वे कहते है "उन्हें बढ़ाओ।"

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह मूल्यों के बढ़ने के लिये कैसे उत्तरदायी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : आप सदैव कीमतें बढ़ाने और वेतन बढ़ाने के लिये आंदोलन करते रहते है। यहां कीमतों के बढ़ाने के लिये उत्तरदायी है। क्योंकि कृषि संबंधी कीमतें बढ़ जाती है, इस लिये दूसरी कीमतें भी बढ़ जाती है। जब कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो कृषकों की दशा अच्छी हो जाती है। इसीलिये वे अपने कराधान अच्छे ढंग से और अधिक मात्रा में देते है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मैं इस किताब से दिखाऊं कि उन्हें लाभ नहीं हुआ ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : आप ठीक नहीं पढ़ते। आप यदि मेरे पास आयें तो मैं ठीक पढ़ाना बता दूंगा।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि निजी थैलियां बन्द कर देनी चाहियें। कई लोग ऐसा कहते हैं। हमें इतिहास को भी याद रखना चाहिये। हमने स्वयं ही इसे मंजूर किया और यह संविधान है। जब स्वतंत्रता मिली तो ये राज्य स्वतंत्र बन गये। ये सब सरदार पटेल जी ने किया। उन्हें इन राज्यों के महाराजाओं से समझौता किया। सबने कहा यह अच्छी बात हैं। यदि ऐसा न होता तो हम एक राष्ट्र न बनते। इसके लिये हमने उन्हें यह कीमत दी। परन्तु यह हमने स्वेच्छा से किया। यदि आप निजी थैलियों को हटाते हैं तो उसके लिये उचित कारण होने चाहियें। यही कारण ठीक नहीं हैं कि वे हमारी नीतियों का विरोध करते है। माननीय सदस्य भी हमारी नीतियों का विरोध करते है तो क्या मैं उनसे कहूं कि वे भारत में नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह हमारी नीतियों का विरोध करे या न भारत में रहने का अधिकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रजातंत्र है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे मित्र प्रजातंत्र के विरुद्ध है। मैं क्या कर सकता हूं। फिर भी वे एक मान्य दल हैं, चुनाव लड़ते है और एक बार केरल में उन्होंने शासन भी संभाला था। यह प्रजातंत्र की विचित्र बात है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐसी बात करने का कोई लाभ नहीं क्योंकि उनकी विचारधारा और हैं, हमारी और है। केवल एक चीज साझी हैं और वह यह कि हम सब चाहते हैं कि जनसाधारण सुखी रहे। जो भी त्रुटियां हैं, हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि कोई त्रुटि हैं ही नहीं। मैं वह नहीं कहता कि देश में अत्यधिक गरीबी नहीं है। गरीबी है और हमें उसे दूर करना हैं। हमें इसे दूर करने के लिये २० या ३० वर्ष चाहियें और सबका सहयोग चाहिये। यह गरीबी किसी जादू की छड़ी से दूर नहीं हो सकती। हमें उस चीज की भी आशा नहीं करनी चाहिये जो हो नहीं सकती।

कुछ न कुछ असमानताएं तो रहेंगी। यदि एक व्यक्ति दुःखी है, तो ये नहीं भूलना चाहिये कि बहुत से सुखी है और उन्होंने उन्नति की हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ने में सहायता दें। यही प्रयत्न हम बजट विधानों और सरकार के द्वारा करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं की क्रियान्विति करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो १३ जून, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गई थी सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो १३ जून, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गई थी सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन श्री बाल्मीकी द्वारा १ जून, १९६२ को प्रस्तावित अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा करेगा।

†**श्री उमा नाथ** (पुदुकोटई) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। अस्पृश्यता निवारण की इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टि से ही अस्पृश्यता निवारण आज के युग की मांग है। अस्पृश्यता के विद्यमान रहने से अफ्रीका तथा अन्य देशों में पृथक्करण नीति के विरुद्ध संघर्ष करने में हम स्वयं का दुर्बल अनुभव करते हैं।

आजादी के १४ साल बाद भी आज अस्पृश्यता क्यों है? हमने हरिजनों की उन्नति और सुधार के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। किन्तु अस्पृश्यता निवारण के कानून को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और स्वर्ण हिन्दुओं में परस्पर सांठ गांठ हो गई हैं और वे कानून को निरर्थक बना रहे हैं।

यह कहना गलत है कि अनुसूचित जातियों के लोग अपने आप कोशिश नहीं करते। प्राक्कलन समिति ने साफ कहा है कि वे आर्थिक रूप से स्वर्ण हिन्दुओं पर निर्भर है। जब तक उनकी यह निर्भरता कायम है, और जब तक सरकार इसे दूर न करे, तब करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी अस्पृश्यता दूर नहीं होगी। ऐसे अधिकतर लोग कृषि श्रमिक हैं और कृषि श्रमिक जांच समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि उनमें बेकारी बढ़ रही हैं। सरकार की नीति से उनकी निर्भरता और भी बढ़ रही है। भूमिधारी पर सीमा लगाने का अधिनियम को असफल साबित हुआ है और सरकार के पास लाखों एकड़ परती भूमि बिना वितरिण किये पड़ी है।

हरिजनों के कल्याण के लिये जो करोड़ रुपया खर्च किया गया है, उसमें से अधिकतर प्रचार पर खर्च हुआ है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि जो रकम खर्च हुई दिखाई जाती है, वह वास्तव में पूरी खर्च नहीं की गई होती।

†**श्री बालकृष्ण वाष्णिक** (गोंडिया) : अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। हम देखते हैं कि इनकी क्रियान्विति ठीक ढंग से नहीं होती और मंजूर की हुई रकम खर्च नहीं की जाती। हर वर्ष बहुत सी रकम व्यपगत हो जाती है।

मेरे विचार में श्री बाल्मीकी हरिजनों के सुरक्षण को १९७१ के बाद जारी नहीं रखना चाहेंगे। मैं भी नहीं चाहता कि अवधि बढ़ाई जाये, किन्तु अवधि के समाप्त होने से पहले उन की समुचित उन्नति हो जानी चाहिये।

सरकार ने हरिजनों की भलाई के लिए बहुत काम किये हैं। किन्तु देखने की बात यह है कि किन कारणों से और किन गलतियों से वे उन्नति करने में असफल रहे हैं। आयोग को ये कारण मालूम होने चाहियें।

सेवाओं में स्थान संरक्षित करने के सम्बन्ध में नीति क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारों ने इसे सही भावना से लागू नहीं किया। हम देखते हैं कि सुरक्षित पद भी भरे नहीं जाते

---

†मूल अंग्रेजी में

और उन्हें असुरक्षित समझा जाता है । यद्यपि योग्य हरिजन व्यक्ति बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं, फिर भी उन्हें नहीं चुना जाता । जब सुरक्षित पदों का यह हाल है, तो असुरक्षित पदों का क्या हाल होगा ? मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाडा) : म श्री बाल्मीकी के संकल्प की भावना का स्वागत करता हूं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की समिति से प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ।

कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए इतनी रकम आवंटित की गई है । परन्तु प्रश्न यह है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है । यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारें योजनाओं की क्रियान्विति करने के लिए केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर अमल क्यों नहीं करती । विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ दी जाती चाहिये । केन्द्र की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उसे उन को आवश्यक हिदायतें देनी चाहियें । मैं नहीं कह सकता कि इस तरह की समिति बनाना संभव होगा या नहीं । जब तक कि यह समिति लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की तरह एक संविहित समिति न हो या संसद् के कानून के अन्तर्गत एक निगम न हो, यह प्रभावोत्पादक नहीं होगी । क्रियान्वयन की समस्या केवल सम्पर्क अधिकारी के पदों के निर्माण से हल नहीं होगी । एक सदस्य ने एक आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है । इस की बजाय यह अधिक अच्छा होगा यदि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की लाइनों पर एक समिति बनाई जाये जो इन मामलों की जांच कर सके ।

†**श्री दशरथदेव** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस संकल्प का कि एक समिति नियुक्त की जाये समर्थन करता हूं । अन्त में यह समिति कुछ ठोस प्रस्ताव करेगी और उसके बाद अनुसूचित जातियों की वर्तमान दयनीय दशा दूर हो सकेगी । कुछ प्रयत्न स्वयं सरकार कर रही है और कुछ राज्यों में विधान भी हैं । किन्तु केवल कानून बनाने से देश में अस्पृश्यता दूर नहीं हो जायेगी यदि आप इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारें, उन्हें पर्याप्त शिक्षा दें, तो वे उन्नति कर सकेंगे । इन्हें भूमि दी जाये और धन कमाने के मौके दिये जायें । उनके लिए अधिक स्कूल खोले जायें और उन की शिक्षा का सारा खर्च सरकार करे । यदि इस तरह उनका स्तर ऊंचा किया गया, तो यह समस्या हल हो जायेगी । संकल्प स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री गणपति राम (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता देश के लिए कलंक है, इसको कोई भी जिम्मेदार आदमी मानने से इंकार नहीं करता । लेकिन जब कभी हम सुनते हैं लोगों को यह कहते हुए कि यह हरिजनों की समस्या है तो बहुत आश्चर्य होता है । अस्पृश्यता हरिजनों की कोई समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है । जब तक हमारी सरकार और हमारे देश का पढ़ा लिखा नागरिक तथा हमारे देश के जिम्मेदार लोग इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर के इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस देश से अस्पृश्यता निकल नहीं सकती है । आज हमारे देश के समामाजिक संगठनों में तथा देश के समाज में रग रग में अस्पृश्यता भरी हुई है । यह केवल हरिजनों और नान-हरिजनों का सवाल नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी नान-हिरिजन कम्युनिटीज हैं, उनके अन्दर भी आपस में अस्पृश्यता है । ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, तथा वैश्य हरिजन से तथा हरिजनों में आपस की जातियों में छुआछूत है । यह कोई एक जाति की समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गणपति राम]

किन्तु यह जरुर है कि इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है । हमारे देश के नेतागण, हमारे देश के त्यागी और तपस्वी इस तरफ आंख लगाये हुए हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से हिन्दुस्तान के माथे से यह कलंक मिट जाए। आज देखने में भी आ रहा है कि यह रुढ़ि जो सदियों और युगों से चली आ रही है, बहुत मानों में कम हो गई है । लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से चलते गए तो शायद इसको दूर करने के लिए पचासों वर्ष लग जायें ।

सरकार ने वादा किया था कि दस वर्ष के अन्दर हम हरिजनों की अस्पृश्यता को निकाल कर के उनको समाज के दूसरे लोगों को बराबर ला खड़ा कर देंगे । संविधान के लागू होने के दस वर्ष के बाद भी सरकार ने यही महसूस किया है कि अभी तक हरिजनों के अन्दर जो अस्पृश्यता है, वह नहीं मिटी है और इस वास्ते उनके लिए दस वर्ष के लिए और रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। उसने इस रिजर्वेशन को बढ़ाया है । हम नहीं चाहते कि इस देश के अन्दर कोई कम्युनिटी या कोई सम्प्रदाय हमेशा के लिए एक बैनीफिटिड क्लास हो कर के बना रहे। हम तो चाहते हैं कि देश का हर तबका सामाजिक तरीक से, आर्थिक तरीक से, शैक्षणिक तरीके से तथा नौकरियों में और साथ ही साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बराबर का स्थान पाए। अगर आज देहातों में जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, अस्पृश्यता बरती जाती तो मुझे उतना असफोस न होता, वह क्षम्य हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आफिसेज में, बड़ी बड़ी जगह पर जब अस्पृश्यता बरती जाती है तो देख कर आश्चय होता है । लेकिन मुझे यह देख कर आश्चय होता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से हिन्दुस्तान की सर्विसेज के लिये इलाहाबाद यूनिसर्वसिटी में जिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैन्डिडेट्स को कोचिंग क्लासेज में ट्रेन किया जा रहा है उन के साथ भी अस्पृश्यता बरती गई और सरकार के सामने यह सवाल आ चुका है । इतना ही नहीं बड़े बड़े आफिसेज में देखा जाता है कि अस्पृश्यता बरती जाती है । मुझे अनुभव है कि शुरु शुरु में जब आज से १२ या १४ साल पहले मैं बनारस के कोर्ट्स में वकालत करने गया था तो वहां पर वकीलों के अन्दर भी यह चीजें थीं । चार पांच साल पहले जौनपुर कोई के अन्दर जब एक हरिजन वकालत करने गया तो वहां भी मैं ने देखा कि दूसरे वकीलों के पानी के ग्लास बदल दिये गये। उसके लिये वह वर्जित हो गया। यह कोई एक बात नहीं है। आज भी जब मैं सुनता हूं कि इलाहाबाद के आफिसेज में, गवनमेंत आफ इंडिया के आफिसेज में हमारे पढ़े लिखे भाई इस ओर जागरूक नहीं हैं तो मुझे आश्चर्य होता है । वे अब भी चाहते हैं कि देश में यह मर्ज बना रहे। मैं कहना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिए हर इन्सान के ऊपर, हर पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उस का कर्त्तव्य है कि वह इस को देश से निकाले ।

आज, जैसा कि मेरे कुछ साथियों ने कहा, सरकार लाखों क्या करोड़ रुपये खर्च करती है। जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो कि हर साल निकलती है, उसमें भी हम लोग यह बात पढ़ते हैं कि और सदन के भी समक्ष आता है कि लाखों रुपये जो स्टेट्स को दिये जाते हैं, स्टेट सरकारें बड़ी ईमानदारी से उसे लौटा देती हैं, उसे खर्च नहीं करती हैं। अगर उस पैसे को खर्च न कर के लौटाना ही ईमानदारी की बात मान ली जाये, तो मैं यह कह सकता हूं कि वे ईमानदारी से इस देश से अस्पृश्यता को खत्म नहीं करना चाहती हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार की मशीनरी थोड़ी टाइट नहीं की जायेगी,

जब तक उन की तरफ से कोई अच्छा कदम नहीं उठाया जायेगा, जो लोग इस तरह का बरताव करने वाले हैं उन के खिलाफ जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जायेगा तब तक इस देश से यह चीज जा नहीं सकती। मैं भी अपने अन्य साथियों की तरफ से सरकार से मांग करूंगा, जैसा कि संविधान में एक क्लाज दिया था कि हरिजनों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की नाप तोल करने के लिये एक कमिशन बिठलाया जायेगा, कम से कम आज बारह वर्ष के बाद तो सरकार एक कमिशन बिठलाये और यह देखे कि कौन से सामाजिक और आर्थिक वजूहात हैं जिन की वजह से यह अस्पृश्यता देश से दूर नहीं हो रही है। वह कमिशन सब वजूहात को ढूंढ़ निकाले और उस को दूर करने के लिये उचित रूप से कदम उठाये जायें।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री नवल प्रभाकर : (दिल्ली करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री बाल्मीकी ने रक्खा हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन के कई कारण हैं। उन में से सब से बड़ा कारण यह हैं कि यदि वास्तव में अनुसूचित जातियों के लोगों ने कुछ तरक्की की हैं, वे कुछ आगे बढ़े हैं तो उस को भी देखा जाये, और अगर वे वैसे के वैसे हैं तो उसे भी देखा जाये। लेखा जोखा जब तक नहीं लिया जायेगा तब तक फैसला नहीं हो सकता। श्री बाल्मीकी जी ने जो कहा हैं कि कम से कम उन की स्थिति को देखा जाय कि राजनीतिक दृष्टि से वे कितने आगे बढ़े है, सामाजिक दृष्टि से कितने आगे बढ़े हैं और आर्थिक दृष्टि से कितने आगे बढ़े हैं, इन तीनों बातों को जब तक हम न देखें तब तक उन की समस्या में कितना सुधार हुआ हैं, वे समाज में कितने आगे आये हैं, इसका फैसला नहीं किया जा सकता।

हर साल शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट दी जाती हैं, रिपोर्ट को हम लोग पढ़ते हैं, उस को देखते है। देखने से यह ज्ञात होता हैं कि जितनी तरक्की होनी चाहिये थी, जितना आगे उन को जाना चाहिये था उतना नहीं जा पाये हैं। आंकड़े दे कर तो मैं बाद में बतलाऊंगा, किन्तु पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उन्होंने प्रतिवर्ष बहुत सारी सिफारिशें कीं, और सिफारिशें कर के यह कहा हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उन को अमुक अमुक काम अनुसूचित जातियों के लिये करने चाहियें और केन्द्रीय सरकार को यह करना चाहिये। इस बार जो रिपोर्ट मिली हैं उस में मैंने देखा कि ४४४ सिफारिशें हैं। शुरू में थोड़ी थीं वे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऐसा दिखाई पड़ता हैं कि उन की आदत सिफारिशें करने की हो गई हैं और सरकार जो हैं उसकी आदत हो गई हैं कि इस तरह से सोचे कि सिफारिशें बढ़ती रहें, कोई हर्ज नहीं हैं उनका। लेकिन इसका निर्णय कौन करे। उनका एक कमिश्नर बैठा हैं जो कि निष्पक्ष भाव से बैठा हुआ वहां सब कुछ देखता हैं। वह सिफारिश करता हैं। वह उन लोगों से मिलता हैं, घूमता फिरता हैं और जो उनकी अवस्था हैं इस को देखता हैं फिर सिफारिश करता हैं। लेकिन उन सिफारिशों के ऊपर न तो राज्य सरकारें अमल करती है और न केन्द्रीय सरकार अमल करती हैं।

यहां कहा जाता हैं कि नौकरियों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वेशन रक्खा गया हैं। लेकिन जब मैं आंकड़े देख रहा था अभी, तो मुझे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

ज्ञात हुआ कि जितनी सीटें उन के लिये रक्खी गई है उतनी पूरी भी नहीं हो पाई । इस में एक स्टेटमेंट हैं :—

"Statement showing the number of reserved vacancies notified and filled by the employment exchanges in various states for scheduled castes applicants during the year, 1960."

इस में मैं राज्य वार नहीं जाऊंगा, जो टोटल हैं उसको ही बतलाऊंगा । जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन की तरफ से १,२१,००८ नौकरियां निकलीं, राज्य सरकारों की ओर से २,३५,७२८ नौकरियां निकलीं, और जो दूसरे थे उन की तरफ से १,४३,५९४ निकलीं । उन के लिये इस में कहा गया हैं कि जो रिजर्व्ड सीट्स थीं वह १०,६२३ थीं। लेकिन उन में से अब तक कितनों को अवसर मिला ? केवल ५१०३ को। उस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि १०,६२३ में से केवल ५१०३ लिये गये हैं। लगभग ५,००० स्थान ऐसे हैं जिन में वे लोग नहीं लिये जा सके। इस के दो तीन कारण हो सकते है । साधारणतया यह कहा जाता हैं कि जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं वे इतने काबिल नहीं हैं कि उन को लिया जा सके । अगर काबिल नहीं है तो यह आपकी कमजोरी हैं । सरकार को देखना चाहिये कि इस की वजह क्या हैं । हमारा यह कहना हैं कि हम उन को समान स्तर पर लायेंगे लेकिन अगर वे समान स्तर पर नहीं आते हैं तो यह दोष किस का हैं ? कहा जाता हैं कि वे काबिल नहीं है। अगर व काबिल नहीं हैं तो उन को काबिल बनाना चाहिये। मैं ने देखा कि रेलव मंत्रालय में बहुत सी वैकेन्सीज थीं लेकिन वे बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थीं। जब हमारे श्री जगजीवनराम रेलवे मंत्री हुए तो उन्होंने क्या किया ? उन्होंने कहा कि रेलवे की सारी वैकेन्सीज उन लोगों से ही भरी जायें । अब आखिर उन के लिये कहां से लोग आयें ? उन्होंने शेड्यल्ड कास्ट्स के लोगों को ले लिया और उन को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर ठीक कर लिया । इसी तरह से मैं चाहता हूं कि यहां पर पूरा जायजा लिया जाये । मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक अजीब प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में आती जा रही हैं । जहां हम देखते है कि राजनीतिक दृष्टि से लोग आगे बढ़ रहे है वहां हम उस के विरुद्ध भी देखते है । मैं पिछले रोज पढ़ रहा था २६ मई, को हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वरानन्द जी ने शिक्षा के अनुदानों पर बोलते हुए कहा था कि उन के दिल में दुःख था कि हरिजनों ने उन को मत नहीं दिया । बात जो भी हो मुझे नहीं मालूम , लेकिन क्या इस कारण को लेकर जो भी सिद्धान्त है वे छोड़ दिये जायें ? वे सिद्धान्त जो परम्परा से चले आ रहे है और आर्य समाज में तो खास तौर से चले आ रहे है । मैं ने देखा कि पहले उन्होंने मंत्र को कोट किया और समानता की बात कही लेकिन उस के बाद समानता को भूल गये और आगे जाकर उन्होंने दूसरी बात कही । क्योंकि हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया था इसलिए उन्होंने कहा कि हरिजनों पर जो पैसा खर्च किया जाता हैं वह निराधार हैं । मैं कहता हूं कि जिस बड़े आदर्श को वह मानते चले आ रहे थे, जिसको स्वामी दयानन्द ने मान्यता दी, जिसको स्वामी श्रद्धानन्द ने बढ़ाया, उसको वे भूल गये और इस लिए हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया । स्वामी जी को समझना चाहिये कि हरिजन अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझते है। अगर स्वामी जी अपने सिद्धान्त

को न भूलते और सही सिद्धान्त पर चलते होते तो हरिजन उनको वोट देता। एक कांग्रेस सदस्य ने भी इस बात का जिक्र किया, उनको भी दुःख था कि हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि हरिजनों पर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : यह जो कहा जा रहा हैं क्या यह आपकी दृष्टि से उचित हैं ?

श्री नवल प्रभाकर : इस से यह ज्ञात होता हैं कि जो मानसिक .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रिजोल्यूशन पर ध्यान दें।

श्री नवल प्रभाकर : मैं रिजोल्यूशन की बात ही कहता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : इनको क्या मालूम कि मुझ को किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। क्या यह बात यहां कहने की हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं।

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री रामेश्वरानन्द : इनके पास क्या सबूत हैं कि हरिजनों ने मुझ को वोट नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य स्वामी जी को छोड़ कर रिजोल्यूशन पर आवें।

श्री नवल प्रभाकर : जो बात हमारे मन के अन्दर छिपी रहती हैं जब दुःख होता है तो फूट पड़ती हैं। इसी तरह से स्वामी जो चाहें कितने ही ऊंचे बढ़ गए किन्तु उन के मन में जितनी .....

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी को छोड़िये और रिजोल्यूशन पर बोलिए, आपका वक्त भी खत्म हो लिया। यह कमीशन मुकर्रर हो या न हो।

श्री नवल प्रभाकर : मैं समाप्त करता हूं।

बहुत से लोग ऐसे होते है जो दिखावे के लिये बात कहते हैं उसको दिखाना चाहता था।

मैं पूर्णतया इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मेरा अन्त में कहना हैं कि कुछ लोग दिखाने के लिये तरह तरह की बातें करते है। उनकी कथनी और करनी में भेद होता हैं। तो इन सब बातों का जायजा लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं बाल्मीकी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गंगा देवी (मोहन लाल गंज) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक हरिजन के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाये यह हमारी सरकार के लिये प्रशंसा की बात नहीं हैं। आज आजादी के १४ साल बात भी हमें इस प्रकार की बात करनी पड़ती हैं यह दुःख की बात हैं। जैसा कि अभी हमारे

[श्रीमती गंगा देवी]

एक भाई श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को उठाया था, स्वामी दयानन्द ने जाति पांत का भेद मिटाने का बहुत कुछ आंदोलन देश के अन्दर किया था। बापू का तो यह हाल था कि जहां कहीं भी उनका कार्यक्रम होता था तो वह हरिजन बस्ती में अपने ठहरने का और प्रवचन करने का कार्यक्रम रखते थे। इससे हमारी हरिजन बस्तियों पर, विशेष कर मेहतर बस्तियों पर, बहुत असर पड़ता था। उनके साथ-साथ और भी बहुत से व्यक्ति जो कि आरथोडास होते थे वह भी वहा जाकर उनके साथ-साथ सहभोज में शरीक हुआ करते थे। यह एक तरीका था अनटचेबलिटी को दूर करने का। लेकिन अब यह बात बहुत दूर चली गयी हैं। हमारा कोई कार्यक्रम अछूतों तक नहीं पहुंचता। जब किसी बड़े व्यक्ति का कार्यक्रम होता हैं तो वह गन्दी बस्तियों को छिपा कर होता हैं या गन्दी बस्तियों से दूर होता हैं। उनको परदे के पीछे छिपाया जाता हैं। जब कोई विदेश से आता हैं तो उसको भी जहां अच्छा, सुन्दर साफ स्थान होता हैं और जहां डेवेलप्ड एरिया होता हैं वहां दिखा दिया जाता है जिससे वह यह समझे कि इन्होंने अपने देश में सारी कुरीतियों को खत्म कर दिया है और अब इस देश में छुआछूत नहीं रहा है।

इस प्रकार की बातों के संबंध में मैं यह कहूंगी कि हमारे लिये जो दस वर्ष का समय पहले रखा गया था वह तो बड़ी आसानी से चला गया। और यदि हम अब भी बहुत सतर्कता से अपना काम नहीं करेंगे तो अगले दस वर्ष के बाद भी हम जहां के तहां रहेंगे। हमारे कामों को करने के लिये आज बहुत सी योजनायें बनी है। लेकिन हमें देखना हैं कि वे कहां तक पूरी होती हैं। उस दिन हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुये हमको फिगर दिखाये थे कि इतने अनटचेबिलिटी के केसेज हुये हैं। लेकिन हमको यह नहीं बताया कि कितने केसेज को डील किया गया और कितनों में पनिशमेंट मिली। आज देश के अन्दर इस प्रकार के केसेज होते हैं लेकिन थानों के अन्दर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उनको दबा दिया जाता हैं। आप अनपढ़ लिखे लोगों की बात तो छोड़िये, वह तो इन बातों को समझते नहीं लेकिन हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी आज गवर्नमेंट आफिसेज में अनटचेबिलिटी बरतते हैं। यह बिल्कुल साक्षात है इसको कोई देखता नहीं, जिनको वह कहते हैं वह भी वही लोग होते हैं इसलिये वे बेचारे विवश होकर बैठ जाते हैं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता।

आज हालत यह हैं कि यदि एक चपरासी को रखा जाता है तो पूछा जाता है कि वह किस जाति का है ताकि उसके हाथ का पानी पिया जा सके। यह हर जगह हो रहा है। लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती और न इसके खिलाफ कोई कारंवाई होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि इस तरह से देश के अन्दर से अनटचेबिलिटी खत्म होगी। मैं कहती हूं कि यदि आप इस प्रकार कानून बना कर छोड़ देंगे तो हजारों सालों तक यह चीज खत्म नहीं होगी और हम इस कलंक को अपने देश से नहीं धो सकेंगे।

अब विशेष बात यह देखने की है कि समाज से यह बुराई किस प्रकार दूर हो सकती है। इसके लिये हरिजनों की आर्थिक अवस्था को संभालना बहुत जरूरी है इसके लिये बहुत से काम किये जा सकते हैं लेकिन उनमें सबसे आवश्यक है शिक्षा। उनकी उन्नति करने के लिये सबसे जरूरी है शिक्षा और उसके बाद उनको काम देना। शिक्षा के बारे में मैंने कई बार सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के सामने और अपने प्रांत के हरिजन एडवाइजरी बोर्ड के सामने इस बात को कहा है कि हरिजन बच्चों के लिये, उन बच्चों के लिये जिनके माता पिता यह भी नहीं समझते कि शिक्षा क्या चीज है शिक्षा का क्या महत्व है, ऐसे बच्चों के लिये ऐसे स्कूल होना बहुत जरूरी है जिनमें उन बच्चों को

रखा जाये और उनके पढ़ने लिखने और खाने पीने और कपड़े का सारा इन्तिजाम सरकार की ओर से हो, और उनको अच्छे प्रकार से रखा जाये और उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाये, उनको यतीम बच्चों की तरह न रखा जाये ताकि उनका मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास हो। ऐसी संस्थायें होनी चाहियें जिनमें उन बच्चों के कैरियर बन सकें जिससे वह समाज के लिये उपयोगी बनते हुये अपनी उन्नति कर सकें और आगे बढ़ सकें।

जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है, आज बहुत से उद्योग धंधे चल रहे हैं, लेकिन बेकवर्ड एरियाज में उन हरिजन बस्तियों में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है वे लोग समझते नहीं लेकिन कोई जाकर उनको कहने वाला नहीं है । मैंने देखा है कि जितनी इंडस्ट्रीज चलती हैं वह हरिजनों की बस्तियों में नहीं खोली जातीं । जितना भी इंडस्ट्रीज का पैसा है वह शहरों में लगा दिया जाता है और हरिजनों को कोई उद्योग धंधा नहीं दिया जाता जिससे वह अपनी आर्थिक समस्या हल कर सकें ।

जमीन का जहां तक मसला है, जमींदारी एबालीशन के बाद करोड़ों एकड़ जमीन राज्य सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने रिक्लेम की, लेकिन उसमें से मैं कह सकती हूं कि एक फीसदी भी हरिजनों को या भूमिहीन मजदूरों को नहीं मिली क्योंकि उसका बटवारा करने वाले और उसको एलाट करने वाले नान-हरिजन थे उन्होंने जमीन अपने आपस में बांट ली । आज जमीन हरिजनों के पास नहीं है । और न ही हरिजनों के पास कोई उद्योग धंधे आदि ही हैं जो शिक्षा हरिजनों ने पाई भी है वह सरकारी प्रेरणा से नहीं पाई है । वह उन्होंने अपने ही इनीशियेटिव से प्राप्त की है ।

सन् ५२ से लगातार हर मौके पर हम इसकी मांग करते रहे हैं कि एक हरिजन मिनिस्टरी हरिजनों के कल्याण के लिये अलग से होनी चाहिय ताकि वह उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सके और उनके अपलिफ्ट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा सके । मेरा कहना यह है कि एक हरिजन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने से हिन्दुस्तान के आठ करोड़ हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती हैं एडवाइजरी बोर्ड के जरिय हम इस पुराने रोग का सही इलाज नहीं कर सकते हैं ।

हमारा लक्ष्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना है लेकिन मेरा कहना है कि अभी हम उससे बहुत दूर हैं और मैं समाजवाद को कुछ फोगर्स सदन के सामने रखना चाहती हूं.....

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

श्रीमती गंगा देवी : बस मैं समाप्त किये देती हूं १३८१ करोड़ ६६ लाख और ८३ हजार रुपये गवर्नमेंट आफ इंडिया का टोटल ऐक्सपेंडीचर हैं जिसमें से शैड्यूल्ड कास्ट्स पर पर कैपिटा १६ नये पैसे सालाना खर्च होता है अर्थात् सवा नये पैसे प्रति मास खर्च आता है जबकि जनरल पापुलेशन के लिये नान-हरिजनों पर पर कैपिटा ऐक्सपेंडीचर ३१ रुपये ५४ नये पैसे सालाना होता है अर्थात् २ रुपये ६३ नये पैसे प्रति मास खर्च आता हैं। अब जाहिर है कि यह तरीका देश में समाजवाद लाने का नहीं हैं और इस तरह से हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते है। हमें अपने आज के तौर तरीकों को बदलना होगा और सक्रिय रूप में उनकी मदद करनी होगी तभी हम हरिजनों को ऊपर उठाने में कामयाब हो सकते हैं ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, श्री बाल्मीकी ने सदन के सामने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर ८ असम्बली की सीट्स पर जनसंघी चुने

[श्री बडे]

गये हैं और नवां मैं लोक-सभा में जनसंघ के टिकट पर चुन कर आया हूं। मुझे हरिजनों ने वोट दिया हैं। अभी आक्षेप किया गया है कि श्री रामेश्वरानन्द को हरिजनों ने वोट नहीं दिया। लेकिन मैं तो अपनी जानता हूं कि मुझे हरिजनों ने वोट दिया हैं। कांग्रेस के प्रति हरिजनों के असन्तोष का कारण यह हैं कि कांग्रेस को जो हरिजनों के प्रति नीति है उसकी कथनी और करनी में फर्क हैं और इसी वास्ते उन्होंने जनसंघ को वोट दिया है। यही कारण है कि हमारे बहुत से हरिजनों ने डा० अम्बेडकर की पार्टी को ज्वाएन कर लिया हैं और वह जय भीम कहते है क्योंकि वह कांग्रेस से ऊब गये है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रैड टैमिज्म का इस कदर बोलबाला है कि उसके कारण हमारे हरिजन भाइयों को भारी मुसीबत और असुविधा का सामना करना पड़ता है और वह बेचारे चक्कर खाते खाते थक गये है। वह कहते है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात का दावा तो करती हैं कि हम हरिजनों की मदद करते हैं और उनको ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में अमली तौर पर हरिजनों की मदद नहीं कर रही हैं।

हमारे यहां एक हरिजन को ५ रुपया महीना बतौर स्कालरशिप देते हैं लेकिन वह पांच रुपया साल खत्म होने के बाद अर्थात् १२ महीने बाद जाकर मार्च में मिलता है और जिसका कि परिणाम यह होता है कि कर्ज ले कर और भारी ब्याज अदा कर वह स्कूल में पढ़ता है। जो पैसा बाद में मिलता भी है वह उस साहूकार को उसे ब्याज और मूल चुकाने में कम पड़ता है और परिणामस्वरूप वह दिन पर दिन कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। साहूकार से १०० रुपया कर्ज लेने पर २५ रुपये सूद देना पड़ता है। अब सरकार तो पैसा साल के बाद देती है और कर्ज लेने के अलावा उसके पास दूसरा चारा ही नहीं रहता है। अब १५ रुपये महीने की जो छात्रवृत्ति हरिजनों को मिलती है वह बिलकुल ही नाकाफी होती है और उस से उसका काम नहीं चलता है। कांग्रेस के जितने वहां मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको यह ध्यान ही नहीं आता है कि उनका १५ रुपये में क्या बनेगा। एक दफा खाना खाने और कपड़ा पहनने के वास्ते भी यह १५ रुपये पूरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन इतने पर भी हरिजनों के वास्ते यह स्कालरशिप की रकम हमारे यहां की मिनिस्टरी बढ़ाने को तैयार नहीं है। हरिजन किसानों को खुश करने के लिये एक हरिजन डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया है। अब जैसा मैंने कहा कांग्रेसजनों की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। अब वैसे तो कांग्रेसमैन गांधी जी के कमर तक के बड़े फोटो बना कर हरिजन उद्धार करने का वायदा करते हैं और दावा करते हैं लेकिन दरअसल महात्मा जी के सिद्धान्तों का पालन नहीं करते हैं और अपने वायदों को कार्यरूप में परिणित नहीं करते हैं। यही कारण है कि हरिजन कांग्रेस से काफी असन्तुष्ट हो गये हैं और काफी तादाद में वह डा० अम्बेदकर के फोलोअर्स हो गये हैं और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर जह भीम कहना शुरू कर दिया है ....

अध्यक्ष महोदय: अब आप इसके ऊपर आइये कि कमिशन मुकर्रर हो या नहीं।

श्री बड़े: जी हां, वह तो मैं कहूंगा ही और मैंने शुरू में कह ही दिया है कि मैं श्री बाल्मीकी का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें कि अनटचैबिलिटी के रिमूवल के वास्ते एक कमेटी की स्थापना की मांग की गई है।

आज दस साल के बाद भी हरिजनों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिलती हैं। उनका रिजवशन कोटा फुलफिल नहीं हो पाता है। अब हरिजनों की इस हीन अवस्था के लिये केवल राजनीतिक स्थिति ही जिम्मेदार नहीं है अपितु आर्थिक और सामाजिक अवस्था भी उसके लिये जिम्मेदार है। अब आर्थिक अवस्था उनकी बड़ी दयनीय रहती है और चूंकि बी० ए०, एम० ए० और

इंजीनियरिंग आदि पढ़ने के लिये उनको स्कालरशिप मिलता नहीं है इसलिये वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब पैसा उनके पास होता नहीं है और स्कालरशिप मिलता नहीं तो फिर कैसे वे आगे पढ़ सकते हैं? इस कारण आज उनमें असन्तोष है और वह कांग्रेस को वोट न दे कर अन्य पार्टियों को वोट देते हैं।

पिछले दस साल के कटु अनुभव के आधार पर मेरा खयाल है कि यह जो कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव रक्खा है वह "अशुभस्य काल हरणम" हो जायगा। अब जैसा कि शासन का सिलसिला है एक कमिशन मुकर्रर होता है वह साल दो साल तक बैठ कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर गवर्नमेंट द्वारा उस की रिपोर्ट पर विचार होता है लेकिन उस की सिफारिशों पर जहां तक अमल करने का सवाल है वह टलता जाता है और पिछला अनुभव यह बतलाता है कि उन पर ठीक से अमल नहीं हो पाता है। अब ढेबर कमिशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि हरिजनों की कैसी दयनीय अवस्था है। हमारे हरिजनों के पास जमीन नहीं है और स्थिति यह बनी कि उन बेचारों ने फोरेस्ट एरिया की जमीन पर कब्जा कर लिया था तो उनको इसके लिये २५० रुपया फाइन हो गया है और उनको उन जमीनों से निकाल दिया गया है। अब हरिजन भी उसी गांव में रहते हैं जिसमें सवर्ण हिन्दू रहते हैं और दरिया में रह कर मगर से बैर हो नहीं सकता इसलिये वह बेचारे उन सवर्ण हिन्दुओं से दब कर रहते हैं और कोर्ट में कोई मुकदमा कभी कभार जाता भी है तो उसमें वे कम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि रहना तो उनको उसी गांव में है।

मरे हुये ढोर के चमड़े का ठेका कोई २००० रुपये का मुसलमान ले लेता है और फलस्वरूप हरिजनों को जो हर साल हजार दो हजार रुपये इस काम से मिल जाया करता था, मुसलमान को यह ठेका दिये जाने से उस आमदनी से भी वह हाथ धो बैठे हैं। अब हरिजन यह समझने पर मजबूर हैं कि यह कांग्रेस गवर्नमेंट बजाय हमारा कल्याण करने के अकल्याण कर रही है। मध्य प्रदेश में वेस्ट निमाड़ में हरिजन पहले से ही गरीब थे और उनकी आर्थिक अवस्था शोचनीय थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको और भी गरीब बना दिया है। छात्रवृत्ति का पैसा उनको मिलता नहीं है और इस वास्ते हरिजन आगे पढ़ नहीं सकते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं।

पहले गांव में जो होटल हैं उस में सवर्ण हिन्दू, हरिजन और मुसलमान सब एक जगह बैठ कर चाय पीते थे लेकिन कांग्रेसियों ने हरिजन डे मनाया और उस दिन जबर्दस्ती होटल में घुसे और आपस में इतना दुश्मनी और झगड़ा हो गया। अब मेरा कहना यह है कि हम सामाजिक विषमता और मतभेद को प्रेम से दूर किया जाना चाहिये न कि इस प्रकार के आंदोलनों से जो कि यह कांग्रेस वाले करते हैं। इससे बेकार में आपस में दुश्मनी और झगड़ा ही पैदा होता है।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि श्री बाल्मीकी एक कमेटी कायम करके जो देश भर में सर्वे करवाना चाहते हैं कि छुआछूत किस हद तक मिट गई है, वह स्वागत योग्य प्रस्ताव है। अगर हरिजनों को ऊपर लाना है तो उनकी आर्थिक स्थिति को हमें सुधारना होगा। अगर हरिजन आर्थिक दृष्टि से सबल हो जायं तो यह छुआछूत दो दिन में मिट सकती है। इसलिये हमें उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री सिद्धय्यपा** (चामराजनगर) : सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बावजूद देश में छुआछूत बहुत हद तक मौजूद है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को होटलों, नाई की दुकानों, मंदिरों और ऐसे अन्य स्थानों में——विशेष कर गांवों में——प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। आज भी गांवों में हरिजनों को बाजारों में जलूस नहीं निकालने दिया जाता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त को अपने कर्तव्यपालन में राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार से पूरी सहायता नहीं मिलती रही। उनकी अधिकांश सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सिक्रियान्वित नहीं किया जाता। केवल इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्णयों को भी क्रियान्ति नहीं किया जाता।

१९५८ में राज्य सरकारों के कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण संकल्प पारित किये गये थे, वे भी क्रियान्वित नहीं किये गये। मैसूर में अनुसूचित जातियों के लिये अलग सरकारी छात्रावास हैं, जिन्हें अभी तक साझा नहीं किया गया।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है। आयुक्त की अधिकांश सिफारिशें भारत सरकार ने स्वयं क्रियान्वित नहीं कीं। आयुक्त ने स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी जो कि गृह-कार्य मंत्रालय उन्हें नहीं दे सकी। आयुक्त इन कारणों से उन्नति का अन्दाजा नहीं लगा सका। इस लिये, संकल्प के द्वारा समिति की मांग की गई है ताकि उन्नति को आंका जा सके।

यह समिति तथ्य जानने का प्रयत्न करेगी और उन पर कार्यवाही करने के लिये सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी सरकार को ऐसी समिति नियुक्त करने में संकोच नहीं चाहिये। उसे स्वयं एक कार्यक्रम बनाना चाहिये और अस्पृश्यता निवारण के लिये लक्ष्य निर्धारित करने चाहियें।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय श्री बाल्मीकी जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि एक कमेटी के माध्यम से इस बात की जांच की जाए कि हमारे देश में अस्पृश्यों के सम्बन्ध में, उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सम्बन्ध में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने को बाकी है। वह चाहते हैं कि कमेटी अपने सुझाव इस विषय में प्रस्तुत करे। उन्होंने यह भी चाहा है कि वह कमेटी देखे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हम किस हद तक विकास की ओर गए हैं, तथा अनटचैबिलिटी किस हद तक दूर हुई है। यह प्रस्ताव बड़ा अनुकूल है, उत्तम है और बड़ा सामयिक है। यह एक थाट प्रौवोकिंग रेजोल्यूशन है और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि अपनी आजादी के दस बारह वर्षों के अन्दर, अपनी आजादी के दस बाहर वर्षों के इतिहास के अन्दर, अपने देश के प्रजातांत्रिक इतिहास के अन्दर, जो डिप्रेस्ड क्लासिस हैं, जो डाउन-ट्राडन क्लासिस हैं, जो अस्पृश्य क्लासिस हैं, जिन के साथ हमारा भावनात्मक और सामाजिक तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं रहा है सैकड़ों बरसों से, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए उनको कैसे अपने बराबर ला खड़ा किया जाये।

जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं तो हमें गांधी जी का स्मरण हो आता है। गांधी जी इस देश में कभी इतने बड़े न बनते, इतना महान स्थान उनको कभी न प्राप्त होता और

†मूल अंग्रेजी में

सम्भव है कि वह महात्मा भी न हो पाते, और साथ ही साथ राष्ट्र पिता भी न हो पाते यदि उन्होंने एक बड़ा पवित्र कार्य, हरिजनों के कार्य को आत्मसात न किया होता। राजनीतिक जीवन की उन्नति और प्रगति के साथ-साथ एक बड़ा मानवता से सम्बन्ध रखने वाला कार्य, हरिजनोद्धार का कार्य, उन्होंने एक नई शक्ति और स्फूर्ति से नई भावना से आत्मसात किया और उनको सम्बोधन करने के लिये एक सम्पूर्ण सम्मानात्मक शब्द की रचना की जिस शब्द का नाम है "हरिजन"। इस नाम से उन्होंने उनको सम्बोधित किया जिनकी संख्या इस देशमें बारह तेरह करोड़ से कम नहीं है। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि यदि हम से पूछा जाए कि हम किस परिवार में दुबारा जन्म लेना चाहेंगे तो हमें यह पसन्द होगा कि और हमारा यह सौभाग्य होगा यदि किसी हरिजन परिवार में हम अवतरित हों। यह जो उनके विचार थे, यह हमें इस बात को सोचने के लिये बाध्य करते हैं कि अस्पृश्य समाज जकी जो दयनीय स्थिति है, जो दयनीय अवस्था है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है।

जहां तक वैदिक धर्म की बात है, एक सिद्धान्त की बात कही गई है :—

"न मानुषात् श्रेष्ठतरो हि लोके।"

इसका अर्थ यह है कि मनुष्यमात्र तमाम प्राणियों से श्रेष्ठ है। लेकिन यह वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, यह समाजीकरण किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ, मैं इसके इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब गांधी जी ने एक आन्दोलन आरम्भ किया तो जो तत्व उन्होंने इस देश में देखा उस तत्व के अन्तर्गत उन्होंने यह भी देखा कि मानव मानव में जो एक प्रकार की विभिन्नता है, एक प्रकार की दूरी है, इसको कैसे पाटा जाए और इसको पाटने के लिये सब से पहले उन्होंने इस काम को सेवा की भावना से स्वीकार किया और एक प्रकार का इमोशनल मोमेंट पैदा किया। वह देश के हरिजनों को चाहे ज़मीन न दे पाये हों, पैसा न दे पाये हों, उनका आर्थिक विकास न कर पाये हों लेकिन एक ऐसा मोमेंटम तो पैदा किया कि सवर्ण व्यक्ति यह महसूस करने लग गए कि यदि हम हरिजनों को अस्पृश्य भाव से देखते हैं तो यह एक सोशल क्राइम है जो हमें नहीं करना चाहिये। एक ऐसे स्थान पर ला कर उन्होंने उनको खड़ा किया जहां पर एक सी भावना, एक सा सामाजिक व्यवहार उनको मिला और सामाजिक न्याय उनके साथ हुआ और सब से बड़ी बात यह थी कि एक सुन्दर वातावरण तैयार करने में उन्होंने योगदान किया। आज उनको जमीन दी जानी चाहिये, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जानी चाहिये, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय उनके साथ होना चाहिये। गांधी जी ने इस देश में इमोशनल मोमेंटम पैदा किया और इनको ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न किया।

हमने भी एक प्रस्ताव पास किया है जोकि अस्पृश्यता के निवारण से सम्बन्ध रखता है और उसमें हमने कहा है कि किसी को अस्पृश्य नहीं कहा जाएगा, इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा कि वह अस्पृश्य है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सज़ा भी होगी। हमने मंदिरों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिये, आराधना और उपासना करने की छट उनको मिल गई। लेकिन इतना होने पर भी आज भी हम गांवों में तथा दूसरी जगहों पर देखते हैं कि हमारे हरिजन बालक और हरिजन स्त्रियां जो जूठन होती हैं, जो जूठे पत्ते होते हैं, उनको जा करके खाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति की तो यह हालत है कि पांच वर्ष पूर्व मैं एक गांव में गया था और वहां पर मैंने एक माहौल

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

देखा था। एक बारात थी जहां पर लोग खा रहे थे। यह निश्चित है कि सवर्ण वर्ग एक तरफ था और जब वह खा चुकता था तो जो पत्तलें फेंकी जा रहीं थीं उन की तरफ हमारी तीन मातायें, हमारी तीन बहनें, हमारे तीन बच्चे और दो पुरुष जा जा कर देखते थे और देखने के बाद जो भी सबस्टैंस उनमें बचा होता था, जो भी ईटेबल मैटीरियल बचा होता था उसको बीन बीन कर एक तरफ रखते जाते थे। यह समारे समाजवाद की बात है, एकता और समता की बात है, मानवता की बात है, उसके उत्कर्ष की बात है। मानवता के उत्कर्ष की सभी भावनाओं को सामने रख कर जब मैं इस प्रश्न पर विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि इस दिशा में प्रगति अच्छी नहीं हुई है, उतनी नहीं हो पाई हैं, जितनी होनी चाहिये थी।

जिस तरह गांधी जी ने, जिस प्रकार विनोबा जी ने, जिस प्रकार हमारे आदरणीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने इनकी स्थिति को हमारे सामने रखा, मानवता का साक्षात्कार किया, उसके उत्कर्ष, उसकी उन्नति और प्रगति के सम्बन्ध में जिस प्रकार की भावनात्मक एकता की बात को, समता की बात को मानवता की तमाम अनुभूतियों को एक साथ ला करके खड़ा किया, आज उससी के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि इनके प्रति न्याय हो, इनको जमीन मिल, इनको नौकरियां मिलें, तथा तमाम दूसरी जो सुविधायें हैं, वे मिलें। ये सब चीजें देने की यदि हमारे अन्दर भावना पैदा हुई तभी काम आगे बढ़ सकेगा अन्यथा नहीं। अगर हमारे अन्दर यह भावना बनी रहती है कि यह अस्पृश्य है, यह ठोटा है, तो चाहे जितने कानून हम बनाते चले जायें, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम हरिजनोदार की बात को आत्मा से स्वीकार नहीं करेंगे, मन से स्वीकार नहीं करेंगे, भावना से स्वीकार नहीं करेंगे और उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका प्रतिपादन इन मानुषात् श्रेष्ठतरो हि लोके" में किया गया है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि मन तथा आत्मा से हरिजनोद्धार की बात को स्वीकार किया जाये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : अस्पृश्यता निवारण और हरिजन कल्याण में माननीय सदस्यों ने इतनी रुचि दिखाई है, इस बात का मुझे बड़ा हर्ष है। मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा अस्पृश्यकता को समाप्त किया गया है, इसे १९५५ के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम द्वारा दंडनीय भी बना दिया गया है। हम राज्य सरकारों को यह परामर्श भी देते हैं कि वे यह ध्यान रखें कि इस कानून को बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना चाहिये। राज्य सरकारों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है और उपरोक्त अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए छोटी छोटी समितियां नियुक्त की हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त भी समय समय पर प्रतिवेदन देते रहते हैं। इन प्रतिवेदनों पर संसद् में विस्तारपूर्वक चर्चा भी हो जाती है। इन प्रतिवेदनों में जो भी सिफारिशें की जाती रही हैं उन पर बराबर कार्यवाही की जाती रही है। जिन मामलों का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से होता है उनकी ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करवा दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह हरिजनों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसकी बैठकों में इस दिशा की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निरन्तर विचार होता रहता है। योजनाओं के सुधार के सुझाव भी समय समय पर प्रस्तुत होते रहते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि अस्पृश्यत की प्रथा एक बहुत पुरानी प्रथा है। यह बहुत पुरानी बुराई है। मेरा मत यह है कि इस ग का उपचार केवल कानून द्वारा नहीं बदला जा सकता। मेरा अनुरोध है कि इस विषय में लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार अपनी ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित किये जाने के बारे में जो भी स्थिति होती है, उसे जानने के लिए छःमाही प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे है।

मेरा यह भी कहना है कि अस्पृश्यता व्यक्त करने वाली घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जा सकता है। सरकार इस बारे में और सुझावों का भी स्वागत करेगी। मेरा मत यह है कि इन बातों की जांच के लिए विशेष समिति की कोई आवश्यकता नहीं। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावक महोदय को संकल्प वापिस ले लेना चाहिए।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने समवेदनापूर्ण भावों के साथ हरिजनों की समस्या के ऊपर प्रकाश डाला और सभी ने उसका समर्थन किया है। मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीया मंत्राणी जी के भाव भी मैंने इस संकल्प पर सुने हैं और जो उनका उत्तर है उस में अन्त में मुझ से यह कहा है कि मैं इस संकल्प को वापिस लूं। यह एक अलग बात है। लेकिन यह बात अवश्य है कि अस्पृश्यता की समस्या, देश के हरिजनों की समस्या, जो कि सदियों से चली आती है, आज भी विकट बनी हुई है। उस के पीछे क्या भावना है? आज की उपस्थिति और आज की आफिशल गैलरीज की उपस्थिति हमें बतलाती है कि किस प्रकार सरकार इस समस्या को हल करना चाहती है।

यह समस्या समाज का दोष है, समाज का कोढ़ है, समाज की बीमारी है, जिस को दूर करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्न करने चाहियें। ठीक है, मैं अपने संकल्प को वापस भी ले लेता हूं, इस भाव या इस विचार के साथ, लेकिन क्या इस से इस समस्या का हल हो जाता है। समस्या अपने विकट रूप में उसी प्रकार से विद्यमान है और समस्या का हल जो कुछ हो भी रहा है वह एक प्रकार से हृदय से नहीं हो रहा है, उदासीनता से हो रहा है, यह बात बिल्कुल साफ जाहिर है।

जहां तक राज्यों के उत्तरदायित्व का प्रश्न है, मैं कहने के लिये तैयार हूं कि हरिजनों की समस्या को हल करते में, अस्पृश्यता के निवारण में राज्य बहुत उदासीनता से कदम उठा रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो मंत्रिगण हैं, यहां तक मुख्य मंत्री भी, उन को फुर्सत नहीं है कि वे इस समस्या पर विचार कर सकें। इस प्रकार से समस्या हमारे सामने अलग रूप में आती है। मैं उस के अनेक पहलू जानता हूं। जैसा यहां कहा भी गया, आज अस्पृश्यता अनेक रूप से बरती जाती ह और अस्पृश्यता के सारे रूप अभी अलग नहीं हुए हैं, दूर नहीं हुए हैं। आप यह नहीं कह सकते कि सभी कुएं खुल गये हैं। छोड़ दीजिये इन बातों को कि कहां पर अस्पृश्यता का निवारण हुआ है, या नहीं हुआ है, आजादी के इतने दिन बाद भी नाई भंगी की हजामत नहीं बनाता है, धोबी कपड़े नहीं धोता है।

[श्री बाल्मीकी]

हरिजनों के लिये होटल, धर्मशाला और सार्वजनिक स्थान जो हैं इस प्रकार के, आज घाट आदि पूरे तरीके से नहीं खुले हैं। आज पता नहीं कितने शिवालय और मन्दिर इस प्रकार के हैं जहां वे जा नहीं सकते हैं इस देश के नगरों के अन्दर। यहां दिल्ली में लाल जैन मन्दिर मौजूद है और भी इस प्रकार के अनेकों मन्दिर हैं जहां पर हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं सदन में कह देना चाहता हूं और मैंने पहले भी कभी कहा था। मंदिरों के दरवाजे खोल देने और देवता के दर्शन मात्र से हमारे हृदय शान्त नहीं होते हैं और कहीं हमने मंदिरों को खोलने का आन्दोलन चलाया भी है तो इसलिए कि वह मुक्ति का देवता जो अस्पृश्यता के कारण बन्द है उसको आजाद कराएं। तो मंदिरों के द्वार खुलें लेकिन हृदय के द्वार भी खुलने चाहियें, विचार के कपाट भी खुलने चाहियें, सद्भावना और प्रेम के द्वार भी खुलने चाहिएं। मैं सन्त तुकाराम के शब्दों में कहना चाहता हूं :

"प्रेम नये बोलिताम, दाविताम, सांगिताम, अनुभव चित्ता चित्त जाणे" अर्थात् प्रेम हृदय का अनुभव है, चित्त का अनुभव है, इस को चित्त जानता है। हृदय के प्रेम और सद्भावना से प्रेम और सद्भावना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जब हृदय के कपाट खुलें तो हम को शान्ति मिल सकती हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि इस प्रकार के मानवीय विचार नहीं आते हैं और इसलिये हमारी समस्या हल नहीं होती हैं। मैं चाहता हूं कि जो विचार सदन के सामने प्रकट किये गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा, उनको राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाये। ये विचार उनके सामने जाने चाहियें और यह बातें उन को मालूम होनी चाहियें।

अभी हमारे मित्र ने एपार्थीड यानी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति की अस्पृश्यता से तुलना की है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस रंग भेद की नीति का अस्पृश्यता की समस्या से मिलान करना मुझे बेहतर नजर नहीं आता हैं। यहां हमारे देश में कुछ तो प्रयत्न इस दिशा में किये गये हैं। इस समय मुझे बापू जी याद आते है, महात्मा गांधी याद आते हैं, उस वक्त भी जबकि उनको अफ्रीका में पाखाने के कुंड में डबोया गया था उन्होंने उस वेदना को रंगभेद की नीति को तोड़ने के लिये सहा और उस को तोड़ने के लिये जोर लगाया और यहां भी इस देश में बल लगा कर अस्पृश्यता को तोड़ने का प्रयत्न किया। मैं चाहता हूं कि आज भी वे विचार हमारे सामने होने चाहियें। जिस प्रकार बापू के हृदय में हमारी समस्या को देख कर सद्भावना और दर्द पैदा होता था वही आज हम चाहते हैं, लेकिन आज वे हृदय कहां है, अभी हृदय परिवर्तन कहां हुआ है? आज हमारे लिये कौन प्रायश्चित करता है जैसे कि बापू जी करते थे। आज हमारी समस्या में राजनीति घुस कर बैठ गयी हैं और अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक पार्टियों की समस्या नहीं है यह सारे देश की एक विकट समस्या हैं। मैं चाहता हूं कि जब देश के अन्दर भावात्मक एकता के प्रयत्न हो रहे है, राष्ट्रीय एकता के प्रयत्न हो रहे हैं, राष्ट्रीयता और एकता के प्रयत्न हो रहे हैं, उस वक्त इस प्रकार का प्रश्न भी सामने रहे, और मैं कहने के लिये तैयार हूं कि जब तक देश के अन्दर अस्पृश्यता की विकटता है, अस्पृश्यता की विभीषिका है, अस्पृश्यता की समस्या विद्यमान हैं, उस वक्त तक भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सपने धूमिल से दिखायी देते हैं, उन के अन्दर कुछ नजर नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं कि बल लगा कर इस समस्या का हल करना चाहिये और इस काम को विचार के साथ करना होगा। केवल कुछ करोड़ रुपया कुछ योजनाओं पर खर्च कर देने मात्र से या कुछ स्कूल खोल देने मात्र से या इस तरह की कुछ बातें कर देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकती। इस समस्या को विचार से, सद्भावना से और अश्रुओं से हल करना होगा और वे आंसू हृदय से आयें।

मुझे वह समय याद आता है जब सन्त तुलसी साहब हाथरसी कानपुर के सरसैया घाट पर बैठे थे। उस वक्त एक ब्राह्मण गंगा नहा रहा था। एक हरिजन ने उस पानी को छू लिया और वह लहर जा कर ब्राह्मण से टकराई। वह ब्राह्मण जो कि तगड़ा तगड़ी पानी में खड़ा होकर भजन कर रहा था और वैदिक मंत्र बोल रहा था उसने बाहर आकर उस हरिजन को लातों से मारना शुरू कर दिया। तभी तुलसी साहब हाथरसी ने कहा कि रे ब्राह्मण तू इस हरिजन को क्यों मारता है। ब्राह्मण ने कहा कि इसने मुझे गंदा कर दिया यह चांडाल है। तो तुलसी साहब ने कहा कि जिन विष्णु के चरणों से यह गंगा प्रवाहित हुई है उन्हीं विष्णु के चरणों से यह हरिजन निकला है। यह कह कर उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। तो वह आंसू आज चाहियें। वे आंसू जो कि बापू हमारी समस्याओं को और हमारी अवस्था को देखकर बहाते थे। मैं यहां ऋग्वेद से उद्धारण देना चाहता हूं :

इमा जुषस्व नो गिरः

कोई सुने हमारी दुख भरी पुकार को। आज भी हमें आसमान से स्वामी दयानन्द सरस्वती और बापू जी की आवाजें सुनाई देती हैं। वे हमारी आवाज सुनने वाले है। मैं मानता हूं कि अनेकों महापुरुषों ने हमारी समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है और विचार भी इस पर होता रहा है। लेकिन गैब से एक आवाज आती है और हम से कहती है कि मैं तुम्हारे अन्दर चेतना भर दूंगी। और आज हरिजनों में चेतना है। हम समस्याओं का मुकाबला करने को तैयार हैं हम स्वयं भी अपने को समानस्तर उठाने के लिये तैयार है आप हमारी सहायता कीजिये आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिसे और राजनीतिक दृष्टि से। आज हम दूर से, एक आवाज सुन रहे हैं जो कहती हैं कि मैं तुम्हारी अन्दर चेतना भर दूंगी। और वह चेतना आज हमारे अन्दर है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी ऐसे इन्सान हैं जिनके पत्थर के हृदय है उस पत्थर के जो कि द्रवित नहीं होता। वह आवाज कहती है कि मैं उन पत्थर के शरीरों में और पत्थर के हृदयों मे परिवर्तन कर दूंगी और पत्थर की जगह मासके लोथड़े का हृदय रख दूंगी जिसमें चेतना और सद्भावना जागृत हो सके। आज समाज में चेतना और सद्भावना आनी चाहिये। हमें यकीन होना चाहिये कि समस्या को हल करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे और सब से जरूरी बात है राज्य सरकारों को हिलाने की। उनसे पूछा जाना चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की सिफारिशों पर और रेनुका रे कमेटी की सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं होता। हमारी प्राक्कलन कमेटी एस्टीमेट कमेटी जो विचार और सुझाव देती है उसी आधार पर राज्य सरकारों को सोचना चाहिये। उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। उन पर अमल होना चाहिये। जो अस्पृश्यता निवारण का कानून है उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिये। केवल इसको कागनिजेबिल आफेंस बनाने से काम नहीं चलेगा। उस पर पूरी तरह अमल होना चाहिए जोकि नहीं होता है।

आप मंत्रियों के सम्मेलन इस समस्या को हल करने के लिये बुलाते हैं लेकिन इससे यह समस्या हल नहीं होती है। सारा मामला तो राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के हाथ में होता हैं। आपको केवल मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस बुलानी चाहिये और उनको हिलाना चाहिये। मंत्री तो उनके द्वारा अपने आप हाथ में आ जायेंगे।

मैं चाहता हूं कि समाज के अन्दर हमारे प्रति सद्भावना पैदा हो। हमारे मार्मिक दर्द को समझा जाये।

अन्त में मैं यजुर्वेद का एक मंत्र पढ़ कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं वाजसु नः कृधि।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्॥

हमारे राष्ट्र के ब्राह्मणों में तेज रहे, हमारे क्षत्रियों में तेज रहे, हमारे वैश्यों में और शूद्रों में तेज रहे, हमारे राष्ट्र के ये सब लोग उत्तम तेजस्वी बनें वीर्यवान बने और इस तेज से प्रत्येक मनुष्य भी

[श्री बाल्मीकी]

तेजस्वी बनें। हमारे राष्ट्र में कोई भी निस्तेज निर्वीर्य निर्धन कर्महीन दीन न हो। सब तेजस्वी ओजस्वी, वर्चस्वी, मनस्वी बनें।

सभापति महोदय, हम यह तेजस्विता, वर्चस्विता, मालदारी, ऊंचापन आदि दूसरी ओर ही देखते हैं। हमारे अंदर वह वर्चस्विता, तेजस्विता और वह ओजस्विता नहीं दिखाई देती हैं। मैं चाहता हूं कि वह तेजस्विता, वर्चस्विता आदि का ग्लैमर जो उधर है हमारे ऊपर भी चमके। लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारत सरकार इस राष्ट्रीय समस्या के लिये पूरा प्रोग्राम बना कर उस को नहीं चलाती और न उस समय तक यह समस्या हल होगी। मैं ने अपने भाव व्यक्त किये हैं और विचार के साथ किये हैं। मेरे हृदय में उद्वेग उठता है। आज माननीय सदस्यों ने जो हमारी समस्या का चित्र खींचा हैं वह आपके सामने आना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आप इसको देखेंगे। मैं मानता हूं कि यह समस्या केवल कानून के बल पर हल नहीं हो सकती। मैं यह भी मानता हूं कि पार्टियों के द्वारा दोषारोपण करने से भी यह समस्या हल नहीं होगी। यह तो सारे समाज और सारी पार्टियों की समस्या हैं, मिल जुल कर ही होगी।

मैं इस समस्या के हेतु इस संकल्प का सदन में वोट का विषय नहीं बनाना चाहता। सभी माननीय सदस्यों ने इसको बल दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि इसको बाहर भी बल मिलेगा। हमारी केन्द्रीय सरकार भी इसको बल देगी। इस विचार से मैं इस प्रस्ताव को हृदय से वापस लेना चाहता हूं। लेकिन हमको यह यकीन होना चाहिये कि इस समस्या के प्रति जो ढील अब तक बरती गयी हैं वह आगे नहीं बरती जायेगी। उस ढील के फन्दे को तोड़ना भारत सरकार का और खास तौर से गृह-मंत्रालय का काम है और उसको इसके लिये प्रयत्न करना होगा। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी उप-मंत्राणी जी उधर बैठी हैं। उन को देख कर मुझे प्रसन्नता होती है अपने को देखकर सब को प्रसन्नता होती है। तो मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं और उप-मंत्राणी जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बातों पर विचार किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सिद्धया के संशोधनों का क्या होगा ?

†**श्री सिद्धय्या** (चामराज नगर) : सभा की अनुमति से मैं उन्हें वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें संशोधन वापिस लेने की अनुमति हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्तावक महोदय को संकल्प वापिस लेने की अनुमति हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के सम्बन्ध में संकल्प

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि इस सभा की यह राय है कि मजदूर संघों की प्रतिनिधित्व क्षमता की जांच करने के लिये प्रतिद्वंदी मजदूर संघों को विधान द्वारा विवश किया जाय कि वे समय-समय पर गुप्त मतदान द्वारा संबंधित मजदूरों में अपने प्रभाव का पता लगाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

१९४७ से पहिले हम देश के हर रोग का कारण अंग्रेजों की गुलामी समझा करते थे। हम समझते थे कि अंग्रेज हमारे पर राज्य करने के विचार से हमें लड़ाते रहते हैं। परन्तु १९४७ के बाद भी हालत लगभग वैसी ही चल रही है। पहिले अखिल भारतीय मजदूर संघ ही था फिर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे पता किया जा सके कि कौन सा संघ वास्तव में मजदूरों का प्रतिनिधि है। दुर्भाग्यवश हर उद्योग में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का, वहां समानान्तर संघ बड़ी तेजी से बन रहे हैं। बैंकिंग उद्योग तथा सरकारी कर्मचारियों के संघों के मामले में विरोधी संघ बनाने के प्रयत्न किये गये हैं।

हमें इस बात का खेद है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा विभाग में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इन्टक) को मान्यता दे दी है। यह संघ गैर प्रतिनिधि संघ है। भोपाल के "हैवी इलेक्ट्रिकल्स" में भी एक गैर-प्रतिनिधि मजदूर संघ को मान्यता दी गई है जिसके परिणामस्वरूप जब कभी भी मान्यता प्राप्त मजदूर संघों से झगड़ा होता है तो गैर-मान्यता प्राप्त संघ निगम की सहायता करने के लिये आ जाते हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि टाटा नगर में उस संघ को मान्यता दी गयी है जो ४०० मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त नहीं कर सकी। इसी प्रकार की स्थिति आसाम की भारतीय तेल कम्पनी के संबंध में है। ऐसी स्थिति को कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता।

जांच योजना के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 'इन्टक' के सदस्यों की संख्या अधिक बताई गयी है। यदि उनकी सदस्य संख्या इतनी अधिक है जितना कि वे दावा करते हैं तो फिर उन्हें जनमत का पता करने में क्या आपत्ति हो सकती है। जांच का सब से उत्तम ढंग ही यही है कि मतसंग्रह अथवा जनमत ले लिया जाय। इस बारे में मेरा मत तो यह है कि यदि मेरा यह संकल्प स्वीकार कर लिया जायेगा तो इस देश में उचित मजदूर संघ लोकतंत्र का प्रारम्भ होगा। एक उद्योग में एक ही संघ होना चाहिये जिसे मान्यता प्राप्त हो ; यदि दो संघ हों तो कम से कम मान्यता तो उसी संघ को मिलनी चाहिये जो प्रतिनिधि हो। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि केरल, बम्बई और पंजाब के लेखा परीक्षा कर्मचारी संघों को मान्यता नहीं दी गयी तो जनता का श्रम मंत्रालय पर से विश्वास ही उठ जायेगा।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 'इन्टक' की सदस्य संख्या कम हो गयी है और वह काफी कमजोर पड़ गया है। और उससे अब मजदूरों को किसी लाभ की आशा नहीं हो सकती। बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि वह अपने को अभी भी शक्तिवान समझता है तो उसे चुनौती स्वीकार करने और जनमत संग्रह का सामना करने में संकोच नहीं करना चाहिये। मुझे आशा है कि इस आशय का प्रस्ताव सदन को स्वीकार होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : इस संकल्प को सभी दलों द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इतिहास यह स्पष्ट बताता है कि यह संगठन हमेशा देश-द्रोही रहा है। १९४२ में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में उसने देश के हितों के विरुद्ध कार्य किया है। जब १९४२–४४ में बंगाल में अकाल पड़ा तो इस संघ ने कुछ भी नहीं किया। फिर जब हैदराबाद की जनता भारत में मिलना चाहती थी तो उसने सामन्ती राज्य का समर्थन किया। और अभी हाल

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

ही की बात है कि उसने भारत-चीन सीमा समस्या पर साम्यवादी दल के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

पहली बात तो यह है कि अगर दो फेडरेशन बन रहे हैं तो उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ कार्य किया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन् १९४७ में हुई थी।

आज लोकतंत्र का जमाना है। हम चाहते हैं कि उसी संघ को मान्यता दी जाये जिसे कि जनता अधिक से अधिक चाहती है। लेकिन निर्वाचन के समय हमने देखा है कि लोग घरों पर जाकर स्त्रियों को धमकी देते हैं कि यदि उनके संघों को मत नहीं दिया गया तो उनका "मंगलसूत्र" नहीं रहेगा। सरकार को इस प्रकार की बातों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये। जो भी कार्यवाही की जाये वह अहिंसात्मक ढंग से हो।

अतः हम देखते हैं कि विरोधी संघों की स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कारण ही हो रही है। कुछ स्थानों में जहां संघों को मान्यता के संबंध में चुनाव हुये थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लोगों ने मजदूरों तथा उनके परिवारों को उनके पक्ष में मत देने पर भयंकर परिणामों की धमकी दी थी। जब सरकार का ध्यान ऐसी चीजों की ओर आकर्षित किया गया तो उसने ऐसी योजना निकाली जो समस्त देश में लागू है। चूंकि यह योजना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपयुक्त नहीं थी इसलिये उसने दूसरी चाल खेली है। इस संघ ने कोई खास काम भी नहीं किया है।

यह संघ अधिकतर राजनीतिक कार्य कर रहा है और मजदूरों की भलाई के लिये कोई भी कार्य नहीं कर रहा है।

'इन्टक' की सदस्य संख्या की जांच की जा सकती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बता रहा है। उसने नौकरी से हटा दिये गये तथा सेवानिवृत्त मजदूरों को भी अपना सदस्य दिखाया है।

कुल मिलाकर उसने जो भी कार्य किया है वह ठीक नहीं है तथा देशद्रोही है।

यद्यपि यह संकल्प साधारण सा दिखाई पड़ता है किन्तु असलियत में यह बहुत ही खतरनाक है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

अतः मैं इस संकल्प का जोरदार विरोध करता हूं।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : मैं श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूरा पूरा समर्थन करता हूं। डा० मेलकोटे ने भारतीय मजदूर आंदोलन का इतिहास बड़ा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। हां, इतना उन्होंने स्वीकार किया है कि ए० आई० टी० यू० सी० भारत के मजदूरों का एक अग्रमी संगठन है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

उनका यह कथन बिल्कुल निराधार है कि बंगाल के अकाल के समय ए० आई० टी० यू० सी० हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा था। हमने अकाल पीड़ितों के लिये लाखों रुपये का चन्दा इकट्ठा किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कथन भी बिल्कुल निराधार है कि ए० आई० टी० यू० सी० हैदराबाद को भारत गणराज्य में मिलाने का विरोध कर रहा था।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही तकाजा है कि मजदूरों को भी अपने संघ बनाने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इसीलिये इस संकल्प को स्वीकृत किया जाना चाहिये।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

पश्चिमी बंगाल में कार्मिक संघों के वास्तविक प्रतिनिधियों को मान्यता नहीं दी गई है। उनको मान्यता दिये बिना देश में औद्योगिक शांति स्थापित नहीं की जा सकती।

सरकार उन कार्मिक संघों को मान्यता देती है और उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करती है जो मजदूरों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते। मजदूरों की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था 'कलकत्ता ट्राम्बे वर्कर्स यूनियन' को मान्यता नहीं दी जाती। इसी तरह 'हिन्दुस्तान मोटर वर्कर्स यूनियन' को भी मान्यता नहीं दी गई है। मजदूरों की वास्तविक प्रतिनिधि यूनियनें 'ए० आई० टी० यू० सी०' से सम्बद्ध हैं। जूट मजदूरों की भी लालझंडा यूनियनों को मान्यता नहीं दी गई है। इस तरह न तो मजदूर-एकता और न औद्योगिक शांति ही स्थापित की जा सकती है, फिर उत्पादन में वृद्धि भी नहीं हो सकती।

संविधान के अन्तर्गत गारण्टी किये गये मूलभूत अधिकार मजदूरों को दिये जाने चाहिये। उनको अपना संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिये। और यदि मजदूर अपने आपको एक संघ में संगठित कर लेते हैं, तो उसे मान्यता देने में क्या हानि है? तब फिर औद्योगिक विवादों की संख्या भी कम हो जायेगी।

इसीलिये मैं चाहता हुं कि इस संकल्प पर अमल किया जाये।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : श्री स० मो० बनर्जी जैसे इतने अनुभवी मजदूर नेता के लिये ऐसा संकल्प प्रस्तुत करना बड़ा अविवेकपूर्ण है। मजदूर आंदोलन की अन्दरूनी गुटबाजी पर चर्चा करने का यह स्थान नहीं है। मैं मजदूर आंदोलन के इतिहास के ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता। इतिहास को तो मनचाहे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

पर इस बात से किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता कि कम्युनिस्टों ने ही बड़े-बड़े नाजुक मौकों पर मजदूर आंदोलन में विघटनकारी भूमिका अदा की है। कांग्रेस ने विघटनकारी कार्यवाही कभी नहीं की। श्री एन० एम० जोशी ने इसी आधार पर ए० आई० टी० यू० सी० से इस्तीफा दे दिया था।

गुरदासपुर में हमारे कम्युनिस्ट मित्र अभी हाल में चीन की तिब्बत संबंधी नीति के समर्थन में प्रस्ताव पास करना चाहते थे और उनका कहना था चीन का विरोध करके भारतीय मजदूर आंदोलन को बड़ी हानि पहुंचा रही है। पर मजदूरों ने वह प्रस्ताव पास नहीं होने दिया था।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : बिल्कुल गलत बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** कम्युनिस्ट लोग कार्मिक संघों का उपयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिये करते रहे हैं। वे कार्मिक संघों पर अपने दल की नीति लादना चाहते हैं। इसी-लिये नये कार्मिक संघों का जन्म हुआ ह।

यह संकल्प मजदूर आंदोलन की जड़ों पर कुठाराघात करता है। कोई भी वास्तविक कार्मिक संघी नेता यह क्यों चाहेगा कि स्वतंत्र कार्मिक संघीय आंदोलन में बाहर के लोगों का हस्तक्षेप हो।

मान्यता का प्रश्न उठाकर कभी भी मजदूर आंदोलन में फूट डाली जा सकती हैं। हर कोई कह सकता हैं कि अमुक कार्मिक संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

इस संकल्प पर अमल करने का परिणाम यह होगा कि समूचे मजदूर आंदोलन में प्रतिद्विदता और गुटबाजी का बाजार गर्म हो जायेगा। मालिक लोग तो चाहते ही हैं कि ऐसी फूट फैले।

यह संकल्प किसी भी वास्तविक कार्मिक संघी नेता को शोभा नहीं देता। यदि विभिन्न कार्मिक संघो नेताओं के दृष्टिकोणों में बुनियादी अन्तर है, उनके दृष्टिकोण बिल्कुल ही भिन्न भिन्न हैं, तो उनको अलग-अलग कार्मिक संघ बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

मैं नहीं चाहता कि सरकार इस प्रकार का विधान बनाकर मजदूर आंदोलन में हस्तक्षेप करे।

मैं पूछता हूं कि यह कौन प्रमाणित करेगा कि अमुक कार्मिक संघ प्रतिनिधित्व पूर्ण हैं अथवा नहीं ? किसी कार्मिक संघ के प्रभाव के बारे में निश्चित कैसे किया जायेगा ?

इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। किसी भी कार्मिक संघ को इस प्रकार विवश नहीं किया जाना चाहिये। 'ए० आई० टी० यू० सी०'ने भी मजदूरों की आचरण संहिता से सहमति प्रकट की थी। यदि वे उसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो श्रम मंत्री को लिखें।

मैं चाहता हूं कि सभा इस संकल्प को ठुकरा दे।

(इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १६ जून, १९६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १५ जन, १९६२

२५, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६५	दुर्गापुर में कैमरा फैक्टरी	४९५१–५२
१४६७	कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था . .	४९५२–५३
१४६८	यूरोपीय साझा बाजार . . .	४९५३—५५
१४६९	मद्रास राज्य में कृषकों के लिये रोजगार . . .	४९५६
१४७०	दवाइयों की कीमतें . .	४९५६—५८
१४७१	स्टैन्डर्ड कपड़ा योजना . . .	४९५९
१४७२	निर्यातकों को ऋण की सुविधायें . .	५९६०
१४७३	मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें . . .	४९६०—६२
१४७५	अलौह धातुयें	४९६३–६४
१४७६	उड़ीसा की खानों में लौह अयस्क का इकट्ठा होना . .	४९६४—६६
१४४७	गोआ में सोना शुल्क प्रतिबन्ध	४९६६–६८
१४४८	"चाइना टूडे" की प्रतियां जब्त किये जाने के संबंध में चीन का विरोध पत्र	४९६८—७१
१४७९	विदेशों के साथ राजनयिक संबंध . . .	४९७२—७४
१४८०	नेफा में असमिया भाषा . . .	४९७४—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६६	अफगानिस्तान के साथ व्यापार . . .	४९७५–७६
१४७४	अन्तरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी . .	४९७६–७७
१४८१	गीत और नाटक विभाग . . .	४९७७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४८२	हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण	४९७७
१४८३	चश्मे आदि के शीशे बनाने का कारखाना	४९७७–७८
१४८४	श्रम कल्याण पदाधिकारियों का समाज-कार्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	४९७८
१४८५	धान की भूसी से तेल निकालने का उद्योग	४९७८
१४८६	अमरीका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा माल्दा की घटना से अनुचित लाभ उठाना	४९७८–७९
१४८७	आकाशवाणी में गांधी कार्यक्रम यूनिट	४९७९
१४८८	आसाम में नये उद्योगों को लाइसेंस देना	४९७९–८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३१४५	पलना कोयला खान में श्रम कल्याण केन्द्र	४९८०
३१४६	टैपियोका से शराब	४९८०–८१
३१४७	केन्द्रीय सूचना सेवा	४९८१
३१४८	उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें	४९८१
३१४९	तांबे, जस्ते आदि का आयात	४९८१–८२
३१५०	ब्रिटिश गायना आदि के लिये प्रसारण	४९८२
३१५१	आकाशवाणी की विदेश सेवाओं का कार्यक्रम	४९८२–८३
३१५२	डबल रोटी तथा बिस्कुट आदि बनाने वालों के लिये खमीर का उत्पादन	४९८३
३१५३	शिक्षा प्रशिक्षण नियम	४९८३–८४
३१५४	इण्डोनेशिया को व्यापार शिष्टमंडल	४९८४
३१५५	गोआ से स्वदेश भेजे गये पुर्तगाली राष्ट्रजन	४९८४
३१५६	हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी बर्दवान	४९८४–८५
३१५७	**महाराष्ट्र टाइम्स** के लिये अखबारी कागज का दिया जाना	४९८५–८६
३१५८	चीनी सरकार द्वारा हिमालय के दक्षिणी ढालों का सर्वेक्षण	४९८६
३१५९	बिहार में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	४९८६–८७
३१६०	लघु उद्योग सेवा संस्थायें	४९८७
३१६१	बिजली के पंखे	४९८७–८८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१६२	उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में सड़कों और इमारतों का निर्माण	४९८८–८९
३१६३	अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में सरकारी क्वार्टर	४९८९
३१६४	राज्यों में उद्योगों के विकास के लिये ऋण	४९८९–९०
३१६५	पनवेल, महाराष्ट्र में कार्बनिक रासायनिक द्रव्यों का कारखाना	४९९०
३१६६	प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि	४९९१
३१६७	चाय के बागानों का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	४९९१
३१६८	पंजाबी कृषक परिवारों का मध्य देश में पुनर्वास	४९९१–९२
३१६९	वियतनाम में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की आलोचना	४९९२
३१७०	नागा पहाड़ी के शिखरों पर अभियान	४९९२
३१७१	अखबारी कागज का आयात	४९९२–९३
३१७२	आकाशवाणी में उप सम्पादक	४९९३
३१७३	गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीयकरण	४९९३
३१७४	आकाशवाणी के कार्यक्रम	४९९३–९४
३१७५	आकाशवाणी	४९९४
३१७६	तेल मिल मालिक संघ, केरल	४९९४–९५
३१७७	भारत में विदेशी चाय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	४९९५
३१७८	विदेशी प्रदर्शनियों में चाय बोर्ड का भाग लेना	४९९५–९६
३१७९	चाय के निर्यात के लिये द्विपक्षीय करार	४९९६
३१८०	चाय का निर्यात	४९९६—९८
३१८१	दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	४९९८
३१८२	अलौह धातु	४९९८–९९
३१८३	अलौह धातु	४९९९
३१८४	मद्रास और उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये अर्जियां	५०००
३१८५	दक्षिण के राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योग	५०००
३१८६	त्रावनकोर पिनरल्स लि० का बन्द हो जाना	५०००
३१८७	कपड़ों के दाम	५००१
३१८८	चाय उद्योग के लिये अनुसंधान	५००१
३१८९	त्रिपुरा में खादी और ग्राम उद्योग	५००१

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१९०	अलौह धातु के स्क्रैप की कमी	५००२
३१९१	अलौह धातु	५००२
३१९२	रद्दी तांबा और जस्ता	५००२–०३
३१९३	आयात किये गये धातु का आवंटन . .	५००३
३१९४	उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस	५००३
३१९५	कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात . . .	५००३–०४
३१९६	खान मालिकों को विकास निधि का भुगतान . .	५००४
३१९७	विदेशों में चाय केन्द्र	५००४–०५
३१९८	जाली पारपत्र . . .	५००५
३१९९	सिलाई की मशीनें . .	५००५–०६
३२००	सूती कपड़ा	५००६
३२०१	पंजाब अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम .	५००६
३२०२	पटसन का वर्गीकरण .	५००६–०७
३२०३	श्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण . .	५००७
३२०४	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग .	५००७–०८
३२०५	रबड़ उद्योग	५००८
३२०६	आकाशवाणी यूनिटों में विदेशी राष्ट्रजन . . .	५००९
३२०७	किंग्सवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति . . .	५००९–१०
३२०८	अफ्रीका से कच्चे काजू का आयात . . .	५०१०
३२०९	अणु शक्ति परीक्षणों का हिन्द महासागर पर प्रभाव . .	५०१०–११
३२१०	नारियल जटा सहकारी समिति . . .	५०११
३२११	फिल्म सेंसर का केन्द्रीय बोर्ड . . .	५०११
३२१२	केरल में रबड़ बोर्ड कार्यालयों का बन्द हो जाना .	५०१२
३२१३	कारलोवी वरी में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह . .	५०१२–१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		५०१३—१९

श्री बागड़ी ने दिल्ली के सदर बाजार में, १४ जून, १९६२ को हुये विस्फोट की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५०१७–१८

(एक) राष्ट्रीय एकता परिषद की २ और ३ जून, १९६२ को हुई पहली बैठक की कार्यवाही की एक प्रति।

(दो) संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट (भाग १ और २) की एक प्रति।

(तीन) न्याय पंचायतों संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट की एक प्रति।

अनुपस्थिति की अनुमति ५०१८–१९

निम्नलिखित सदस्य को सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :

१. श्री श्यामलाल शाह
२. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
३. श्री मू० हि० रहमान
४. श्रीमती जयाबेन शाह
५. डा० प० शा० देशमुख
६. श्री दे० द० पुरी
७. श्रीमती गायत्री देवी
८. श्री वि० तु० पाटिल
९. श्री विजय आनन्द
१०. श्री उ० मु० तेंवर

विधेयक विचाराधीन . . . . . ५०१९—३७

१२ जून, १९६२ को प्रस्तुत वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर खंडवार चर्चा सभा की अगली बैठक तक के के लिये स्थगित कर दिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत

दूसरा प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ५०३७

गैर-तरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . ५०३८—५४

१ जून, १९६२ को श्री बाल्मीकी द्वारा प्रस्तुत अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प पर तथा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधन पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। संकल्प भी सभा की अनमति से वापस लिया गया।

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . ५०५४—५८

श्री स० मो० बनर्जी ने मजदूर संघों की प्रतिनिधित्व क्षमता के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, १६ जून, १९६२ / २६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ पर खंडवार चर्चा तथा पारित किया जाना .

GMGIPND—LS III—1236 (Ai) LSD— 12-11-62—150